



राज्य के वित्त पर
(प्रतिवेदन संख्या-1)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए

हिमाचल प्रदेश सरकार



विषयसूची

विषय	परिच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन	-	v
कार्यकारी सारांश	-	vii
पहला अध्याय		
राज्य सरकार के वित्त		
चालू वर्ष के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश	1.1	1
राज्य के संसाधन	1.2	4
राजस्व प्राप्तियां	1.3	7
संसाधनों का उपयोग	1.4	10
व्यय की गुणवत्ता	1.5	16
सरकारी व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण	1.6	19
परिसम्पत्तियां एवं देयताएं	1.7	22
ऋण धारणीयता	1.8	23
राजकोषीय असंतुलन	1.9	24
निष्कर्ष एवं सिफारिशें	1.10	27
दूसरा अध्याय		
वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय नियंत्रण		
परिचय	2.1	29
विनियोजन लेखों का सारांश	2.2	29
वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन	2.3	30
विभागीय आंकड़ों का मिलान न करना	2.4	38
व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं का परिचालन	2.5	39
चयनित अनुदान की समीक्षा के परिणाम	2.6	40
निष्कर्ष एवं सिफारिशें	2.7	43

तीसरा अध्याय

वित्तीय विवरण

उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.1	45
स्वायत्त निकायों के लेखों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.2	46
दुर्विनियोजन, हानियां, गबन, आदि	3.3	46
लेखापरीक्षा प्रभावपूर्णता-उत्तरदायित्व का अपरदन	3.4	47
निष्कर्ष एवं सिफारिशें	3.5	49

परिशिष्ट

परिशिष्ट नं०	शीर्षक	परिच्छेद	पृष्ठ
परिशिष्ट-1	राज्य रूपरेखा		
	भाग-क: सामान्य आंकड़े	-	51
	भाग-ख: वित्तीय आंकड़े	-	51
परिशिष्ट-1.1	भाग-क: सरकारी लेखों की संरचना एवं स्वरूप	-	52
	भाग-ख: वित्त लेखों की रूपरेखा	-	53
परिशिष्ट-1.2	भाग-क: राजकोषीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई कार्यपद्धति	1.3.1	55
	भाग-ख: राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजटीय प्रबन्धन अधिनियम, 2005	-	56
	भाग-ग: राज्य के स्वकीय राजकोषीय शुद्धि पथ के प्रतिफल सूचक	-	57
परिशिष्ट-1.3	राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े	1.3 तथा 1.7.2	59
परिशिष्ट-1.4	भाग-क: वर्ष 2009-10 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	1.1 तथा 1.7.1	63
	भाग-ख: 31 मार्च 2010 को हिमाचल प्रदेश सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति	1.1 तथा 1.7.1	66
परिशिष्ट-1.5	वर्ष 2009-10 के दौरान राज्य बजट से बाहर कार्यक्रम/स्कीमों के अंतर्गत राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को अंतरित निधियों को दर्शाने वाली विवरणी।	1.2.2	68
परिशिष्ट-2.1	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहां बचतें प्रत्येक में ₹एक करोड़ अथवा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थीं	2.3.1	71
परिशिष्ट-2.2	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहां व्यय प्रत्येक में ₹एक करोड़ अथवा कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक रहा	2.3.2	72
परिशिष्ट-2.3	विगत वर्षों के प्रावधान की तुलना में आधिक्य के नियमितिकरण की आवश्यकता	2.3.5	73


परिशिष्ट-2.4	मामले जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹10 लाख अथवा अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	2.3.7	74
परिशिष्ट-2.5	विभिन्न अनुदानों/विनियोजन की विवरणी जहां अनुपूरक प्रावधान प्रत्येक में एक करोड़ से अधिक तक अपर्याप्त सिद्ध हुए	2.3.7	75
परिशिष्ट-2.6	निधियों का आधिक्य/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन	2.3.8	76
परिशिष्ट-2.7	वर्ष के दौरान किए गए पर्याप्त अभ्यर्पण	2.3.10	78
परिशिष्ट-2.8	अभ्यर्पित न की गई एक करोड़ तथा उससे अधिक की बचत का ब्यौरा	2.3.10	79
परिशिष्ट-2.9	31 मार्च 2010 को ₹10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण मामले	2.3.10	80
परिशिष्ट-2.10	वास्तविक बचतों से अधिक का अभ्यर्पण (₹50 लाख अथवा अधिक)	2.3.11	81
परिशिष्ट-2.11	व्यय का तीव्र प्रवाह	2.3.12	82
परिशिष्ट-2.12	(i) सार आकस्मिक बिलों/विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों का वर्ष-वार ब्यौरा (ii) 2005-10 वर्षों के लम्बित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल	2.4.1	84
परिशिष्ट-2.13	31 मार्च 2010 को प्रतिकूल/नकारात्मक शेषों को दर्शाने वाली विवरणी	2.5	85
परिशिष्ट-3.1	31 मार्च 2010 को बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	3.1	86
परिशिष्ट-3.2	स्वायत निकायों का प्रदर्शन दर्शाने वाली विवरणी	3.2	93
परिशिष्ट-3.3	दुर्विनियोजन, गबन आदि के मामलों का विभागवार/अवधिवार ब्यौरा	3.3	94
परिशिष्ट-3.4	चोरी, सरकारी सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि के कारण सरकार को हानि मामलों का विभागवार/श्रेणीवार ब्यौरा	3.3	95

प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।
2. इस प्रतिवेदन के अध्याय I एवं II में 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त लेखों तथा विनियोग लेखों की जांच से उजागर मामलों पर लेखापरीक्षा परिणाम समाविष्ट हैं।
3. अध्याय III 'वित्तीय विवरण' चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निदेशों सहित विहंगावलोकन तथा राज्य सरकार की अनुपालना की स्थिति को दर्शाता है।
4. निष्पादन लेखापरीक्षा तथा विभिन्न विभागों के लेन-देनों की लेखापरीक्षा के परिणाम तथा सांविधिक निगमों, बोर्डों एवं सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से उजागर हुई टिप्पणियों से समाविष्ट प्रतिवेदन तथा राजस्व प्राप्तियों पर टिप्पणियों से समाविष्ट प्रतिवेदन को अलग से प्रस्तुत किया गया है।
5. लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।



कार्यकारी सारांश



कार्यकारी सारांश

भूमिका

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2005 में अपने “राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम” के विधि-निर्माण द्वारा बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश की प्रतिक्रिया की। इसने अपनी अर्थव्यवस्था के लिए विकास स्थिरता को प्राप्त करने के दीर्घकालीन लक्ष्य सहित मध्यावधि में राजकोषीय शुद्धि पथ द्वारा एक सुधार कार्यसूची को निर्दिष्ट किया। इन सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की वचनबद्धता को तत्पश्चात् बजटों में उद्घोषित की गई कुछ नीति प्राथमिकताओं में अधिकांशतया प्रतिबिंबित किया जाता है। जबकि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन विधान के लाभों को मुख्य घाटा सूचकों, आदि में कटौती राज्य सरकार के वैट लागू करने के संकल्प के रूप में पहले ही अधिकतम सीमा तक अनुभव किया जा चुका है, सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता का सुधार करने तथा राजकोषीय स्थिरता को प्रोत्साहित करने के लिए अत्यावश्यक ‘राजकोषीय अंतराल’ का निर्माण करने में नई पेंशन स्कीम को आरम्भ करने से अधिक लाभ होगा।

राज्य सरकार ने राजकोषीय पारदर्शिता एवं दायित्व पर संस्थागत तन्त्र को स्थापित करने में बहुत अच्छा कार्य किया है जैसाकि वर्ष प्रतिवर्ष बजट परिणाम के प्रस्तुतिकरण से स्पष्ट होता है। ये प्रतिफल सूचक लक्ष्यों के प्रति विभागवार निष्पादन के मापन कार्य के सीमित उद्देश्य की पूर्ति करने की ओर प्रवृत्त होते हैं। तथापि, ये राज्य विधायिका तथा अन्य पणधारियों के लाभ हेतु ऋण स्थिति तथा रोकड़ प्रबन्धन, आदि सहित वित्तीय प्रबन्धन की स्थिति का ‘विशाल चित्र’ प्रस्तुत नहीं करते हैं।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सिविल लेखापरीक्षा प्रतिवेदन इस अन्तर को पूर्ण करने के लिए सहायता करते हैं। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन विधान के चार वर्षों से अधिक अवधि के लिए सरकार के वित्त पर टिप्पणियां की जा चुकी हैं तथा पहले ही चार प्रतिवेदन प्रकाशित किये जा चुके हैं। चूंकि ये टिप्पणियां सिविल लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का भाग हैं, यह अनुभव किया गया कि राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष अनुपालना एवं निष्पादन लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा निष्कर्षों की स्थूल समिति में निगोपन रहे। यह सुविचारित परन्तु समस्त समावेशित सूचना का वह स्पष्ट परिणाम था कि इन निष्कर्षों के वित्तीय प्रबन्धन भाग की ओर उपयुक्त ध्यान नहीं दिया गया। एक बार फिर केन्द्र-स्तर तक राज्य के वित्त को लाने की आवश्यकता को मान्यता देते हुए राज्य सरकार के वित्त पर एकाकी प्रतिवेदन को इस चुनौती के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रत्युत्तर माना गया है। तदनुसार प्रतिवेदन वर्ष 2009 से आगे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने “राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन” नामक शीर्षक से एक पृथक खण्ड प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। यह इस प्रयास का दूसरा संस्करण है।

प्रतिवेदन

मार्च 2010 को समाप्त वर्ष हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखापरीक्षित लेखों पर आधारित इस प्रतिवेदन में राज्य सरकार के वार्षिक लेखों की विश्लेषणात्मक समीक्षा तैयार की गई है। प्रतिवेदन की रचना तीन अध्यायों में की गई है।

अध्याय 1 वित्त लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा यह 31 मार्च 2010 तक हिमाचल प्रदेश सरकार की राजकोषीय स्थिति का निर्धारण करता है। यह ऑफ बजट रूट के माध्यम से राज्य के कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित केन्द्रीय निधियों के संक्षिप्त लेखे के अतिरिक्त वचनबद्ध व्यय, उधार प्रतिरूप की प्रवृत्तियों में अन्तर्दृष्टि प्रदान करता है।

अध्याय 2 विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा यह विनियोगों का अनुदानवार विवरण तथा ढंग, जिसमें आवंटित स्रोतों को सेवा प्रदान करने वाले विभागों द्वारा व्यवस्थित किया गया, प्रदान करता है।

अध्याय 3 विभिन्न सूचना अपेक्षाओं तथा वित्तीय नियमावली सहित हिमाचल प्रदेश सरकार की अनुपालना की एक वस्तुसूची है। प्रतिवेदन में निष्कर्षों के समर्थन में अनेक स्रोतों से एकत्रित किये गये अतिरिक्त डाटा को भी सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा परिणाम एवं सिफारिशें

राजकोषीय शुद्धि को वापसी: राज्य ने वर्ष 2009-10 के दौरान राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबन्धन अधिनियम/बारहवें वित्त आयोग में निर्धारित आठ लक्ष्यों में से पांच प्राप्त कर लिये थे। राजकोषीय शुद्धि पथ को वापसी की पर्याप्त संभावनाएं हैं यदि कर अनुपालना में वृद्धि, कर संचालन लागतों को कम करने, राजस्व बकायों का संग्रहण तथा अनुत्पादक व्यय की कांट-छांट करने के प्रयास किए जाते हैं तो घाटे को कम किया जा सकता है। कर-भिन्न राजस्व के संग्रहण में सुधार के प्रयास भी किए जाने चाहिए ताकि भारत सरकार से उधार निधियों के आश्रय को कम किया जा सके।

भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अंतरित निधियां: भारत सरकार ने राज्य कार्यान्वयन एजेन्सियों को ₹923.48 करोड़ का प्रत्यक्ष रूप से अन्तरण किया जिसके द्वारा राज्य संसाधनों की कुल उपलब्धता ₹19,754 करोड़ से ₹20,677 करोड़ की वृद्धि हुई। तथापि, भारत सरकार से प्रत्यक्ष रूप से निधियों की प्राप्ति/अन्तरण का अनुश्रवण करने के लिए कोई भी एजेन्सी नहीं थी और इसलिए लेखापरीक्षा द्वारा इन निधियों हेतु राज्य सरकार के उत्तरदायित्व को निर्धारित करने के लिए इन निधियों की प्रयुक्ति सत्यापित नहीं की जा सकी।

पूंजीगत व्यय को उच्च प्राथमिकता: राज्य की 2008-09 तक पूंजीगत व्यय में बढ़ती हुई प्रवृत्ति रही जो आर्थिक सेवाओं के साथ-साथ सामाजिक सेवाओं में सुधार को सूचित करती थी। किन्तु 2009-10 के दौरान पूर्व वर्ष की तुलना में पूंजीगत व्यय में ₹136 करोड़ तक की कमी आई। स्पष्टतः सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं को कम प्राथमिकता दी गई और यदि ध्यान नहीं दिया गया तो राज्य की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। प्रभावी बजटीय प्रणाली को सुनिश्चित करने और सरकारी धन की प्रयुक्ति कैसे विवेकपूर्ण रूप से की जा रही है, निगरानी रखने हेतु एक अनुश्रवण साधन होना चाहिए ताकि धन के लिए मूल्य को अभिप्रेत लाभार्थियों को इसकी सम्पूर्णता में चेनलाईज्ड किया जा सके।

सरकारी निवेशों की समीक्षा: उत्तरदायित्व की निष्पादन आधारित प्रणाली सरकारी कम्पनियों/संवैधानिक निगमों में स्थापित की जानी चाहिए जिससे लाभ प्राप्त और सेवा में दक्षता सुधार हो सके। सरकार को कम्पनियों/निगमों, जो कम वित्तीय परन्तु उच्च सामाजिक आर्थिक प्रतिफलों से सम्पन्न तथा तर्कसंगत हो यदि उच्च लागत उधारों को चेनलाईज्ड किया जाना मूल्यवान हो, की पहचान करते हुए निवेशों में धन के लिए बेहतर मूल्य को सुनिश्चित करना चाहिए।


राजकोषीय शुद्धि हेतु पहल: तेरहवें वित्त आयोग ने 2014-15 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 25 प्रतिशत ऋण स्टॉक प्राप्त करने के लक्ष्य की सिफारिश की है। किन्तु राज्य बारहवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश के अनुसार 31 प्रतिशत लक्ष्य को भी प्राप्त करने में असमर्थ रहा और इसका ऋण स्टॉक 31 मार्च 2010 को सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 56 प्रतिशत रहा। अतः राज्य सरकार को अपने कार्यकलापों को बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि कम से कम तेरहवें वित्त आयोग द्वारा रखे गए लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय नियंत्रण: ₹887.80 करोड़ के अधिक व्यय का भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत नियमन करना अपेक्षित है। बजट के व्यपगत होने से रोकने हेतु निधियों का निक्षेप लेखों तथा व्यक्तिगत निक्षेप लेखों में अवरोधित निधियों के दुरुपयोग के जोखिम को बढ़ाता है तथा इसे रोकने की आवश्यकता है। व्यय को पहले ही योजनाबद्ध किया जाना चाहिए तथा वर्ष भर समान रूप से खर्च किया जाना चाहिए। वित्तीय प्रबन्धन में ऐसी कमियों को दूर करने हेतु बजटीय नियंत्रणों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

अनुश्रवण तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता: ₹93.70 करोड़ के सार आकस्मिक बिलों का दीर्घ समयाधियों हेतु समायोजित नहीं किया गया था जो दुर्विनियोजन के जोखिम को बढ़ाता है, इसलिए ध्यानपूर्वक अनुश्रवण किए जाने की आवश्यकता है।

वित्तीय विवरण: विभिन्न अनुदानग्राही संस्थाओं से ऋणों व अनुदानों के प्रति 9 वर्षों तक तथा उससे अधिक की मध्य अवधियों हेतु 26,057 मामलों के सम्बन्ध में ₹829.48 करोड़ राशि के उपयोगिता प्रमाणपत्रों को भेजने में विलम्ब हुआ। हानियों तथा दुर्विनियोजनों के दृष्टांत थे जो विभागों में नियंत्रणों की अपर्याप्तता को इंगित करते हैं जिन्हें सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। दुर्विनियोजनों तथा हानियों से सम्बन्धित मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी तंत्र को बनाए जाने की भी आवश्यकता है। लेखापरीक्षा परिणामों तथा टिप्पणियों के प्रति अपर्याप्त उत्तर के दृष्टांतों के परिणामस्वरूप उत्तरदायित्व का अपरदन हुआ और इसलिए उपयुक्त रूप से सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

पहला अध्याय
राज्य सरकार के वित्त



पहला अध्याय राज्य सरकार के वित्त

हिमाचल प्रदेश राज्य को इसके पर्वतीय भू-भाग के कारण, जिसमें अवसंरचना की असुविधा व कार्य सम्पादन लागते तथा अभिशासन की अपेक्षाकृत उच्चतर लागत अन्तर्निहित है, विशेष राज्य¹ का दर्जा प्राप्त है। इसके बावजूद विगत दशक में राज्य की आर्थिक उन्नति अच्छी रही है तथा इसका वर्ष 2000-01 से 2009-10 की अवधि हेतु सकल राज्य घरेलू उत्पाद की मिश्रित वृद्धि दर लगभग 12 प्रतिशत रही। इस अवधि के दौरान इसकी जनसंख्या 10 प्रतिशत तक (परिशिष्ट-1) बढ़ गई तथा वर्ष 2009 व 2010 के मध्य प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि भी 10 प्रतिशत रही है। राज्य सरकार के वित्तीय लेखे 19 विवरणियों में रखे जाते हैं जिसकी संरचना व रूपरेखा परिशिष्ट-1.1 में दी गई है। यह अध्याय हिमाचल प्रदेश सरकार के चालू वर्ष के दौरान वित्त के विस्तृत परिदृश्य को प्रदान करता है तथा गत पांच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों के दृष्टिगत विगत वर्ष की तुलना में मुख्य राजकोषीय पूर्णयोगों में विवेचनात्मक परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। अध्याय का परिशिष्ट 1.2 राज्य की राजकोषीय स्थिति के निर्धारणार्थ अपनाई गई कार्यपद्धति की रूपरेखा संक्षेप में प्रस्तुत करता है और परिशिष्ट-1.3 वर्ष 2005-10 की अवधि हेतु राज्य सरकार के वित्त से सम्बंधित मुख्य राजकोषीय परिवर्तनों/पैरामीटरों तथा राजकोषीय अनुपात पर समयावली आंकड़े प्रस्तुत करता है।

1.1 चालू वर्ष के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश

तालिका-1.1 विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष (2009-10) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश प्रदर्शित करती है जबकि परिशिष्ट-1.4 विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति सहित प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण प्रदान करता है।

तालिका-1.1: चालू वर्ष के राजकोषीय परिचालनों का सारांश

(₹ करोड़)

2008-09	प्राप्तियां	2009-10	2008-09	संवितरण	2009-10		
					गैर-योजनागत	योजनागत	जोड़
प्रवर्ग-क: राजस्व							
9,308	राजस्व प्राप्तियां	10,346	9,438	राजस्व व्यय	9,913 ⁵	1,238	11,151 ⁵
2,242	कर राजस्व	2,574	3,918	सामान्य सेवाएं	4,335	42	4,377
1,756	कर-भिन्न राजस्व	1,784	3,332	सामाजिक सेवाएं	3,307	595	3,902
838	संघीय करों/शुल्कों का भाग	862	2,184	आर्थिक सेवाएं	2,267	601	2,868 ⁵
4,472	भारत सरकार से अनुदान	5,126	4	सहायता अनुदान एवं अंशदान	4	-	4
प्रवर्ग-ख: पूंजीगत							
--	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	--	2,079	पूंजीगत परिव्यय	48	1,895	1,943
21	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	34	90	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	3	67	70
2,249	लोक ऋण प्राप्तियां	2,553 ⁵	885	लोक ऋण की चुकौती	--	--	867
--	आकस्मिकता निधि	--	--	आकस्मिकता निधि	--	--	--
6,760	लोक लेखा प्राप्तियां	6,821	5,690	लोक लेखा संवितरण	--	--	6,421
823	अथ रोकड़ शेष	979	979	अन्त रोकड़ शेष	--	--	281
19,161	योग	20,733	19,161	योग			20,733


¹ विशेष दर्जा न प्राप्त करने वाले राज्य जो 70 प्रतिशत अनुदान तथा 30 प्रतिशत ऋण के अनुपात में केन्द्रीय सहायता प्राप्त करते हैं के विपरीत हिमाचल प्रदेश को दिए गए विशेषाधिकारों में भारत सरकार से 90 प्रतिशत अनुदान तथा 10 प्रतिशत ऋण के अनुपात में वित्तीय सहायता सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, उद्योग को प्रेरित करने हेतु इसके शासन क्षेत्र के भीतर विनिर्माण का पुनः पता लगाने/पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण आबकारी शुल्क रियायतें भी उपलब्ध हैं।

⁵ गत वर्षों के वर्गीकरण के संशोधन हेतु बुक समायोजन (₹259.55 करोड़ + ₹21.07 करोड़) के रूप में ₹280.62 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

- विशेष दर्जे का राज्य होने से राजस्व प्राप्तियों का 50 प्रतिशत भारत सरकार से अनुदानों के रूप में आया है। यद्यपि पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2009-10 में राजस्व प्राप्तियां 11 प्रतिशत बढ़ी, राजस्व व्यय 18 प्रतिशत तक बढ़ गया।
- राज्य का स्वकीय कर राजस्व पूर्व वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में ₹332 करोड़ तक (15 प्रतिशत) बढ़ा जबकि कर-भिन्न राजस्व में दो प्रतिशत की आंशिक वृद्धि हुई। स्वकीय कर राजस्व में वृद्धि मुख्यतः अधिक बिक्री/व्यापार कर, राज्य आबकारी, वाहन कर, भूमि/परिसम्पत्ति की बिक्री पर स्टॉम्प एवं पंजीकरण फीस तथा यात्री एवं माल कर आदि के संग्रहण के कारण थी।
- राजस्व व्यय में पूर्व वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में ₹1,713 करोड़ (18 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई।
- राजस्व घाटा वर्ष 2008-09 में ₹130 करोड़ से वर्ष 2009-10 में ₹805⁵ करोड़ होने से ₹675 करोड़ (519 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई। चालू वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा पूर्व वर्ष में 0.35 की तुलना में 1.9 है। राजस्व घाटे में वृद्धि वेतन संशोधन बकाया अदायगियों, पेंशन, मंहगाई भत्ते में वृद्धि, मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी तथा ब्याज अदायगियों में वृद्धि के प्रभाव के कारण थी।
- लोक ऋण की चुकौती चालू वर्ष में निर्धारित अनुसूचियों² के अनुसार कम उधार एवं चुकौतियों के कारण कम हुई है।
- ऋण एवं अग्रियों का संवितरण पूर्व वर्ष की तुलना में घटकर 22 प्रतिशत रह गया। यह गत वर्ष हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को एक बार ही ऋण देने के कारण उच्चतर था।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में चालू वर्ष में राजकोषीय घाटा विगत वर्ष में 6.17 प्रतिशत की तुलना में 6.58 था।
- यद्यपि वर्ष 2009-10 में अथ शेष विगत वर्ष की तुलना में 19 प्रतिशत तक उच्चतर था किन्तु अन्त शेष घट कर वर्ष 2009-10 में 71 प्रतिशत रह गया।

चार्ट 1.1 कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय पैरामीटरों हेतु बजट आकलनों व वास्तविकों को प्रस्तुत करता है।

चार्ट 1.1: चयनित राजकोषीय पैरामीटर: वास्तविकों की तुलना में बजट आकलन



स्रोत: प्राप्ति व व्यय (दिसम्बर 2009) तथा वित्त लेखों की समीक्षा

² वित्त विभाग द्वारा सूचित

⁵ गत वर्षों के वर्गीकरण के संशोधन हेतु बुक समायोजन (₹259.55 करोड़ + ₹21.07 करोड़) के रूप में ₹280.62 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

चार्ट 1.1 में प्रदर्शित है कि आकलित बजट के प्रति वास्तविक कर राजस्व में ₹126 करोड़ (पांच प्रतिशत) तथा राजस्व प्राप्तियों में ₹132 करोड़ तक की कमी आई। राजस्व व्यय ₹929 करोड़ (9.09 प्रतिशत) तक उच्चतर रहा अर्थात् 2009-10 के दौरान आकलित ₹10,222 करोड़ के प्रति ₹11,151⁵ करोड़ था। चालू वर्ष में ₹257 करोड़ के राजस्व अधिशेष के आकलन के प्रति ₹805⁵ करोड़ का घाटा रहा। क्रमशः ₹1,592 करोड़ व ₹457 करोड़ के आकलित राजकोषीय घाटे तथा प्राथमिक अधिशेष के प्रति राजकोषीय घाटा तथा प्राथमिक घाटा ₹2,784 करोड़ व ₹828 करोड़ था।

2009-10 हेतु उपलब्धियों की तुलना में हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन³ अधिनियम, 2005 में निर्धारित चयनित परिवर्तनों हेतु निर्धारित मुख्य राजकोषीय लक्ष्यों तथा राजकोषीय शुद्धि पथ⁴ एवं मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी⁵ में किये गये प्रक्षेपणों के संदर्भ में वर्ष 2009-10 के दौरान राज्य का निष्पादन तालिका-1.1क में सारांशित किया गया है:

तालिका-1.1 क: चयनित परिवर्तनों हेतु मूल राजकोषीय लक्ष्य

(₹ करोड़)

राजकोषीय पूर्वानुमान	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम/ बारहवें वित्तायोग में प्रक्षेपण	राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में किए गए प्रक्षेपण		वास्तविक	निम्नलिखित की तुलना में वास्तविक की प्रतिशतता विभिन्नता		
		मध्यावधि राजकोषीय योजनागत विवरणी	राजकोषीय शुद्धि पथ		बारहवें वित्तायोग ⁶	मध्यावधि राजकोषीय योजनागत विवरणी	राजकोषीय शुद्धि पथ
स्वकीय कर राजस्व	2,569	2,700	1,943	2,574	*	4.63	*
स्वकीय कर-भिन्न राजस्व	697	1,615	828	1,784	*	*	*
गैर-योजनागत राजस्व व्यय	5,916	9,140	6,437	9,913 ⁵	*	*	*
पूंजीगत व्यय	---	1,863	1,006	1,943	*	*	*
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा (-) अधिशेष (+)	0.0 (2008-09 तक)	(+) 2.45	(-) 9	(-) 7.78	7.78	10.23	*
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+)	3.0 (2008-09 तक)	3.54	4.46	(-) 6.58	9.58	10.12	11.04
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में समेकित ऋण (प्रत्याभूतियों सहित)	31 (2009-10 तक)	54	74	61	30	7	*
राज्य के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में बकाया प्रत्याभूतियां	80	25	68	21	*	*	*

* लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया।

- यद्यपि मध्यावधि राजकोषीय योजनागत विवरणी, राजकोषीय शुद्धि पथ तथा बारहवें वित्त आयोग के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम में राजस्व एवं राजकोषीय घाटे के स्तर को प्राप्त करने हेतु निर्धारित लक्ष्यों को वर्ष 2007-08 में प्राप्त कर लिया था (अर्थात् 2008 की समय सीमा से पहले), राज्य को वर्ष 2008-09 व 2009-10 के दौरान पुनः राजस्व एवं राजकोषीय घाटे का सामना करना पड़ा। यह निरंतर सामान्य आर्थिक मंदी तथा प्रति चक्रीय राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों को न करने के प्रभाव के कारण था।

⁵ गत वर्षों के वर्गीकरण के संशोधन हेतु बुक समायोजन (₹259.55 करोड़ + ₹21.07 करोड़) के रूप में ₹280.62 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

³ हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन

⁴ राजकोषीय शुद्धि पथ

⁵ मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी

⁶ बारहवां वित्त आयोग

- राज्य का राजस्व घाटा वर्ष 2008-09 में ₹130 करोड़ था जो चालू वर्ष में बढ़कर ₹805⁵ करोड़ (519 प्रतिशत) हो गया। इसी भांति राजकोषीय घाटा भी 2008 में ₹2278 करोड़ से चालू वर्ष में ₹2,784 करोड़ की वृद्धि से ₹506 करोड़ हो गया (अर्थात् सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 6.58 प्रतिशत) जो उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए प्रक्षेपणों से बहुत उच्चतर है।
- राज्य का समेकित ऋण, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 61 प्रतिशत है, बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 31 प्रतिशत के लक्ष्य से भी उच्चतर है जो वर्ष 2009-10 तक प्राप्त किया जाना था।
- ऋण समेकन एवं राहत सुविधा के अंतर्गत बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार ऋण माफी घटक विद्यमान था। भारत सरकार द्वारा ऋण माफी राज्यों के राजस्व घाटे को कम करने से सम्बन्धित राजकोषीय निष्पादन पर आधारित प्रदान की जाती है। यह देखा गया कि राज्य सरकार निर्धारित मानकों के अनुसार राजस्व घाटे में कमी न कर पाने के कारण वित्तीय वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 हेतु ₹65.75 करोड़ के ऋण माफी का लाभ उठाने में विफल रही। राज्य सरकार ने बताया (सितम्बर 2010) कि ऋण माफी घटक में ऐसे कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राजकोषीय समेकनार्थ बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशें स्पष्ट थीं और भारत सरकार ने भी वर्ष 2006-10 हेतु ऋण समेकन एवं राहत सुविधा की एक स्कीम को सूत्रबद्ध किया था।

बजट भाषण वर्ष 2009-10 में की गई वचनबद्धताएं

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में वर्ष 2009-10 में राजकोषीय समेकनार्थ निम्नांकित वचनबद्धता की थी:

- उधारों का स्टॉक ₹23,000 करोड़ तक सीमित किया जाएगा (अर्थात् वर्ष 2009-10 में लगभग ₹1,500 करोड़ पर आकलित निवल अतिरिक्त उधारों के पश्चात्);
- वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2008-09 में ₹36,940 करोड़ से ₹45,000 करोड़ से अधिक बढ़ाया जाएगा;
- वर्ष 2008-09 हेतु आकलित ₹44,803 प्रति व्यक्ति आय के प्रति ₹50,000 प्रति व्यक्ति आय से अधिक होगी।

तथ्यि, 2009-10 के वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर राज्य के बकाया उधारों में ₹713 करोड़ की वृद्धि हुई तथा ₹23,713 करोड़ हो गए जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹42,278 करोड़ पर रहा। प्रति व्यक्ति आय का स्तर ₹49,211 पर रहा और अपेक्षित स्तर को भी प्राप्त नहीं हुआ किन्तु लक्ष्य के निकट रहा।

1.2 राज्य के संसाधन

1.2.1 वार्षिक वित्त लेखों के अनुसार राज्य के संसाधन


राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों के दो प्रवाह⁷ हैं जो राज्य सरकार के संसाधनों का गठन करते हैं।

तालिका-1.1 चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती है जैसा कि इसके वार्षिक वित्त लेखों में अभिलिखित है जबकि चार्ट 1.2 राज्य के वर्ष 2005-10 के दौरान प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करता है। चार्ट 1.3 चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों के संयोजन को दर्शाता है।


⁵ गत वर्षों के वर्गीकरण के संशोधन हेतु बुक समायोजन (₹259.55 करोड़ + ₹21.07 करोड़) के रूप में ₹280.62 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

⁷ राजस्व प्राप्तियां: इनमें स्वकीय कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संधीय करों व शुल्कों का राज्यांश तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान सम्मिलित हैं।
पूंजीगत प्राप्तियां: इनमें ऋणों व अग्रिमों की विनिवेश वसूली से प्राप्ति, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्ति अर्थात् बाजारी ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार तथा लोक लेखे से अर्जित के साथ-साथ भारत सरकार से ऋण व अग्रिम सम्मिलित हैं।

चार्ट 1.2: प्राप्तियों की प्रवृत्तियां



चार्ट 1.3: वर्ष 2009-10 के दौरान प्राप्तियों का संयोजन



उपरोक्त चार्ट प्रदर्शित करते हैं कि विगत वर्ष की अपेक्षा 2009-10 में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों में ₹18,338 करोड़ से ₹19,754⁵ करोड़ तक आठ प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। जिसमें से 52 प्रतिशत (₹10,346 करोड़) राजस्व प्राप्तियों से प्राप्त हुए, शेष 48 प्रतिशत उधारों (13 प्रतिशत) तथा लोक लेखे (35 प्रतिशत) से प्राप्त हुए। राज्य की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अंश 2005-06 में 49 प्रतिशत से 2009-10 में 52 प्रतिशत तक बढ़ गया। दूसरी ओर पूंजीगत प्राप्तियां (बाजार उधारों एवं एनएसएसएफ को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां) लोक लेखा प्राप्तियों सहित 2005-10 के दौरान कुल प्राप्तियों के 47 तथा 51 प्रतिशत के मध्य थी। राजस्व प्राप्तियां 2005-06 में ₹6,559 करोड़ से 2009-10 में ₹10,346 करोड़ तक 58 प्रतिशत तक स्थिरतापूर्वक बढ़ गई जबकि ऋण पूंजीगत प्राप्तियां 2005-06 में ₹1,803 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 14 प्रतिशत) से 2009-10⁸ में ₹ 2,587⁵ करोड़ (कुल प्राप्तियों का 13 प्रतिशत) तक बढ़ गई। लोक लेखा प्राप्तियां 2005-06 में ₹4,933 करोड़ से 2009-10 में ₹6,821 करोड़ तक स्थिरतापूर्वक बढ़ गई जो कुल प्राप्तियों का 35 तथा 37 प्रतिशत के मध्य थी।

1.2.2 राज्य बजटों से बाहर राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को अंतरित की गई निधियां

केन्द्रीय सरकार विवेचनात्मक रूप से पहचानित सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों⁹ को प्रत्यक्ष रूप से काफी बड़ी मात्रा में निधियों का अंतरण कर रही

⁵ गत वर्षों के वर्गीकरण के संशोधन हेतु बुक समायोजन (₹259.55 करोड़ + ₹21.07 करोड़) के रूप में ₹280.62 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

⁸ 2006-07 में ऋण पूंजीगत प्राप्तियां ₹2103 करोड़; 2007-08 में ₹1875 करोड़ तथा 2008-09 में ₹2270 करोड़ थी।

⁹ राज्य कार्यान्वयन अभिकरण में गैर-सरकारी संगठनों सहित कोई भी संगठन/संस्था शामिल है जिसे राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति के लिए प्राधिकृत किया गया है अर्थात् सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन संस्था तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आदि हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन।

है। क्योंकि इन निधियों को राज्य बजट/राज्य कोष प्रणाली के माध्यम से नहीं भेजा जाता है, वार्षिक वित्त लेखे इन निधियों के प्रवाह को चित्रित नहीं करते हैं तथा उस सीमा तक राज्य की प्राप्तियों एवं व्यय तथा उनसे व्युत्पन्न अन्य राजकोषीय परिवर्तनों/पैरामीटरों का कम आकलन किया है। 2009-10 के दौरान भारत सरकार ने राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों (परिशिष्ट-1.5 में विवरणित) को प्रत्यक्ष रूप से लगभग ₹923.48 करोड़ की राशि का अंतरण किया है। मुख्य कार्यक्रमों/स्कीमों को दी गई महत्वपूर्ण राशियों को तालिका-1.2 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका-1.2: राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित निधियां

(₹ करोड़)

क्रमांक	कार्यक्रम/स्कीम का नाम	राज्य में कार्यान्वयन अभिकरण का नाम	2009-10 के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी की गई कुल निधियां
1.	सर्व शिक्षा अभियान	मिशन निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान	86.08
2.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	395.43
3.	इन्दिरा आवास योजना	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	18.64
4.	त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	प्रमुख अभियन्ता	127.82
5.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	प्रमुख अभियन्ता	53.96
6.	एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	35.61
योग			717.54

स्रोत: सीजीए की वेबसाइट का केन्द्रीय योजना स्कीम अनुश्रवण तंत्र

तालिका 1.2 प्रदर्शित करती है कि ₹395.43 करोड़ (अन्तरित कुल निधियों का 43 प्रतिशत) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम, ₹127.82 करोड़ (14 प्रतिशत) त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम हेतु और ₹86.08 करोड़ (नौ प्रतिशत) सर्व शिक्षा अभियान को दिए गए थे। इस प्रकार, वर्ष 2009-10 के दौरान भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष रूप से ₹923.48 करोड़ के अंतरण से राज्य संसाधनों की कुल उपलब्धता ₹19,754 करोड़ से बढ़कर ₹20,677 करोड़ हो गई। उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अन्तरित निधियों के अनुश्रवणार्थ कोई भी एजेंसी नहीं है और न ही कोई तत्काल उपलब्ध ब्यौरा तैयार है जिससे पता चल पाए कि मुख्य फलैगशिप स्कीमों व अन्य महत्वपूर्ण स्कीमों, जो राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है तथा भारत सरकार द्वारा सीधे निधियन हो रहा है, पर किसी विशेष वर्ष में वास्तविक रूप में कितना व्यय हुआ है और इन निधियों हेतु राज्य सरकार के उत्तरदायित्व को निर्धारित करने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा इन निधियों की प्रयुक्ति का सत्यापन नहीं किया जा सका।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम: भारत सरकार ने वर्ष 2009-10 के दौरान राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (ग्रामीण विकास विभाग) को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत ₹395.43 करोड़ जारी किए जिसकी पुष्टि एजेंसी द्वारा भी की गई थी किन्तु ₹19.93 करोड़ इसकी अप्रैल 2010 में प्राप्ति के कारण वर्ष 2010-11 के दौरान लेखाबद्ध किए गए।


त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम: त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 के दौरान भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग) को ₹127.82 करोड़ जारी किए किन्तु राज्य

कार्यान्वयन एजेन्सी ने वर्ष 2009-10 हेतु भारत सरकार से केवल ₹123.19 करोड़ की प्राप्ति की पुष्टि की और ₹15.33 करोड़ जारी करने को लंबित दर्शाए। इस प्रकार, ₹10.70 करोड़ का अन्तर था जिसकी भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत एवं जारी निधियों के मध्य समाधान करने की आवश्यकता है।


1.3 राजस्व प्राप्तियां

वित्त लेखों की विवरणी-11 सरकार की राजस्व प्राप्तियों का ब्यौरा देती है। राजस्व प्राप्तियों में इसका स्वकीय कर व कर-भिन्न राजस्व, केन्द्रीय कर अंतरण तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान शामिल है। 2005-10 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां एवं संयोजन को परिशिष्ट-1.3 में प्रस्तुत किया गया है तथा क्रमशः चार्ट 1.4 तथा 1.5 में भी चित्रित किया गया है।

चार्ट 1.4: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां



चार्ट 1.5: वर्ष 2005-10 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का संयोजन



राजस्व प्राप्तियां 20 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर पर 2005-06 में ₹6,559 करोड़ से 2008-09 में ₹9,308 करोड़ तक शीघ्रता से बढ़ी, किन्तु वर्ष 2009-10 के दौरान इसने 11.15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। कर-भिन्न राजस्व के अंश एवं भारत सरकार से सहायता अनुदान में विगत वर्ष की अपेक्षा क्रमशः दो प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित हुई।

जबकि 2009-10 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 42 प्रतिशत राज्य के स्वकीय संसाधनों से प्राप्त हुआ है जिसमें कर एवं कर-भिन्न शामिल है, शेष 58 प्रतिशत केन्द्रीय अन्तरणों द्वारा अंशदान किया गया जिसमें केन्द्रीय करों एवं शुल्कों (आठ प्रतिशत) का राज्यांश तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान (50 प्रतिशत) शामिल है।

केन्द्रीय कर अंतरण: केन्द्रीय कर अंतरणों में 2008-09 में ₹838 करोड़ से 2009-10 में ₹862 करोड़ तक ₹24 करोड़ की वृद्धि हुई तथा वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों का आठ प्रतिशत संस्थापित हुआ। वृद्धि निगम कर (₹80 करोड़) तथा निगम कर के अतिरिक्त आय कर (₹25 करोड़) के कारण हुई जो सीमा शुल्क (₹40 करोड़) व संघीय आबकारी शुल्क (₹43 करोड़) में कमी द्वारा प्रति संतुलित हुई।

सहायता अनुदान: भारत सरकार से सहायता अनुदान में वृद्धि 2008-09 में ₹4,472 करोड़ से 2009-10 में ₹5,126 करोड़ तक होने से ₹654 करोड़ रही।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बन्धित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां नीचे तालिका-1.3 में प्रदर्शित की गई हैं:

तालिका 1.3: सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बन्धित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़)	6,559	7,835	9,142	9,308	10,346
राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर (प्रतिशत)	41.51	19.45	16.68	1.82	11.15
राजस्व प्राप्ति/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	25.54	27.40	28.37	25.21	24.47
उत्प्लावकता अनुपात¹⁰					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बन्धित राजस्व उत्प्लावकता	3.657	1.720	1.313	0.124	0.769
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में राज्य का स्वकीय कर	1.72	0.94	1.44	0.99	1.02

राज्य की राजस्व प्राप्तियां 18.12 प्रतिशत की औसत दर पर 2005-06 में ₹6,559 करोड़ से बढ़कर 2009-10 में ₹10,346 करोड़ हो गई। वर्ष 2005-10 के दौरान कर-भिन्न राजस्व व भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों में कमी के कारण 2008-09 में तीव्र गिरावट (1.82 प्रतिशत) सहित 2005-06 में 41.51 प्रतिशत से 2009-10 में 11.15 प्रतिशत तक वृद्धि दर में स्थिर कमी थी। इसके अतिरिक्त, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व तथा राज्य के स्वकीय कर के उत्प्लावकता अनुपात में विगत वर्ष की अपेक्षा 2009-10 के दौरान क्रमशः 0.12 से 0.77 तक तथा 0.99 से 1.02 तक की वृद्धि हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रति एक प्रतिशत की वृद्धि हेतु राजस्व 0.8 प्रतिशत तक बढ़ा जो राज्य में कर प्रयासों को बढ़ाये जाने की आवश्यकता को इंगित करता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सम्बन्ध में राज्य के स्वकीय कर उत्प्लावकता कर-भिन्न राजस्व के कारण राजस्व उत्प्लावकता की अपेक्षा उच्चतर था क्योंकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता चालू वर्ष में 2008-09 में 4.76 प्रतिशत से 4.22 प्रतिशत तक नीचे आ गई है।

1.3.1 राज्य के स्वकीय संसाधन

केन्द्रीय करों तथा सहायता अनुदान में राज्यांश की गणना वित्तायोग की सिफारिशों, केन्द्रीय कर प्राप्तियों के संग्रहण तथा योजनागत स्कीमों आदि हेतु केन्द्रीय सहायता के आधार पर की जाती है, अतिरिक्त संसाधनों की गतिशीलता में राज्य के निष्पादन का निर्धारण इसके स्वकीय संसाधनों के अनुसार किया जाना चाहिए जिसमें इसके स्वकीय कर एवं कर-भिन्न संसाधनों से राजस्व सम्मिलित है।

¹⁰ उत्प्लावकता अनुपात मूल अस्थिरता में दिए गए परिवर्तन के सम्बन्ध में राजकोषीय अस्थिरता की अनुक्रियाशीलता की प्रत्यास्थता अथवा अवस्था को इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.6 की राजस्व उत्प्लावकता का अर्थ है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत वृद्धि होती है तो राजस्व प्राप्तियां 0.6 प्रतिशत बिन्दुओं तक वृद्धि की ओर अभिमुख होंगी।

कर राजस्व

राज्य का कर राजस्व 2005-06 में ₹1,497 करोड़ से 2009-10 में ₹2,574 करोड़ तक 16 प्रतिशत वार्षिक औसत दर से बढ़ा। 2009-10 के दौरान राज्य के स्वकीय कर में मुख्य अंशदान बिक्री, व्यापार पर कर आदि: ₹1,487 करोड़ (कर राजस्व का 58 प्रतिशत), राज्य आबकारी: ₹500 करोड़ (कर राजस्व का 19 प्रतिशत), वाहन कर: ₹134 करोड़ (कर राजस्व का पांच प्रतिशत), स्टॉम्प एवं पंजीकरण फीस: ₹113 करोड़ (कर राजस्व का चार प्रतिशत) तथा माल व यात्री कर: ₹89 करोड़ (कर राजस्व का तीन प्रतिशत) से है। बिक्री कर, व्यापार आदि तथा राज्य आबकारी के संग्रहण में विगत वर्ष की अपेक्षा 2009-10 में क्रमशः ₹241 करोड़ तथा ₹68 करोड़ तक की वृद्धि हुई।

कर-भिन्न राजस्व

दूसरी ओर कर-भिन्न राजस्व में 2005-06 में ₹690 करोड़ से 2007-08 में ₹1,823 करोड़ तक 48 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर पर स्थिर वृद्धि दिखाई दी परन्तु 2008-09 के दौरान ₹1,756 करोड़ तक (चार प्रतिशत) की कमी हुई। तथापि, 2009-10 के दौरान इसमें विगत वर्ष की अपेक्षा पुनः ₹1,784 करोड़ (दो प्रतिशत) की वृद्धि हुई। राज्य के कर-भिन्न राजस्व में 2009-10 के दौरान मुख्य अंशदाता विद्युत क्षेत्र: ₹1,215 करोड़ (कर-भिन्न राजस्व का 68 प्रतिशत), ब्याज प्राप्तियां, लाभांश एवं लाभ: ₹150 करोड़ (कर-भिन्न राजस्व का आठ प्रतिशत) था। यद्यपि 2009-10 में कर-भिन्न राजस्व में ये मुख्य अंशदाता थे, किन्तु विगत वर्ष की अपेक्षा विद्युत क्षेत्र तथा ब्याज, लाभांश एवं लाभ में क्रमशः ₹40 करोड़ तथा ₹18 करोड़ की कमी आई।

मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में किए गए प्रक्षेपणों (₹2,700 करोड़ तथा ₹1,615 करोड़) की तुलना में राज्य के स्वकीय करों (₹2,574 करोड़) की वास्तविक वसूली पांच प्रतिशत तक कम थी तथा कर-भिन्न राजस्व (₹1,784 करोड़) 10 प्रतिशत तक अधिक था। राज्य का स्वकीय कर/कर-भिन्न राजस्व बारहवें वित्तायोग (₹2,569 करोड़ तथा ₹697 करोड़) एवं राजकोषीय शुद्धि पथ (₹1,943 करोड़ तथा ₹828 करोड़) में किए गए प्रक्षेपण में क्रमशः 0.2 तथा 156 प्रतिशत तक और 32 तथा 115 प्रतिशत तक उच्चतर था (परिशिष्ट 1.2)।

माल एवं सेवाओं की आपूर्ति में लागत वसूली (राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्तियां) का चालू स्तर निम्नांकित तालिका में प्रदर्शित है:

तालिका 1.4: वसूली लागत का चालू स्तर

(₹ करोड़)

क्रमांक	विभाग	2005-06			2009-10		
		प्राप्ति	व्यय	प्रतिशतता	प्राप्ति	व्यय	प्रतिशतता
1.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	5.37	344.84	1.56	5.90	609.68	0.97
2.	लघु सिंचाई	0.54	84.14	0.64	0.80	208.47	0.38
3.	माध्यमिक शिक्षा	33.40	443.28	7.53	3.85	638.04	0.60
4.	विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा	2.78	72.72	3.82	4.46	137.88	3.23
5.	विद्युत	251.47	120.68	208.38	1214.80	185.33*	655.48
6.	सड़क परिवहन	0.02	51.93	0.04	0.04	58.48	0.07

स्रोत: वित्त लेखे

* इसमें ₹21.07 करोड़ सम्मिलित है जिसे अब राज्य सरकार के मुख्य शीर्ष 6003-आंतरिक ऋण में सही रूप में वर्गीकृत किया गया है ताकि गत वर्षों के ऋण के गलत वर्गीकरण को ठीक किया जा सके।

राज्य के मुख्य विभागों हेतु व्यय-प्राप्ति अनुपात को देखने से विदित होता है कि उपरोक्त सभी विभागों में वर्ष 2005-06 तथा 2009-10 के मध्य स्थिति खराब रही क्योंकि व्यय में प्रबल वृद्धि हुई जबकि प्राप्ति में विद्युत को छोड़कर केवल आंशिक वृद्धि रही।

1.3.2 कर के अपवंचन, बट्टे खाते में डालने/माफी, प्रत्यर्पण एवं राजस्व बकायों के कारण राजस्व हानि

आबकारी एवं कराधान विभाग ने बहुत से अनुरोधों के बावजूद लम्बित, निरूपित, बिक्री कर, राज्य आबकारी, यात्री एवं माल कर के सम्बन्ध में लगाई गई शास्ति के मामलों तथा राजस्व बकायों के विश्लेषण का ब्यौरा उपलब्ध नहीं करवाया।

प्रत्यर्पण: आबकारी एवं कराधान विभाग में वर्ष 2009-10 के आरम्भ में लम्बित प्रत्यर्पण, प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत प्रत्यर्पणों के मामलों की संख्या का ब्यौरा निम्नांकित है:

तालिका 1.5: बकाया प्रत्यर्पण मामले

(₹ करोड़)

क्रमांक	विवरण	बिक्री कर		राज्य आबकारी	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्षारम्भ में बकाया दावे	23	0.61	0	0
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	17	0.92	5	0.17
3.	वर्ष के दौरान किए गए प्रत्यर्पण	23	0.73	4	0.06
4.	वर्षान्त पर बकाया शेष	17	0.80	1	0.11

स्रोत: विभागीय आंकड़े

संग्रहण लागत

वर्ष 2009-10 के दौरान बिक्री, व्यापार कर ₹15.06 करोड़, राज्य आबकारी ₹5.06 करोड़, वाहन, माल व यात्री कर ₹2.53 करोड़ तथा स्टॉम्प शुल्क व पंजीकरण फीस ₹1.02 करोड़ के संग्रहण पर व्यय था। सकल संग्रहण के प्रति व्यय की प्रतिशतता क्रमशः 1.01, 1.01, 1.14 व 0.90 थी। राज्य में सकल संग्रहण के प्रति व्यय की प्रतिशतता बिक्री, व्यापार आदि पर करों के मामले को छोड़कर, अखिल भारतीय औसत से नीचे रही जो वर्ष 2009-10 हेतु संग्रहण की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से 0.13 प्रतिशत उच्चतर थी। कम से कम अखिल भारतीय औसत प्राप्ति हेतु व्यय को घटाने के लिए प्रयत्न किये जाने की आवश्यकता है।


1.4 संसाधनों का उपयोग

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के आवंटन का विश्लेषण महत्व रखता है क्योंकि मुख्य व्यय का उत्तरदायित्व उनको सौंपा गया है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के ढांचे के भीतर घाटे अथवा उधार द्वारा वित्तपोषित लोक व्यय जुटाने में बजटीय प्रतिबन्ध हैं। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर चालू राजकोषीय शुद्धि तथा समेकन प्रक्रिया व्यय की लागत, विशेषकर विकास एवं सामाजिक क्षेत्रों को निर्दिष्ट व्यय पर नहीं है।

1.4.1 व्यय की वृद्धि एवं संघटन

चार्ट 1.6 पांच वर्षों (2005-10) की अवधि के कुल व्यय की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है तथा 'आर्थिक वर्गीकरण' एवं 'कार्यकलापों द्वारा व्यय' दोनों के सम्बन्ध में इसका संघटन क्रमशः चार्ट 1.7 तथा 1.8 में चित्रित किया गया है।

चाट 1.6: कुल व्यय: प्रवृत्तियां एवं संघटन



- राज्य का कुल व्यय¹¹ 2005-06 में ₹7,301 करोड़ से 2009-10 में ₹13,164 करोड़ तक 15 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर पर बढ़ गया और विगत वर्ष की तुलना में 2009-10 में 13 प्रतिशत (₹1,557 करोड़) की वृद्धि हुई। विगत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2009-10 के दौरान कुल व्यय में ₹1,557 करोड़ की वृद्धि राजस्व व्यय में ₹1,713 करोड़ तक की वृद्धि के कारण थी जबकि पूंजीगत व्यय और ऋणों व अग्रिमों के संवितरणों में क्रमशः ₹136 करोड़ तथा ₹20 करोड़ की कमी हुई।
- राजस्व व्यय 2005-06 में ₹6,466 करोड़ से बढ़कर 2009-10 में 14 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर पर ₹11,151⁵ करोड़ हो गया। विगत वर्ष की तुलना में 2009-10 के दौरान राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्यतः सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति (₹350 करोड़), जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास (₹51 करोड़), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹128 करोड़), सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार (₹31.98 करोड़), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण (₹4.93 करोड़), तथा आर्थिक क्षेत्र में कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलापों में (₹354.51 करोड़), परिवहन (₹201.85 करोड़), ऊर्जा (₹80.75* करोड़), ग्रामीण विकास (₹27.86 करोड़), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (₹17.87 करोड़) पर व्यय के कारण थी।
- पूंजीगत व्यय 34 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर पर 2005-06 में ₹821 करोड़ से बढ़कर 2008-09 में ₹2,079 करोड़ हो गया किन्तु विगत वर्ष की अपेक्षा 2009-10 के दौरान ₹136 करोड़ तक (सात प्रतिशत) कम हुआ। पूंजीगत व्यय के प्राथमिकीकरण हेतु वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम में विशिष्ट मानकों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। सामाजिक क्षेत्र में जलापूर्ति एवं स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास (₹308.90 करोड़), शिक्षा (₹157.46 करोड़) तथा आर्थिक क्षेत्र में परिवहन (₹588.98 करोड़), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (₹287.77 करोड़) तथा विद्युत परियोजनाएं (₹210.61 करोड़) लाभार्थी क्षेत्र थे जहां पूंजीगत व्यय किया गया था। ऋण एवं अग्रिमों ने कुल व्यय का 70 करोड़ ₹(0.53 प्रतिशत) संगठित किया जो विगत वर्ष की अपेक्षा ₹20 करोड़ कम थे।

⁵ गत वर्षों के वर्गीकरण के संशोधन हेतु बुक समायोजन (₹259.55 करोड़ + ₹21.07 करोड़) के रूप में ₹280.62 करोड़ की राशि सम्मिलित है।


¹¹ वित्त लेखे की विवरणी-12 तथा 13 लघु शीर्ष द्वारा क्रमशः विस्तृत राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय को चित्रित करती हैं। राज्य अपने प्रभुसत्ता-सम्पन्न कार्यों को पूरा करने, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं को प्रदान करने के अपने विद्यमान स्वरूप का अनुरक्षण करने, पूंजीगत व्यय एवं निवेशों द्वारा इन सेवाओं के नेटवर्क का प्रसार करने तथा अपने ऋण सेवा दायित्वों को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाते हैं।

इसमें ₹21.07 करोड़ सम्मिलित है जिसे अब राज्य सरकार के मुख्य शीर्ष 6003-आंतरिक ऋण में सही रूप में वर्गीकृत किया गया है ताकि गत वर्षों के ऋण के गलत वर्गीकरण को ठीक किया जा सके।


1.4.2 कार्यकलापों द्वारा कुल व्यय की प्रवृत्तियां

कार्यकलापों के सम्बन्ध में कुल व्यय को ब्याज भुगतान, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं, सहायता अनुदान तथा ऋण एवं अग्रिमों सहित सामान्य सेवाओं पर संघटित व्यय के रूप में माना जाएगा। कुल व्यय में इन घटकों के प्रासंगिक भाग को क्रमशः चार्ट 1.7 व 1.8 में इंगित किया गया है।

चार्ट 1.7: कुल व्यय: इसके घटकांशों की प्रवृत्तियां



चार्ट 1.8: कुल व्यय: 'क्रियाकलापों' द्वारा प्रवृत्तियां



व्यय के इन घटकों के प्रासंगिक भाग की गति से प्रदर्शित हुआ कि व्यय के सभी घटकों में अन्तः वार्षिक विभिन्नताएं थी। सामान्य सेवाओं (ब्याज भुगतानों सहित) पर व्यय, जिसे अविकासात्मक के रूप में माना जाता है, लगातार बराबर 2005-06 में 39.31 प्रतिशत से 2009-10 में 33.73 प्रतिशत तक घट गया। दूसरी ओर विकासात्मक व्यय अर्थात् सामाजिक एवं आर्थिक सेवा पर लगातार 2008-09 में 65 प्रतिशत के प्रति 2009-10 में 66 प्रतिशत लेखाबद्ध किया गया। आर्थिक सेवाओं तथा सामाजिक सेवाओं के भाग में उपात्तीय वृद्धि मुख्यतया सामान्य शिक्षा (₹344 करोड़), परिवहन (₹202 करोड़) तथा कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलापों (₹354.51 करोड़) के व्यय में वृद्धि के कारण थी।

1.4.3 राजस्व व्यय का प्रभाव

राजस्व व्यय का कुल व्यय में सर्वाधिक भाग होता है। इसे सेवाओं तथा भुगतानों को चालू स्तर पर रखने, विगत दायित्वों हेतु खर्च किया जाता है तथा इस प्रकार यह राज्य की अधोसंरचना एवं सेवा नेटवर्क के लिए किसी प्रकार की वृद्धि में परिणत नहीं होता। समग्र राजस्व व्यय इसकी वृद्धि दर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा राजस्व प्राप्तियों के प्रति राजस्व व्यय का अनुपात तथा इसकी उत्प्लावकता को परिशिष्ट-1.3 में इंगित किया गया है। गैर-योजनागत राजस्व व्यय 2005-06 में ₹5,284 करोड़ से बढ़कर 2009-10 में 16 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर पर ₹9,913⁵ करोड़ और योजनागत राजस्व व्यय 2008-09 में ₹877 करोड़ से बढ़कर 2009-10 में ₹1,238 करोड़ हो गया। योजनागत तथा गैर-योजनागत व्यय के अनुसार 2009-10 के दौरान कुल व्यय के विखण्डन से उद्घाटित हुआ कि गैर-योजनागत व्यय का प्रमुख भाग ₹9,964⁵ करोड़ (कुल व्यय का 76 प्रतिशत) था जबकि शेष ₹3,200 करोड़ (24 प्रतिशत) योजनागत व्यय के रूप में था।

राजस्व व्यय 2008-09 में ₹9,438 करोड़ से 2009-10 में ₹11,151⁵ करोड़ तक 18 प्रतिशत बढ़ गया। गैर-योजनागत राजस्व व्यय ने 2005-10 की अवधि में 15.61 प्रतिशत की औसत दर से अंतर्वर्षीय विभिन्नता दिखाई है तथा लगातार सर्वाधिक अनुपात में हिस्सा जारी रहा जो राजस्व व्यय के 82-91 प्रतिशत के मध्य परिवर्ती था। चालू वर्ष के दौरान गैर-योजनागत राजस्व व्यय में ₹1,352 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः शिक्षा (₹288 करोड़), ब्याज भुगतानों (₹62 करोड़), पेंशन (₹194 करोड़), वेतन एवं मजदूरी (₹832 करोड़) तथा स्थानीय निकायों को सहायता (₹136 करोड़) में वृद्धि के कारण थी।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति गैर-योजनागत राजस्व व्यय का अनुपात 2005-10 के दौरान 20.57 प्रतिशत से 23.45 प्रतिशत तक बढ़ गया। गैर-योजनागत राजस्व व्यय के प्रति राजस्व व्यय की उत्प्लावकता 2005-06 में 1.19 प्रतिशत से 2008-09 में 0.67 प्रतिशत कम हो गई किन्तु 2009-10 में 1.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में इसमें 2008-09 में 7.59 से 2009-10 तक 1.63 की कमी रही। अन्य शब्दों में राजस्व प्राप्ति में प्रति एक प्रतिशत वृद्धि हेतु 2009-10 में गैर-योजनागत राजस्व व्यय 1.63 प्रतिशत तक बढ़ गया। गैर-योजनागत राजस्व व्यय राज्य सरकार द्वारा राजकोषीय शुद्धि पथ (₹6,437 करोड़) तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी (₹9,140 करोड़) में किये गये निर्धारण से न केवल अधिक रहा बल्कि बारहवें वित्तायोग (₹5,916 करोड़) द्वारा 2009-10 हेतु ₹3,997 करोड़ (68 प्रतिशत) तक किये गये मानकीय निर्धारण से भी अधिक रहा।

दूसरी ओर योजनागत राजस्व व्यय में 2005-06 में 20.86 प्रतिशत से परिवर्ती उतार-चढ़ाव प्रदर्शित हुआ है तथा 2006-07 में 12.10 प्रतिशत तक की कमी आई जो 2007-08 में (9.28 प्रतिशत) तथा 2008-09 के दौरान (27.04 प्रतिशत) ऋणात्मक हो गया। तथापि, यह 2009-10 के दौरान ₹361 करोड़ बढ़ गया तथा विगत वर्ष की तुलना में 41.16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

1.4.4 वचनबद्ध व्यय

राजस्व लेखे में राज्य सरकार के वचनबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन तथा उपदान का मुख्यतया समावेश होता है। तालिका-1.6 तथा चार्ट 1.9 इन घटकों पर क्रमशः 2005-10 एवं 2007-10 के दौरान व्यय की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करते हैं।

⁵ गत वर्षों के वर्गीकरण के संशोधन हेतु बुक समायोजन (₹259.55 करोड़ + ₹21.07 करोड़) के रूप में ₹280.62 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

तालिका-1.6: वचनबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़)


वचनबद्ध व्यय के घटक	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	
					बजट आकलन	वास्तविक
वेतन एवं मजदूरी, जिसमें से	2,515 (38)	3,057 (39)	3,577 (39)	3,940 (42)	3,881	4,788 (46)
गैर-योजनागत शीर्ष	2,115 (32)	2,577 (33)	3,173 (35)	3,813 (41)	-	4,645 (45)
योजनागत शीर्ष*	400 (6)	480 (6)	404 (4)	127 (1)	-	143 (1)
ब्याज अदायगियां	1,563 (24)	1,669 (21)	1,703 (17)	1,894 (20)	2,053	1,956 (19)
पेंशन पर व्यय	670 (10)	912 (12)	949 (10)	1,154 (12)	1,299	1,348 (13)
उपदान	142 (2)	343 (4)	328 (4)	369 (4)	347	403 (4)
योग	4,890	5,981	6,557	7,357		8,495

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय

लघु कोष्ठकों के आंकड़े राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता को दर्शाते हैं

*केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत योजना शीर्ष में वेतन एवं मजदूरी भी सम्मिलित है।

चार्ट 1.9: 2007-10 के दौरान गैर-योजनागत राजस्व व्यय में वचनबद्ध व्यय का अंश
(लेबलों में मूल्य ₹ करोड़)



2009-10 के दौरान अकेले वेतन एवं मजदूरी पर व्यय राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 46 प्रतिशत से अधिक लेखाबद्ध था। इसमें 2008-09 में ₹3,940 करोड़ से 2009-10 में ₹4,788 करोड़ तक की लगभग 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गैर-योजनागत शीर्ष के अंतर्गत 2009-10 के दौरान वेतन व्यय विगत वर्ष की अपेक्षा ₹832 करोड़ (22 प्रतिशत) तक बढ़ गया जबकि योजनागत शीर्ष पर वेतन व्यय विगत वर्ष की अपेक्षा ₹16 करोड़ (12.6 प्रतिशत) तक घट गया। गैर-योजनागत वेतन व्यय 2005-10 के दौरान कुल व्यय का 84.10 तथा 97.01 प्रतिशत के मध्य था। वेतन व्यय चालू वर्ष के दौरान मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी (₹3,748 करोड़) तथा राजकोषीय शुद्धि पथ (₹2,811 करोड़) में किये गये प्रक्षेपणों से बढ़ गया। वेतन व्यय निवल ब्याज तथा पेंशन भुगतानों के राजस्व व्यय का 61 प्रतिशत है जो बारहवें वित्तायोग द्वारा सिफारिश किये गये 35 प्रतिशत के मानक की तुलना में बहुत उच्चतर है जिसमें राज्य सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

● पेंशन भुगतान

पेंशन भुगतानों पर व्यय 2005-06 में ₹670 करोड़ से 2009-10 में ₹1,348 करोड़ तक 101 प्रतिशत तथा चालू वर्ष के दौरान 194 करोड़ तक बढ़ गया जिसमें विगत वर्ष की अपेक्षा 17 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई। पेंशन भुगतानों में 2009-10 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 13 प्रतिशत लेखाबद्ध था। चालू वर्ष हेतु पेंशन भुगतानों पर वास्तविक व्यय बारहवें वित्तायोग (₹1,065 करोड़), राजकोषीय शुद्धि पथ (₹880 करोड़) तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी (₹1,299 करोड़) में किये गये प्रक्षेपणों से बढ़ गया।

● ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतानों में 2005-06 में ₹1,563 करोड़ से 2009-10 में ₹1,956 करोड़ तक 25 प्रतिशत तथा चालू वर्ष के दौरान ₹62 करोड़ तक की वृद्धि हुई जिसमें विगत वर्ष की अपेक्षा तीन प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई। उधारों का मुख्य स्रोत पांच से 13.99 प्रतिशत तक की परिवर्ती ब्याज दरों पर बाजार ऋण है। ब्याज भुगतान वर्ष 2009-10 हेतु बारहवें वित्तायोग (₹1,752 करोड़) के प्रक्षेपणों से अधिक था। 19 प्रतिशत पर राजस्व प्राप्तियों से सम्बद्ध ब्याज भुगतान बारहवें वित्तायोग द्वारा सिफारिश किये गये 15 प्रतिशत मानकों की तुलना में अधिक था जोकि दी गई समय अवधि के दौरान प्राप्त किया जाना था।

● उपदान

राज्य सरकार विभिन्न संस्थाओं/निकायों/निगमों आदि के लिए उपदानों का भुगतान कर रही है। उपदान 2005-06 में ₹142 करोड़ से 2009-10 में ₹403 करोड़ तक 184 प्रतिशत तथा विगत वर्ष की अपेक्षा नौ प्रतिशत तक बढ़ गये तथा राजस्व प्राप्तियां एवं कुल व्यय क्रमशः लगभग चार प्रतिशत एवं तीन प्रतिशत संघटित था। उपदानों के मुख्य घटक खाद्य एवं आपूर्ति वस्तुएं (₹116 करोड़); परिवहन (₹51 करोड़) तथा विद्युत (₹140 करोड़) थे। उपदान 2009-10 में ₹403 करोड़ राजकोषीय शुद्धि पथ (₹186 करोड़) तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी (₹347 करोड़) दोनों में किये गये प्रक्षेपणों की तुलना में अधिक था।

1.4.5 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

विगत वर्षों से प्रासंगिक चालू वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य को अनुदानों एवं ऋणों के रूप में प्रदान की गई सहायता की प्रमात्रा तालिका-1.7 में दर्शाई गई है।

तालिका-1.7: स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
शैक्षणिक संस्थान (सहायता प्राप्त स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि)	132.81	117.50	176.49	203.49	231.14
नगर निगम तथा नगरपालिकाएं	32.68	46.74	70.66	82.46	115.92
जिला परिषद् तथा अन्य पंचायती राज संस्थान	70.08	100.58	134.13	188.45	217.92
विकास अभिकरण	112.10	93.44	37.74	44.45	48.61
अस्पताल तथा अन्य धर्मार्थ संस्थान	0.40	0.12	0.10	4.85	41.25
अन्य संस्थान ¹²	31.56	41.11	47.65	58.55	63.25
योग	379.63	399.49	466.77	582.25	718.09
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के अनुसार सहायता	5.87	5.23	5.63	6.17	6.44

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को दिए गए अनुदानों में 2005-10 वर्षों में समनुरूप बढ़ती हुई प्रवृत्ति पाई गई। यह विगत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष के दौरान ₹136 करोड़ (23 प्रतिशत) तक बढ़ गए। राजस्व व्यय में अनुदानों के अंश की 2006-10 की अवधि के दौरान 5.23 प्रतिशत तथा 6.44 प्रतिशत के मध्य बढ़ती हुई प्रवृत्ति पाई गई। तालिका-1.7 से प्रकट होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति यह है कि अन्य संस्थाओं के अंश में 2005-06 में ₹31.56 करोड़ से 2009-10 में ₹63.25 करोड़ तक यह प्रदर्शित करते हुए समनुरूप से बढ़ गया है कि अत्यधिक वित्तीय सहायता तदर्थ आधार पर विभिन्न राज्य सरकारी संस्थाओं को दी जा रही है। 2009-10 के दौरान विभिन्न घटकों के अंतर्गत तीव्र वृद्धि मुख्यतया नगर निगम/नगरपालिकाओं (₹33.46 करोड़), शैक्षणिक संस्थाओं (₹27.65 करोड़) तथा जिला परिषद् व पंचायती राज संस्थाओं (₹29.47 करोड़) को अधिक अनुदान जारी करने के कारण थी।

1.5 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता सामान्यतया इसके व्यय की गुणवत्ता को प्रतिबिम्बित करती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार मूल रूप से तीन पहलुओं अर्थात् व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु पर्याप्त प्रावधान); व्यय के उपयोग की दक्षता तथा प्रभावशालिता (चयन सेवाओं हेतु परिव्यय-निष्कर्ष सम्बन्धों का निर्धारण) का समावेश है।

1.5.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

तालिका-1.8 चालू वर्ष के दौरान विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय तथा पूंजीगत व्यय के सम्बन्ध में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता का विश्लेषण करती है जो बारहवें वित्त आयोग और 2005-06 का टर्मिनल वर्ष है तथा जो दी गई अवधि का प्रथम वर्ष है।

¹² अन्य संस्थानों में वे संस्थाएं सम्मिलित हैं, जिन्होंने वर्ष के दौरान तदर्थ अथवा एक ही बार अनुदान प्राप्त किए।

तालिका-1.8: वर्ष 2005-06 व 2009-10 के दौरान राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	कुल व्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	विकास व्यय/ कुल व्यय	सामाजिक क्षेत्र व्यय/ कुल व्यय	पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय
हिमाचल प्रदेश का औसत (अनुपात) 2005-06	28.42	60.46	36.68	11.25
हिमाचल प्रदेश का औसत (अनुपात) 2009-10	31.13	66.20	34.28	14.76

*सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति प्रतिशत

ईई: कुल व्यय, डीई: विकास व्यय, एसएसई: सामाजिक क्षेत्र व्यय, सीई: पूँजीगत व्यय

विकास व्यय में विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूँजीगत व्यय तथा संवितरित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं।

स्रोत: (1) सकल राज्य घरेलू उत्पाद हेतु राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय से सूचना एकत्रित की गई।

राजकोषीय प्राथमिकता का अभिप्राय राज्य द्वारा व्यय की विशेष श्रेणी को दी गई प्राथमिकता से है। वर्ष 2009-10 में हिमाचल प्रदेश के व्यय ढांचे का मिलान वर्ष 2005-06 के साथ करने से पाया कि:

- वेतन आयोग के प्रभाव के कारण सरकार ने कुल व्यय पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का एक बड़ा अनुपात खर्च किया;
- विकास व्यय¹³ कुल व्यय के अनुपात के रूप में अधिकांशतः छः प्रतिशत बढ़ा। व्यय में वृद्धि मुख्यतया आर्थिक सेवाओं पर थी क्योंकि सामाजिक क्षेत्र व्यय का व्यय अनुपात वास्तव में दो प्रतिशत तक गिर गया।
- पूँजीगत व्यय का अनुपात चार प्रतिशत तक बढ़ गया।

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि विकास एवं पूँजीगत व्यय को उचित प्राथमिकता दी गई थी। तथापि, जब तक वित्तीय परिव्यय को प्रत्यक्ष परिसम्पतियों में स्पष्ट नहीं कर दिया जाता तब तक परिणाम का निर्धारण नहीं किया जा सकता।

1.5.2 व्यय उपयोग की दक्षता

तालिका 1.9: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में व्यय उपयोग की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक अवसंरचना	2005-06			2009-10		
	पूँजीगत व्यय से कुल व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय में निम्नांकित का अंश		पूँजीगत व्यय से कुल व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय में निम्नांकित का अंश	
		वेतन एवं मजदूरी	परिचालन व अनुरक्षण		वेतन एवं मजदूरी	परिचालन व अनुरक्षण
सामाजिक सेवाएं						
सामान्य शिक्षा	0.03	0.86	-	0.07	0.86	--
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.12	0.82	0	0.10	0.83	--
जलापूर्ति, स्वच्छता एवं आवास व शहरी विकास	0.38	0.23	0.74	0.33	0.47	0.31
योग (सामाजिक सेवाएं)	0.15	0.72	0.16	0.14	0.78	0.06

¹³ विकास व्यय = सामाजिक क्षेत्र व्यय+आर्थिक सेवाएं

आर्थिक अवसंरचना	2005-06			2009-10		
	पूँजीगत व्यय से कुल व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय में निम्नांकित का अंश		पूँजीगत व्यय से कुल व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय में निम्नांकित का अंश	
		वेतन एवं मजदूरी	परिचालन व अनुरक्षण		वेतन एवं मजदूरी	परिचालन व अनुरक्षण
आर्थिक सेवाएं						
कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं	0.02	0.52	0.01	0.06	0.39	0.00
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	0.54	0.51	0.61	0.57	0.73	0.46
ऊर्जा (विद्युत)	0	0.01	-	0.53	0.01	--
परिवहन	0.40	0.58	0.28	0.39	0.61	0.66
योग (आर्थिक सेवाएं)	0.35	0.48	0.16	0.32	0.47	0.31
योग (सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं)	0.19	0.63	0.16	0.23	0.65	0.16

स्रोत: वित्त लेखे तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय

टीई: कुल व्यय; सीई: पूँजीगत व्यय; आरई: राजस्व व्यय; एस एण्ड डब्ल्यू: वेतन एवं मजदूरी; ओ एण्ड एम: परिचालन एवं अनुरक्षण

सामाजिक क्षेत्र में कुल व्यय की अपेक्षा पूँजीगत व्यय के अनुपात में 2005-06 में 0.15 से 2009-10 में 0.14 तक की गिरावट आई। सामान्य शिक्षा के मामले में कुल व्यय की अपेक्षा पूँजीगत व्यय के अनुपात में 2005-06 में 0.03 से 2009-10 में 0.07 की वृद्धि हुई जबकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 2005-06 में 0.12 से 2009-10 में 0.10 तक तथा जलापूर्ति, स्वच्छता तथा आवास एवं शहरी विकास में 0.38 से 0.33 तक की कमी आई जिसका अर्थ 2009-10 में पूँजीगत व्यय को कम प्राथमिकता देना था। इसी भान्ति, आर्थिक क्षेत्र में कुल व्यय की अपेक्षा पूँजीगत व्यय के अनुपात में 2005-06 में 0.35 से 2009-10 में 0.32 की कमी आई। वर्ष 2005-06 में विद्युत क्षेत्र में कोई पूँजीगत व्यय नहीं किया गया जबकि 2009-10 में इसका अनुपात 0.53 था। कुल व्यय की अपेक्षा पूँजीगत व्यय का अनुपात इस अवधि के दौरान सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण में 0.54 से 0.57 तक और कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलापों में 0.02 से 0.06 तक बढ़ गया। जलापूर्ति, स्वच्छता एवं शहरी विकास में वेतन एवं मजदूरी का अनुपात 2005-06 में 0.23 से 2009-10 में 0.47 तक, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण में 0.51 से 0.73 तक बढ़ गया। जलापूर्ति, स्वच्छता एवं शहरी विकास में परिचालन व अनुरक्षण के अनुपात में 2005-06 में 0.74 से 2009-10 में 0.31, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण में 0.61 से 0.46 तक की कमी आई। तथापि, परिवहन क्षेत्र में 0.28 से 0.66 की वृद्धि हुई।

1.5.3 व्यय की प्रभावशालिता अर्थात् परिव्यय-परिणाम सम्बंध

सरकारी स्रोतों से उपलब्ध ब्यौरे के अनुसार (परिशिष्ट-1) हिमाचल प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे तथा साक्षरता दर से सम्बन्धित लोगों की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर है। तथापि, लोक व्यय में प्रभावशालिता सुनिश्चित करने हेतु राज्य को अपेक्षित परिणामों को प्राप्त करने के लिए प्रदाय तंत्र को सुधारने की आवश्यकता है। राज्य सरकार से सरकारी व्यय की गुणवत्ता, प्रसार तथा प्रभाव के अनुसार परिणामों हेतु व्यय को सम्बद्ध करने की अपेक्षा की जाती है। आर्थिक सेवाओं के क्षेत्र से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा को आरम्भ किया गया तथा लेखापरीक्षा परिणाम सिविल लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2009-10 में सम्मिलित हैं जोकि पृथक रूप से राज्य विधानसभा में प्रस्तुत की जा रही है। लेखापरीक्षा की मुख्य-मुख्य बातें निम्नवत् हैं:

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम

भारत सरकार ने फरवरी 2006 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम नामक नई स्कीम आरम्भ की। अधिनियम का मूल उद्देश्य न्यूनतम मजदूरी दर पर अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करने को प्रत्येक घर के स्वैच्छिक व्यस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवसों का गारण्टीकृत रोजगार उपलब्ध करवाना है। निष्पादन लेखापरीक्षा में 2005-10 की अवधि को आवृत्त किया है। स्कीम की निष्पादन लेखापरीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 2005-10 के दौरान राज्य सरकार ने ₹1,039.63 करोड़ खर्च करके 617.70 लाख रोजगार के श्रमदिवस सृजित किए तथा राज्य में 4.97 लाख (संचित संख्या) ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया। योजना प्रक्रिया में विशेषकर पंच वर्षीय जिला सापेक्ष योजनाओं को तैयार करने में कमियां पाई गईं। प्राथमिकता के अनुसार कार्य आरम्भ नहीं किए गए और ग्रामीण संयोजकता, जो प्राथमिकता सूची में नीचे थी, को उच्च प्राथमिकता दी गई। यह निर्धनता के दीर्घकालिक कारण का पता लगाने तथा ग्रामीण आजीविका के प्राकृतिक संसाधन आधार का सुदृढीकरण करने के लिए सूखा निष्प्रभाव, वनरोपण एवं भू-संरक्षण जैसे पर्याप्त कार्य संख्या का निष्पादन न करने के परिणामस्वरूप हुआ। एक अर्धमास की निर्धारित अवधि के पश्चात् 15 से 90 दिनों के विलम्ब से कामगारों से ₹97.45 लाख की मजदूरी का भुगतान किया गया। कार्यों के निरीक्षण की स्थिति राज्य, जिला व खण्ड स्तर पर खराब थी और राज्य सरकार ने जून 2010 तक कार्यों की गुणवत्ता लेखापरीक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कोई राज्य व जिला गुणवत्ता अनुश्रोता नामित नहीं किए थे। इसके अतिरिक्त, राज्य रोजगार गारण्टी परिषद् द्वारा उच्च स्तर के अनुश्रवण में भी कमी पाई गई।

1.6 सरकारी व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन पूर्व ढांचे में राज्य से अपने राजकोषीय घाटे (एवं उधार) को न केवल न्यून स्तर पर रखा जाना अपेक्षित है परन्तु इसके पूंजीगत व्यय/निवेश (ऋणों तथा अग्रिमों सहित) आवश्यकताओं को पूरा किया जाना भी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता को परिवर्तन में राज्य सरकार को इसके निवेशों पर पर्याप्त आय अर्जित करने के लिए उपायों को तथा इसकी उधार निधियों की लागत को वसूल करने की आवश्यकता है बजाए इसके कि अन्तर्निहित उपदान के रूप में इसके बजट से उसको वहन किया जाए तथा वित्तीय प्रचालनों में पारदर्शिता प्रदान करने के लिए अपेक्षित पग उठाए जाएं। यह प्रवर्ग विगत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा निवेशों का विस्तृत वित्तीय विश्लेषण तथा किए गए अन्य पूंजीगत व्यय का प्रदर्शन करता है।

1.6.1 अधूरी परियोजनाएं

31 मार्च 2010 तक अधूरी परियोजनाओं के सम्बन्ध में विभागवार सूचना तालिका-1.10 में दी गई है।

तालिका-1.10: अधूरी परियोजनाओं की विभागवार रूपरेखा

(₹ करोड़)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	आरम्भिक बजटीय लागत	परियोजनाओं की संशोधित कुल लागत	31.03.2010 को संचित वास्तविक व्यय	लागत वृद्धि
1.	2.	3.	4.	5.	6 (5-3)
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	19	54.47	111.24	97.47	43.00
लोक निर्माण	10	16.91	-	10.62	-
योग	29	71.38	111.24	108.09	36.71

स्रोत: वित्त लेखे

* राज्य सरकार द्वारा पिछले संशोधन के अनुसार परियोजनाओं की कुल संशोधित लागत को दर्शाती है।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य तथा लोक निर्माण विभागों से सम्बन्धित अधूरी परियोजनाओं का ब्यौरा तालिका-1.10 में प्रस्तुत किया गया है। 14 अधूरी परियोजनाओं जिनकी संशोधित लागतें उपलब्ध हैं, के सम्बन्ध में ₹37 करोड़ की अधिक लागत आई। विलम्ब विश्लेषणों से तीन माह से 11 वर्षों के मध्य के समय में वृद्धि का पता चला। ये परियोजनाएं भूमि अनुपलब्धता, निधियों की कमी, न्यायालय से सम्बन्धित मामलों, विद्युत आपूर्ति न मिलने आदि कारणों से अधूरी पड़ी हुई थीं।

लम्बित मामलों का हल निकालने तथा और अधिक समय व लागत को रोकने हेतु परियोजनाओं को पूरा करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए भी कि अभिप्रेत लाभार्थियों को परिकल्पित लाभ शीघ्रतिशीघ्र मिले, प्रयास करने की आवश्यकता है।

1.6.2 निवेश एवं प्रतिफल

राज्य सरकार द्वारा निवेशों के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं। 31 मार्च 2010 तक सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों एवं सहकारी समितियों में ₹2,663 करोड़ का निवेश किया था (तालिका-1.11)। इस निवेश पर विगत पांच वर्षों में 1.65 प्रतिशत की औसत आय थी, जबकि सरकार ने 2005-10 के दौरान अपने उधारों पर 9.1 प्रतिशत की औसत ब्याज दर का भुगतान किया था।

तालिका-1.11: निवेश प्रतिफल

(₹ करोड़)

निवेश/प्रतिफल/उधार लागत	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
वर्षात पर निवेश	1,842	1,861	2,033	2,369	2663
प्रतिफल	28.61	1.80	0.52	89.58	73.49
प्रतिफल (प्रतिशत)	1.55	0.10	0.03	3.78	2.76
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	9.20	9.40	9.09	9.19	8.59
ब्याज दर व प्रतिफल के मध्य अंतर (प्रतिशत)	7.65	9.30	9.06	5.41	5.83

मुख्य निवेश छः सांविधिक निगमों/बोर्डों (₹839.35 करोड़), 21 सरकारी कम्पनियों (₹702.16 करोड़) तथा एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हिमाचल प्रदेश सतलुज जल विद्युत निगम (₹1043.90 करोड़) में किया गया। दो सांविधिक निगमों/बोर्डों ने मार्च 2010 के अन्त तक ₹742.59 करोड़ (हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम: ₹512.23 करोड़ तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड: ₹230.36 करोड़) की संचित हानि उठाई थी। सरकारी कम्पनियों में मुख्य प्राप्तकर्ता जिन्होंने 31 मार्च 2010 तक संचित हानियां उठाई वे हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड (₹74.57 करोड़), हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित (₹46.33 करोड़), हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम (₹50.54 करोड़) तथा हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम सीमित (₹17.98 करोड़) थे।

1.6.3 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त सरकार इन बहुत सी संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान कर रही थी। तालिका-1.12 31 मार्च 2010 तक बकाया ऋणों एवं अग्रिमों, विगत तीन वर्षों के दौरान ब्याज भुगतानों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों को प्रदर्शित करती है।

तालिका-1.12: राज्य सरकार द्वारा दिये गये अग्रिम ऋणों पर प्राप्त किया गया औसत ब्याज

(₹ करोड़)

ऋणों/ब्याज प्राप्तियों/उधार लागतों की प्रमात्रा	2007-08	2008-09	2009-10
अथशेष	236.96	224.85	293.49
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम राशि	13.94	89.61	69.67
वर्ष के दौरान लौटाई गई राशि	26.05	20.97	33.85
अंत शेष	224.85	293.49	329.31
जिसमें से बकाया शेष जिनके लिए सेवा-शर्तें निर्धारित कर दी गई हैं	--	--	--
निवल वृद्धि	(-) 12.11	68.64	35.82
ब्याज प्राप्तियां	16	11	11
बकाया ऋणों व अग्रिमों के प्रति प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्तियां	6.9	4.2	3.5
राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय दायित्वों के प्रति प्रतिशत के रूप में ब्याज अदायगियां	9.4	9.8	9.0
ब्याज अदायगियों तथा ब्याज प्राप्तियों के मध्य अंतर (प्रतिशत)	(-) 2.5	(-) 5.6	(-) 5.5

31 मार्च 2010 तक बकाया ऋणों एवं अग्रिमों की कुल राशि ₹329.31 करोड़ थी। अग्रिम में दिये गये ₹69.67 करोड़ के प्रति 2009-10 के दौरान केवल ₹33.85 करोड़ लौटाये गये, जिससे विगत वर्ष की अपेक्षा चुकौती में ₹12.88 करोड़ की वृद्धि हुई। 2009-10 के दौरान ऋणों के मुख्य प्राप्तकर्ताओं में विद्युत परियोजनाएं (₹62 करोड़) थी। बकाया ऋणों एवं अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज की प्रतिशतता की तुलना में उधारों पर सरकार द्वारा अदा किये जा रहे ब्याज की औसत दर में भारी अंतर था। 2007-10 के दौरान कमी 2.5 प्रतिशत तथा 5.6 प्रतिशत के मध्य थी। 2009-10 के दौरान बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित की गई सात प्रतिशत की लक्ष्यित प्राप्ति के प्रति बकाया ऋणों की प्रतिशतता के रूप में सरकार ने ब्याज प्राप्तियों की 3.5 प्रतिशत आय प्राप्त की। तथापि, इस अवधि के दौरान इसने उधारों पर नौ प्रतिशत ब्याज का भुगतान किया।

1.6.4 रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों के निवेश

तालिका-1.13 वर्ष के दौरान रोकड़ शेषों तथा रोकड़ शेषों में से राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेशों को दर्शाती है।

तालिका-1.13: रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों के निवेश

(₹ करोड़)

विवरण	प्रथम अप्रैल 2009 तक	31 मार्च 2010 तक	वृद्धि (+) / कमी (-)
रोकड़ शेष	979.23	281.16	(-)698.07
रोकड़ शेषों से निवेश			
क. भारत सरकार के खजाना बिल	1,129.18	582.60	(-)546.58
ख. भारत सरकार की प्रत्याभूतियां	3,889.21	4285.64	(+)396.43
चिन्हित शेषों में से निवेश का निधिवार विखंडन	--	--	--
वसूल किया गया ब्याज	60.45	63.70	(+)3.25

राज्य सरकार के रोकड़ शेष चालू वर्ष की समाप्ति पर 2008-09 में ₹979.23 करोड़ से 2009-10 में ₹281.16 करोड़ होने से ₹698.07 करोड़ कम हो गये। राज्य सरकार ने भारत सरकार खजाना बिलों में ₹582.60 करोड़ तथा भारत सरकार की प्रतिभूतियों में ₹4285.64 करोड़ का निवेश किया और 2009-10 के दौरान ₹63.70 करोड़ का ब्याज अर्जित किया। सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दैनिक नकदी शेष का अनुरक्षण करने में समर्थ थी और इसने अर्थोपाय अग्रिमों का लाभ नहीं उठाया (परिशिष्ट-1.3)।

1.7 परिसम्पत्तियां एवं देयताएं

1.7.1 परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की वृद्धि एवं संयोजन

सरकार की विद्यमान लेखाकरण प्रणाली में सरकार के स्वामित्व वाली भूमि व भवनों जैसी अचल परिसम्पत्तियों का व्यापक लेखाकरण नहीं किया जाता है। तथापि, सरकार के लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किये गये व्यय में से सृजित की गई परिसम्पत्तियों को प्रदर्शित करते हैं। परिशिष्ट-1.4 31 मार्च 2010 तक ऐसी देयताओं एवं परिसम्पत्तियों का 31 मार्च 2009 तक उनकी तदनुसूची स्थिति की तुलना में सार को दर्शाता है। जबकि इस परिशिष्ट में देयताओं में मुख्यतया आंतरिक उधारों, भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों, लोक लेखे एवं आरक्षित निधियों से प्राप्तियों का समावेश होता है, परिसम्पत्तियों में मुख्यतया पूंजीगत परिव्यय तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों व रोकड़ शेषों का समावेश होता है।

1.7.2 राजकोषीय देयताएं

राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्तियों को परिशिष्ट-1.3 में प्रदर्शित किया गया है। तथापि, विगत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय देयताओं का संयोजन तालिका-1.14 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका-1.14: राजकोषीय देयताएं- मूल पैरामीटर

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
राजकोषीय देयताएं (₹ करोड़)	17,432	18,071	19,419	21,819	23,713
वृद्धि दर (प्रतिशत)	5.44	3.67	7.46	12.36	8.68
राजकोषीय देयताओं का अनुपात					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	67.87	63.21	60.27	59.09	56.09
राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	265.77	230.64	212.42	234.41	229.20

तेरहवें वित्त आयोग की ऋण स्थिरीकरण पर सिफारिश

तेरहवें वित्त आयोग ने 2014-15 तक राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 25 प्रतिशत तक समेकित ऋण स्टॉक को घटाने के लक्ष्य की सिफारिश की है। राज्य का चालू ऋण ₹23,713 करोड़ है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 56 प्रतिशत है। राज्य सरकार को 2014-15 तक चरणबद्ध ढंग से उपरोक्त लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राजकोषीय शुद्धि हेतु प्रयत्न करने होंगे। राज्य सरकार ने बताया (सितम्बर 2010) कि इस राज्य के लिए 25 प्रतिशत का लक्ष्य प्रयोज्य नहीं है, क्योंकि तेरहवें वित्त आयोग द्वारा इस घटक में कोई लक्ष्य नहीं दिया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उपरोक्त लक्ष्य स्पष्ट रूप से तेरहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन के परिच्छेद 9.29, 9.67, 9.69 तथा तालिका 9.7 में उल्लेख किया गया है जो सूचित करता है कि 2014-15 में लक्ष्यित केन्द्रीय सरकार ऋण के सकल घरेलू उत्पाद के 45 प्रतिशत के साथ 2014-15 के सकल घरेलू उत्पाद अनुपात लक्ष्य के प्रति मध्यम अवधि संयुक्त ऋण 68 प्रतिशत है जो उसी वर्ष में सभी राज्यों के लिए 25 प्रतिशत के सकल घरेलू उत्पाद अनुपात के संदर्भ में लक्ष्यित ऋण दर्शाता है (राज्य एवं केन्द्रीय अनुपात संयुक्त अनुपात में नहीं जोड़े जाते, क्योंकि राज्यों को केन्द्रीय ऋण निवल रूप से निकाले जाते हैं।)

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 2005-06 में ₹17,432 करोड़ से बढ़कर 2009-10 में ₹23,713 करोड़ हो गई। राज्य की राजकोषीय देयताओं में समेकित निधि देयताएं एवं लोक लेखा देयताएं समाविष्ट हैं। समेकित निधि देयता (₹17,113 करोड़) में बाजार ऋण (₹8,835 करोड़), भारत सरकार से ऋण (₹984 करोड़) तथा अन्य ऋण (₹7,294 करोड़) जिनमें भारत सरकार के एनएसएसएफ को जारी की गई विशेष सुरक्षा पर ₹4,286 करोड़ शामिल हैं) सम्मिलित हैं। लोक लेखा देयताओं (₹6,600 करोड़) में लघु बचतें तथा भविष्य निधियां (₹5,214 करोड़), ब्याज वहन करने वाली देयताएं तथा ब्याज वहन न करने वाली देयताएं जैसाकि निक्षेप

(₹1,248 करोड़) एवं रिज़र्व निधियां (₹138 करोड़) शामिल हैं। 2009-10 के दौरान राजकोषीय देयताओं में वृद्धि की दर 8.68 प्रतिशत थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजकोषीय देयता का अनुपात 2005-06 में 67.87 प्रतिशत से निरन्तर रूप से घट कर 2009-10 में 56.09 प्रतिशत हो गया। ये देयताएं 2009-10 के अंत में राजस्व प्राप्तियों के 2.29 गुणा पर स्थिर थी। राज्य सरकार द्वारा बाजार ऋणों व अन्य ऋणों तथा ऋण दायिताओं को चुकाने के लिए किये गये एक समेकित निक्षेप निधि को स्थापित किया जाना अपेक्षित था, जैसाकि बारहवें वित्तायोग द्वारा सिफारिश की गई। राज्य सरकार ने अभी तक निक्षेप निधि को स्थापित नहीं किया है।

1.7.3 गारंटियों¹⁴ की स्थिति-आकस्मिक देयताएं

अधिकतम राशि जिसके लिए राज्य द्वारा गारंटियां दी गई थी तथा विगत तीन वर्षों की बकाया गारंटियां जिन्हें वित्त लेखों की विवरणी-9 में दर्शाया गया है, तालिका-1.15 में दी गई है।

तालिका-1.15: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

(₹ करोड़)

गारंटियां	2007-08	2008-09	2009-10
गारंटीकृत अधिकतम राशि	6,450	6,076	4361
गारंटियों की बकाया राशि	2,632	2,291	1949
कुल राजस्व-प्राप्तियों के प्रति गारंटीकृत अधिकतम राशि की प्रतिशतता	70.6	65	42

राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 293(1) के अंतर्गत ऐसी सीमाएं निर्धारित करने जिनके अन्तर्गत सरकार राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर गारंटी दे सकती है के संदर्भ में कोई कानून पारित नहीं किया गया है। तथापि, हिमाचल प्रदेश राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में प्रावधान है कि कुल बकाया गारंटियों को चालू वर्ष से पूर्व वर्ष में राजस्व प्राप्तियों के 80 प्रतिशत तक सीमित किया जाना है। राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अधिनियमन से राज्य सरकार द्वारा दी गई बकाया गारंटियां अधिनियम में निर्धारित की गई सीमा में थी। विभिन्न निगमों तथा अन्य द्वारा उठाए गये ऋणों पर बकाया गारंटियां 2009-10 की समाप्ति पर ₹1,949 करोड़ थी जो विगत वर्ष की राजस्व प्राप्तियों का 20.94 प्रतिशत थी तथा कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रति गारंटीकृत अधिकतम राशि (₹4,361 करोड़) 42 प्रतिशत थी जो अनुमत सीमा में थी। गारंटियां जिनके प्रति राशियां बकाया थी के 31 मार्च 2010 तक मुख्य प्राप्तकर्ता पांच सांविधिक बोर्ड/निगम (₹1,490 करोड़), सात सरकारी कम्पनियां (₹171 करोड़), एक सहकारी बैंक (₹249 करोड़) तथा दो स्थानीय/स्वायत निकाय (₹39 करोड़) थे। दी गई गारंटियों से उत्पन्न आकस्मिक देयताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा गारंटी विमोचन निधि को स्थापित किया जाना अपेक्षित था जैसाकि बारहवें वित्तायोग द्वारा सिफारिश की गई थी। तथापि, राज्य सरकार ने अभी तक ऐसी किसी भी निधि को स्थापित नहीं किया है।

1.8 ऋण धारणीयता

राज्य सरकार के ऋण की मात्रा के अतिरिक्त विभिन्न सूचकों, जो राज्य की ऋण धारणीयता¹⁵ को निश्चित करते हैं,

¹⁴ गारंटियां कर्जदार, जिसकी गारंटी दी गई है, द्वारा चूक के मामले में राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं।

¹⁵ ऋण धारणीयता को एक समयावधि में स्थिर ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात का अनुरक्षण करने के लिए राज्य की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है तथा इसकी ऋण व्यवस्था करने की क्षमता के बारे चिन्ता भी अभिव्यक्त करती है। इसलिए ऋण धारणीयता चालू अथवा वचनबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल सम्पत्तियों की पर्याप्तता तथा ऐसे उधारों से होने वाली आय के साथ अतिरिक्त उधारों की लागतों के मध्य संतुलन रखने के लिए क्षमता का उल्लेख भी करती है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि का ऋण सेवा के लिए क्षमता में वृद्धि के साथ मेल होना चाहिए।

का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। यह संवर्ग ऋण स्थिरीकरण¹⁶; ऋण-रहित प्राप्तियों की पर्याप्तता¹⁷; उधार निधियों¹⁸ की निवल उपलब्धता; ब्याज भुगतानों का भार (राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के प्रति ब्याज भुगतानों द्वारा परिमित) और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता रूपरेखा के अनुसार राज्य सरकार की ऋण धारणीयता का निर्धारण करता है। तालिका-1.16 2007-10 से आरम्भ तीन वर्षों की अवधि हेतु इन सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण धारणीयता का विश्लेषण करती है।

तालिका-1.16: ऋण धारणीयता: सूचक एवं प्रवृत्तियां

ऋण धारणीयता के सूचक	2007-08	2008-09	2009-10
ऋण स्थिरता (प्रमात्रा फैलाव + प्राथमिक घाटा)	1,812	1,054	573
गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतराल)	370	(-) 1,726	(-) 506
निवल उधार निधियों की उपलब्धता	(-) 79	507	341
ब्याज अदायगियों का भार (ब्याज अदायगी/राजस्व प्राप्ति अनुपात)	0.186	0.203	0.189
राज्य के ऋण की परिपक्वता रूपरेखा (वर्षों में)*			
0 - 1	1,793.89	987.20 (6.40)	869.69 (5.08)
1 - 3	3,519.01	3,654.02 (23.26)	2444.40 (14.29)
3 - 5	2,802.05	2,733.06 (17.40)	3238.28 (18.92)
5 - 7	2,019.54	2,167.37 (13.80)	2568.84 (15.01)
7 तथा इससे अधिक	4,830.94	6,766.17 (43.07)	7991.73 (46.70)

लघु कोष्ठकों के आंकड़े प्रतिशतता सूचित करते हैं

तालिका-1.16 से प्रकट होता है कि ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात की घटती हुई प्रवृत्ति को इंगित करते हुए प्राथमिक घाटे सहित मात्रा विस्तार 2007-10 के दौरान घनात्मक था। इन प्रवृत्तियों से ज्ञात होता है कि राज्य ऋण स्थिरता की ओर अग्रसर है, जो इसके बदले में राज्य की ऋण धारणीयता की स्थिति में सुधार ला सकता है। तथापि, 2009-10 के दौरान ऋणात्मक स्रोत में अन्तराल राज्य के राजकोषीय एवं ऋण स्थिरता के बिगड़ने से सम्बन्धित जोखिम का सूचक है, बशर्ते कि यह प्रवृत्ति निरन्तर रहती है। 2009-10 के दौरान उपलब्ध निवल उधार निधियां घनात्मक थी जिससे यह इंगित होता है कि कुल ऋण प्राप्तियों के ₹341 करोड़ का पूर्व ऋण दायित्वों को पूरा करने की बजाय अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग किया गया। राज्य सरकार की परिपक्वता रूपरेखा सूचित करती है कि कुल लोक ऋण का 38 प्रतिशत (₹6552 करोड़) आगामी पांच वर्षों में चुकौती योग्य है, जबकि शेष 62 प्रतिशत ऋण (₹10560.57 करोड़) की पांच वर्षों से अधिक अवधि में अदायगी की जानी अपेक्षित है।

1.9 राजकोषीय असंतुलन

तीन मूल राजकोषीय पैरामीटर-राजस्व, राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटा-विशेष अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्त में समग्र राजकोषीय असंतुलन की सीमा को सूचित करते हैं। सरकारी लेखों में घाटा इसकी प्राप्तियों एवं व्यय के

¹⁶ स्थिरता हेतु आवश्यक शर्त स्पष्ट करती है कि यदि आर्थिक वृद्धि की दर ब्याज दर अथवा लोक उधार की लागत से अधिक होती है तो ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात के स्थिर रहने की सम्भावना है बशर्ते कि प्राथमिक शेष या तो शून्य अथवा घनात्मक अथवा मध्यम रूप से ऋणात्मक है। यदि दर विस्तार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर-ब्याज दर) तथा प्रमात्रा विस्तार (ऋण* दर विस्तार) दिया गया हो तो ऋण धारणीयता स्थिति स्पष्ट करती है कि यदि प्राथमिक घाटे सहित प्रमात्रा विस्तार शून्य है, ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर होगा अथवा ऋण अन्ततः स्थिर करेगा। दूसरी ओर, यदि प्रमात्रा विस्तार सहित प्राथमिक घाटा ऋणात्मक होता है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में वृद्धि होगी तथा यदि यह घनात्मक है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में अन्ततः गिरावट होगी।

¹⁷ वृद्धिशील ब्याज देयताओं तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को आवृत्त करने के लिए राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता। ऋण धारणीयता का महत्वपूर्ण रूप से सरलीकरण किया जा सकता था यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियां वृद्धिशील ब्याज भार तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा कर सके।


¹⁸ कुल ऋण प्राप्तियों के प्रति ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है तथा उस सीमा को इंगित करता है जिसके लिए ऋण प्राप्तियों का निवल उधार निधियों की उपलब्धता दर्शाते हुए ऋण विमोचन में उपयोग किया जाता है।

मध्य के अन्तराल को प्रदर्शित करता है। घाटे की प्रकृति सरकार के राजकोषीय प्रबन्धन के विवेक का सूचक है। इसके अतिरिक्त, जिस ढंग से घाटे का वित्त प्रबन्धन किया जाता है तथा जुटाए गये स्रोतों का उपयोग किया जाता है, इसकी वित्तीय स्थिति के महत्वपूर्ण सूचक हैं। यह प्रवर्ग इन घाटों की प्रवृत्ति, प्रकृति, मात्रा तथा जिस ढंग से इन घाटों की वित्तीय व्यवस्था की जाती है का प्रदर्शन करता है तथा वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्यों की तुलना में राजस्व एवं राजकोषीय घाटों के वास्तविक स्तरों का निर्धारण भी प्रदर्शित करता है।


1.9.1 घाटे की प्रवृत्तियां

चार्ट 1.10 तथा 1.11 2005-10 की अवधि में घाटे के सूचकों की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं:

चार्ट 1.10: घाटे के सूचकों की प्रवृत्तियां (₹ करोड़)



चार्ट 1.11: सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बन्धित घाटे के सूचकों की प्रवृत्तियां (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े प्रतिशत में)



चार्ट 1.10 तथा 1.11 से उद्घाटित होता है कि समस्त राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक लेखाओं में चालू वर्ष के दौरान भारी घाटे की स्थिति देखने को मिली। 2005-06 से 2007-08 तक राजस्व अधिशेष स्थिति से राज्य को 2008-09 में ₹130 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ जो आगे बढ़कर 2009-10 में ₹805⁵ करोड़ हो गया जो 519 प्रतिशत की वृद्धि को इंगित करता है। कर-भिन्न राजस्व में ₹28 करोड़, कर राजस्व में ₹332 करोड़, संघीय करों / शुल्कों के भाग में ₹24 करोड़ की सीमांत वृद्धि तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में ₹654 करोड़ की वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप 2009-10 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में ₹1,038 करोड़ की वृद्धि लेखाबद्ध हुई। प्राप्तियों के प्रति राजस्व व्यय में ₹1,713 करोड़ (18 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो राजस्व घाटे को वृद्धि की ओर ले गया। इसके अतिरिक्त राजकोषीय घाटा 2008-09 में ₹2,278 करोड़ से 2009-10 के दौरान ₹2,784 करोड़ तक होने से ₹506 करोड़ की तीव्र वृद्धि हुई। 2008-09 में ₹384 करोड़ का प्राथमिक घाटा 2009-10 में बढ़कर ₹828 करोड़ हो गया, जिससे 116 प्रतिशत की वृद्धि इंगित हुई। तथापि, इसका ब्याज अदायगियों में वृद्धि (₹62 करोड़) करके कुछ सीमा तक प्रतिसन्तुलित किया गया। इस प्रकार, राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.9 तथा 6.58 प्रतिशत था, जो कि ब्रारहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए प्रक्षेपणों अर्थात् शून्य तथा तीन प्रतिशत से अधिक थे, जो राज्य के लिए एक धक्का है जो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबन्धन अधिनियम में निर्धारित किए गए लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो रहा था।

1.9.2 राजकोषीय घाटा एवं इसकी वित्तीय व्यवस्था के घटक

राजकोषीय घाटा के वित्तीय व्यवस्था में संयोजनात्मक अन्तरण हुआ है जैसाकि तालिका-1.17 में प्रतिबिम्बित किया गया है।

⁵ गत वर्षों के वर्गीकरण के संशोधन हेतु बुक समायोजन (₹259.55 करोड़ + ₹21.07 करोड़) के रूप में ₹280.62 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

तालिका-1.17: राजकोषीय घाटा एवं इसकी व्यवस्था के घटक

(₹ करोड़)

विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
राजकोषीय घाटे का अपघटन					
1 राजस्व घाटा	(+) 93 (0.36)	(+) 191 (0.67)	(+) 850 (2.64)	(-) 130 (-) (0.35)	(-) 805 ⁵ (-) (1.90)
2 पूंजीगत व्यय	821 (3.20)	1,110 (3.88)	1,414 (4.39)	2,079 (5.63)	1943 (4.60)
3 निवल ऋण व अग्रिम	8 (0.03)	(-) 3 (-) (0.01)	(-) 12 (0.04)	69 (0.19)	36 (0.09)
राजकोषीय घाटे की वित्तीय व्यवस्था *					
1 बाजार ऋण	425	467	1,322	1,752	1177
2 भारत सरकार से ऋण	(-) 38	(-) 91	(-) 5	(-) 44	13
3 एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	813	670	134	60	396
4 वित्तीय संस्थानों से ऋण	(-) 739	(-) 309	(-) 599	(-) 406	78*
5 लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	310	322	540	515	546
6 निक्षेप एवं अग्रिम	103	(-) 500	(-) 366	217	265
7 उच्च एवं विविध	9	(-) 7	2	53	117
8 प्रेषण	119	73	50	(-) 2	75
9 अन्य	(-) 279	297	(-) 526	151	117
10 समग्र अधिशेष/घाटा	(-) 720	(-) 922	(-) 552	(-) 2,278	(-) 2784

कोष्ठकों के आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

*ये वर्ष के दौरान के संवितरणों/बहिर्गमनों से सम्बन्धित निवल आंकड़े हैं।

तालिका-1.17 से उद्घाटित हुआ कि राज्य की राजकोषीय स्थिति 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान भारी घाटे में फंस गई। 2009-10 के दौरान ₹2,784 करोड़ का राजकोषीय घाटा मुख्यतः बाजार से भारी उधारों (₹1,177 करोड़), लघु बचतों, भविष्य निधियों आदि (₹546 करोड़), एनएसएसएफ को जारी की गई विशेष प्रत्याभूतियों (₹396 करोड़) और निक्षेप एवं अग्रिम (₹265 करोड़) के कारण था। 2009-10 के दौरान बाजार उधार तथा लघु बचतें, भविष्य निधि आदि ने 62 प्रतिशत अंशदान किया, जो भविष्य में ब्याज भार में वृद्धि करेगा।

1.9.3 घाटे/अधिशेष की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे का अनुपात तथा प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे में अपघटन तथा पूंजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता को दर्शाता है। राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे के प्रति अनुपात उस सीमा को सूचित करता है जिसके लिए चालू उपभोग हेतु उधार निधियों का उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त, राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे का निरन्तर उच्च अनुपात भी सूचित करता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार भी लगातार संकुचित हो रहा था तथा उधारों का भाग (राजकोषीय देयताएं) किसी परिसम्पत्ति का समर्थन नहीं रखता था। प्राथमिक घाटे का विभाजन (तालिका-1.18) उस सीमा को सूचित करेगा जिसके लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि के सम्बन्ध में घाटा हो रहा है जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता क्षमता के सुधार करने में वांछनीय हो सकता है।

⁵ गत वर्षों के वर्गीकरण के संशोधन हेतु बुक समायोजन (₹259.55 करोड़ + ₹21.07 करोड़) के रूप में ₹280.62 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

* 2009-10 के दौरान ₹78 करोड़ ऋण में निवल वृद्धि है यह निम्नवत् संगणित किया गया है:

1 अप्रैल 2009 को शेष	₹2930.11 करोड़
2009-10 के दौरान परिवर्द्धन	₹574.67 करोड़
कुल:	₹3504.78 करोड़
वर्ष के दौरान ऋण की चुकौती	₹496.47 करोड़

तालिका-1.18: प्राथमिक घाटा/अधिशेष-कारकों का विभाजन

(₹ करोड़)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियां	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण व अग्रिम	कुल प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व अधिशेष	प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2005-06	6,581	4,903	821	14	5,738	1678	843
2006-07	7,858	5,975	1,110	26	7,111	1883	747
2007-08	9,168	6,589	1,414	14	8,017	2579	1,151
2008-09	9,329	7,544	2,079	90	9,713	1785	(-) 384
2009-10	10380	9195	1943	70	11208	1185	(-) 828

- वर्ष 2005-06 से आगे राज्य की गैर-ऋण प्राप्तियां प्राथमिक राजस्व व्यय से उच्चतर थी जो इस व्यय हेतु पर्याप्त थी। वर्ष 2007-08 से प्राथमिक राजस्व व्यय की तुलना में गैर-ऋण प्राप्तियां 2007-08 में ₹2,579 करोड़ से निरन्तर गिरकर 2009-10 में ₹1,185 करोड़ हो गई।
- कुल प्राथमिक व्यय में 2005-10 की अवधि के दौरान ₹5,738 करोड़ से ₹11,208 करोड़ होने से ₹5,470 करोड़ की वृद्धि हुई जो प्राथमिक राजस्व व्यय 2005-06 में ₹4,903 करोड़ से 2009-10 में ₹9,195 करोड़ होने पर ₹4,292 करोड़ तथा पूँजीगत व्यय में 2005-06 में ₹821 करोड़ से 2009-10 में ₹1,943 करोड़ होने से ₹1,122 करोड़ की वृद्धि के कारण थी।
- वर्ष 2005-08 की अवधि के दौरान राज्य के पास प्राथमिक अधिशेष था किन्तु यह 2008-09 में ₹384 करोड़ के घाटे में चला गया जो पुनः 2009-10 में बढ़कर ₹828 करोड़ हो गया। वर्ष 2008-09 के दौरान प्राथमिक घाटा मुख्यतः एक ओर पूर्व वर्ष की तुलना में ₹67 करोड़ (चार प्रतिशत) तक की कर-भिन्न राजस्व में गिरावट तथा ₹95 करोड़ (दो प्रतिशत) के सहायता अनुदान की कम प्राप्ति और दूसरी ओर पूर्व वर्ष की तुलना में ऋण एवं अग्रिमों के संवितरण में महत्वपूर्ण वृद्धि अर्थात् ₹76 करोड़ (543 प्रतिशत) और पूँजीगत व्यय में ₹665 करोड़ (47 प्रतिशत) तक की वृद्धि के कारण था। वर्ष 2009-10 के दौरान राजस्व घाटे का कारण मंहगाई भत्ते तथा संशोधित वेतन का भुगतान था।

1.10 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

मूल राजकोषीय पैरामीटरों अर्थात् राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा तथा प्राथमिक घाटा के सम्बन्ध में अवलोकित राज्य की राजकोषीय स्थिति से उद्घाटित हुआ कि वर्ष के दौरान पूर्व वर्ष की तुलना में राज्य की राजस्व प्राप्तियां (₹10,346 करोड़) केवल 11 प्रतिशत तक बढ़ी जबकि राजस्व व्यय (₹11,151⁵ करोड़) की वृद्धि दर 18 प्रतिशत हो गई। इसके परिणामस्वरूप राजस्व घाटे में वर्ष 2008-09 के दौरान ₹130 करोड़ की तुलना में ₹805⁵ करोड़ की वृद्धि हुई।

पूँजीगत व्यय तथा निवल ऋण एवं अग्रिमों के संवितरण में कमी को जोड़ने के साथ राजस्व घाटे में वृद्धि के परिणामस्वरूप 2009-10 में ₹2,784 करोड़ का राजकोषीय घाटा हुआ। प्राथमिक घाटा 2008-09 में ₹384 करोड़ से 2009-10 में ₹828 करोड़ होने से ₹444 करोड़ की वृद्धि हुई। राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के रूप में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबंधन अधिनियम के 3 प्रतिशत लक्ष्य के प्रति 2009-10 में 6.58 प्रतिशत था।

वर्ष 2009-10 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 85 प्रतिशत संघटित हुआ जबकि गैर-योजनागत राजस्व व्यय 89 प्रतिशत राजस्व व्यय का संघटित हुआ। योजनागत राजस्व व्यय में पूर्व वर्ष की तुलना में 41 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई जबकि पूर्व वर्ष की तुलना में पूँजीगत व्यय में सात प्रतिशत तक (₹136 करोड़) की कमी हुई।

⁵ गत वर्षों के वर्गीकरण के संशोधन हेतु बुक समायोजन (₹259.55 करोड़ + ₹21.07 करोड़) के रूप में ₹280.62 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

चालू वर्ष के दौरान वेतन व्यय मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी (₹3,748 करोड़) तथा राजकोषीय शुद्धि पथ (₹2,811 करोड़) में किये गये प्रक्षेपणों से अधिक था। वेतन व्यय निवल ब्याज तथा पेंशन भुगतानों के राजस्व व्यय का 61 प्रतिशत था जो बारहवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किये गये 35 प्रतिशत के मानक की तुलना में बहुत अधिक था। जिस पर राज्य सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

राज्य सरकार निर्धारित मानकों के अनुसार राजस्व घाटे को कम न करने के कारण वित्तीय वर्ष 2008-09 व 2009-10 हेतु ₹65.75 करोड़ के ऋण माफी के लाभ से वंचित रही।

राजकोषीय दायित्व पूर्व वर्ष की तुलना में नौ प्रतिशत तक बढ़ गए। राजकोषीय दायित्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 56 प्रतिशत के अनुपात की तुलना में बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के 31 प्रतिशत के मानकों से उच्चतर थे।

31 मार्च 2010 को 29 परियोजनाएं अपूर्ण थी जिनमें ₹108.09 करोड़ का अवरोधन हुआ। अधिक समय व लागत को रोकने के लिए अपूर्ण परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने हेतु प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

बारहवें वित्त आयोग ने 2005-10 की कार्यावधि के दौरान दायित्वों के प्रभाव को कम करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के साथ प्रत्याभूति विमोचन तथा समेकित ऋण निधि को स्थापित करने की सिफारिश की थी। तथापि, राज्य सरकार ने कार्यावधि की समाप्ति के पश्चात् भी निधियों को अभी तक स्थापित नहीं किया है।

राजकोषीय शुद्धि को वापसी: राज्य ने वर्ष 2009-10 के दौरान राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबन्धन अधिनियम/बारहवें वित्त आयोग में निर्धारित आठ लक्ष्यों में से पांच प्राप्त कर लिये थे। राजकोषीय शुद्धि पथ को वापसी की पर्याप्त संभावनाएं हैं यदि कर अनुपालना में वृद्धि, कर संचालन लागतों को कम करने, राजस्व बकायों का संग्रहण तथा अनुत्पादक व्यय की कांट-छांट करने के प्रयास किए जाते हैं तो घाटे को कम किया जा सकता है। कर-भिन्न राजस्व के संग्रहण में सुधार के प्रयास भी किए जाने चाहिए ताकि भारत सरकार से उधार निधियों के आश्रय को कम किया जा सके।

भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अन्तरित निधियां: भारत सरकार ने राज्य कार्यान्वयन एजेन्सियों को ₹923.48 करोड़ का प्रत्यक्ष रूप से अन्तरण किया, इस प्रकार राज्य संसाधनों की कुल उपलब्धता ₹19,754 करोड़ से ₹20,677 करोड़ की वृद्धि हुई। भारत सरकार से प्रत्यक्ष रूप से निधियों की प्राप्ति/अन्तरण का अनुश्रवण करने के लिए कोई भी एजेन्सी नहीं थी और इसलिए लेखापरीक्षा द्वारा इन निधियों हेतु राज्य सरकार के दायित्व को निर्धारित करने के लिए इन निधियों की प्रयुक्ति सत्यापित नहीं की जा सकी।

पूंजीगत व्यय को उच्च प्राथमिकता: राज्य की 2008-09 तक पूंजीगत व्यय में बढ़ती हुई प्रवृत्ति रही जो आर्थिक सेवाओं के साथ-साथ सामाजिक सेवाओं में सुधार को सूचित करती थी। किन्तु 2009-10 के दौरान पूर्व वर्ष की तुलना में पूंजीगत व्यय में ₹136 करोड़ तक की कमी आई। स्पष्टतः सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं को कम प्राथमिकता दी गई और यदि ध्यान नहीं दिया गया तो राज्य की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। प्रभावी बजटीय प्रणाली को सुनिश्चित करने और सरकारी धन की प्रयुक्ति कैसे विवेकपूर्ण रूप से की जा रही है, निगरानी रखने हेतु एक अनुश्रवण साधन होना चाहिए ताकि धन के लिए मूल्य को अभिप्रेत लाभार्थियों को इसकी सम्पूर्णता में चेनलाईज्ड किया जा सके।

सरकारी निवेशों की समीक्षा: उत्तरदायित्व की निष्पादन आधारित प्रणाली सरकारी कम्पनियों/संवैधानिक निगमों में स्थापित की जानी चाहिए जिससे लाभ प्राप्त और सेवा में दक्षता सुधार हो सके। सरकार को कम्पनियों/निगमों, जो कम वित्तीय परन्तु उच्च सामाजिक आर्थिक प्रतिफलों से सम्पन्न तथा तर्कसंगत हो यदि उच्च लागत उधारों को चेनलाईज्ड किया जाना मूल्यवान हो, की पहचान करते हुए निवेशों में धन के लिए बेहतर मूल्य को सुनिश्चित करना चाहिए।

राजकोषीय शुद्धि हेतु पहल: तेरहवें वित्त आयोग ने 2014-15 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 25 प्रतिशत ऋण स्टॉक प्राप्त करने के लक्ष्य की सिफारिश की है। किन्तु राज्य बारहवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश के अनुसार 31 प्रतिशत लक्ष्य को भी प्राप्त करने में असमर्थ रहा और इसका ऋण स्टॉक 31 मार्च 2010 को सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 56 प्रतिशत रहा। अतः राज्य सरकार को अपने कार्यकलापों को बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि कम से कम तेरहवें वित्त आयोग द्वारा रखे गए लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

दूसरा अध्याय
वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

दूसरा अध्याय

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

2.1 परिचय

2.1.1 विनियोजन लेखों के साथ संलग्न अनुसूचियों के निर्दिष्टानुसार विभिन्न उद्देश्यार्थ दत्तमत्त अनुदानों एवं प्रभारित विनियोजनों की राशियों से तुलना करते हुए विनियोजन लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के दत्तमत्त एवं प्रभारित व्यय के लेखे हैं। ये लेखे मूल बजट आकलनों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पणों तथा पुनर्विनियोजनों को पृथक रूप से सूचीबद्ध करते हैं तथा बजट की दोनों प्रभारित व दत्तमत्त मदों के सम्बन्ध में विनियोजन अधिनियम द्वारा अधिकृत की तुलना में विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत तथा राजस्व व्यय इंगित करते हैं। इस प्रकार विनियोजन लेखे वित्त प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधान के अनुश्रवण को सुविधाजनक बनाते हैं तथा इसलिए ये वित्त लेखों के सम्पूरक हैं।

2.1.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजनों की लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित करने के लिए देखा जाता है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया वास्तविक रूप से व्यय विनियोजन अधिनियम के अन्तर्गत किए गए अनुमोदन के भीतर है तथा संविधान के प्रावधान के अंतर्गत प्रभारित किए जाने वाले अपेक्षित व्यय के अनुसार प्रभारित किया गया है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि क्या इस प्रकार किया गया व्यय विधि, सम्बन्धित नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

2.2 विनियोजन लेखों का सारांश

वर्ष 2009-2010 के दौरान 32 अनुदानों/विनियोजनों के प्रति वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति तालिका-2.1 में दी गई है:

तालिका-2.1: मूल/अनुपूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़)

	व्यय प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान / विनियोजन	जोड़	वास्तविक व्यय	बचत (-) / आधिक्य (+)
दत्तमत्त	I राजस्व	9,063.10	601.38	9,664.48	10,439.72*	(+) 775.24
	II पूंजीगत	1,895.82	319.87	2,215.69	2,030.76*	(-) 184.93
	III ऋण एवं अग्रिम	10.06	1.58	11.64	69.67	(+) 58.03
कुल दत्तमत्त		10,968.98	922.83	11,891.81	12,540.15	(+) 648.34
प्रभारित	IV राजस्व	2,067.04	6.81	2,073.85	1,980.62	(-) 93.23
	V पूंजीगत	---	12.31	12.31	12.45	(+) 0.14
	VI लोक ऋण- चुकौती	980.73	--	980.73	866.80	(-) 113.93
कुल प्रभारित		3,047.77	19.12	3,066.89	2,859.87	(-) 207.02
आकस्मिकता निधि (यदि कोई है) को विनियोजन		---	---	---	---	---
सकल जोड़		14,016.75	941.95	14,958.70	15,400.02	(+) 441.32

* ये अनुदान संख्या 10,13 व 31 जिनमें कुछ उच्चत शीर्षों को खोला गया है को छोड़कर सकल आंकड़े हैं।

राजस्व प्रवर्ग के अंतर्गत 16 अनुदानों व पांच विनियोजनों तथा पूंजीगत प्रवर्ग के अंतर्गत 20 अनुदानों व दो विनियोजनों में ₹446.48 करोड़ की बचत द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया ₹441.32 करोड़ की समग्र का आधिक्य राजस्व प्रवर्ग के अंतर्गत 16 अनुदानों तथा एक विनियोजन, पूंजीगत प्रवर्ग के अंतर्गत चार अनुदानों तथा एक विनियोजन में ₹887.80 करोड़ के आधिक्य के फलस्वरूप था।

बचतों/आधिक्यों (विस्तृत विनियोजन लेखे) को नियंत्रण अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ सूचित किया गया (जुलाई 2010) कि वे महत्वपूर्ण अन्तरो का स्पष्टीकरण दें। इसके अतिरिक्त, वित्त विभाग को भी सूचित किया गया था (अगस्त 2010)। 777 उप-शीर्षों में से 563 उप-शीर्षों (बचत: 283 उप-शीर्ष तथा आधिक्य: 280 उप-शीर्ष) के सम्बन्ध में अन्तर के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 2010)। 15 विभागों के वास्तविक आधिक्य प्रत्येक मामले में ₹एक करोड़ के सारभूत आधिक्य है तथा आठ विभागों प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक की बचतें हैं।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन

2.3.1 आबंटित अग्रताओं की तुलना में विनियोजन

विनियोजन लेखापरीक्षा के परिणाम से उद्घाटित हुआ कि 19 मामलों में बचतें प्रत्येक मामले में ₹एक करोड़ तक बढ़ गई तथा छः मामलों में कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक रही (परिशिष्ट 2.1)। कुल ₹446.48 करोड़ की बचतों के प्रति दो विनियोजनों तथा एक अनुदान से सम्बन्धित तीन मामलों में ₹284.20 करोड़¹ (64 प्रतिशत) की बचतें हुईं जैसाकि तालिका-2.2 में इंगित है।

तालिका-2.2: ₹50 करोड़ एवं अधिक की बचतों सहित अनुदानों की सूची

(₹ करोड़)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	मूल	अनुपूरक	जोड़	वास्तविक व्यय	बचत
राजस्व प्रभारित						
1.	29-वित्त	2,048.59	---	2,048.59	1,955.85	92.74
पूंजीगत-दत्तमत						
2.	23-विद्युत विकास	242.00	---	242.00	164.46	77.54
पूंजीगत-प्रभारित						
3.	29-वित्त	980.73	---	980.73	866.81	113.92
योग		3,271.32	---	3,271.32	2,987.12	284.20

बचतों के कारण प्रतीक्षित (सितम्बर 2010) थे।

2.3.2 अधिक व्यय

14 मामलों में ₹8,972.39 करोड़ का कुल व्यय अनुमोदित प्रावधानों से ₹884.23 करोड़ तक बढ़ गया तथा प्रत्येक मामले में ₹एक करोड़ से अधिक तथा तीन मामलों में कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक रहा। ब्यौरा परिशिष्ट-2.2 में दिया गया है। इनमें से निम्नलिखित अनुदानों/शीर्षों (तालिका-2.3) में गत पांच वर्षों में निरन्तर अधिक व्यय पाया गया:

¹ प्रत्येक मामले में ₹50 करोड़ से अधिक।

तालिका-2.3: 2005-10 के दौरान निरन्तर अधिक व्यय को इंगित करने वाली अनुदानों की सूची
(₹ करोड़)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	अधिक व्यय राशि				
		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
राजस्व-दत्तमत्त						
1.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल एवं भवन	120.02	161.42	126.38	134.46	215.36
2.	14-पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	1.89	4.63	7.76	4.08	5.70

निरन्तर आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2010)।

2.3.3 बिना प्रावधान के व्यय

बजट नियमावली के अनुसार निधियों के प्रावधान के बिना स्कीम/सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, यह देखा गया कि चार मामलों में मूल आकलनों/अनुपूरक मांग में बिना किसी प्रावधान के तथा इस आशय के बिना किसी पुनर्विनियोजन आदेशों के ₹451.37 करोड़ का व्यय किया गया जैसाकि तालिका-2.4 में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका-2.4: वर्ष 2009-10 के दौरान बिना प्रावधान के किया गया व्यय

(₹ करोड़)

अनुदानों/विनियोजनों की संख्या व नाम	बिना प्रावधान व्यय राशि	अभ्युक्तियां
05-भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	19.30	कारण प्रतीक्षित थे।
13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	54.33	कारण प्रतीक्षित थे।
29-वित्त	377.24	कारण प्रतीक्षित थे।
31-जनजातीय विकास	0.50	कारण प्रतीक्षित थे।
योग	451.37	

2.3.4 बजट अनुदान को व्यपगत होने से बचाने हेतु निधियों का आहरण

वित्तीय नियमावली के नियम 2.10 के साथ पठित खजाना नियमों के प्रावधानों के अनुसार खजाने से धन का आहरण नहीं किया जाना चाहिए जब तक वह शीघ्र वितरणार्थ आवश्यक न हो। विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के अभिलेख की नमूना-जांच के दौरान यह पाया गया कि आहरित राशियां न तो पूर्णतः निर्दिष्ट उद्देश्यों हेतु खर्च की गईं और न ही वित्तीय वर्ष 2009-10 के समापन से पूर्व खजाना में प्रत्यार्पित की गईं जैसाकि नीचे ब्यौरा दिया गया है:

(i) **अप्रयुक्त निधियां:** 2008-09 के दौरान निदेशक उद्यान, हिमाचल प्रदेश, शिमला द्वारा नवबहार में निदेशक एवं पर्यवेक्षण प्रशिक्षण केन्द्र हेतु आवासीय भवन निर्माणार्थ आहरित ₹32 लाख निष्पादन एजेंसी लोक निर्माण विभाग के पास सितम्बर 2010 तक अप्रयुक्त पड़े थे क्योंकि कार्य आरम्भ करने के लिए ₹32 लाख की राशि अपर्याप्त थी।

(ii) **अव्ययित शेष:** खण्ड चिकित्सा अधिकारी, घुमारवीं ने हरलोग स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्टॉफ क्वार्टरों के निर्माणार्थ ₹15 लाख का आहरण किया (दिसम्बर 2006-जनवरी 2007) किन्तु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्टॉफ हेतु विद्यमान क्वार्टरों की पर्याप्त संख्या होने के कारण राशि सितम्बर 2010 तक अव्ययित रही।

(iii) **अप्रयुक्त निधियां:** प्रधानाचार्य, इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला द्वारा आप्रेशन थियेटरों के नवीकरणार्थ ₹68.77 लाख का मार्च 2007 में आहरण किया तथा निष्पादन एजेंसी लोक निर्माण विभाग को अंतरित किए गए किन्तु राशि निष्पादन एजेंसी के पास अप्रयुक्त पड़ी रही (सितम्बर 2010) क्योंकि आप्रेशन थियेटरों को सांस्थानिक अधिकारियों द्वारा लोक निर्माण विभाग को नहीं सौंपा गया था।

(iv) **बजट को व्यपगत होने से बचाने हेतु निधियों का आहरण:** 11 मण्डलों के (लोक निर्माण: आठ मण्डल² तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य: तीन मण्डल³) अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ (मई 2009-मार्च 2010) कि वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंत में विभिन्न सड़कों, भवनों, ट्यूबवेलों, बाढ़ बचाव कार्यों तथा मुरम्मत व अनुरक्षण कार्यों के निर्माण हेतु सम्बन्धित अधीक्षण अभियंताओं द्वारा साख पत्र के माध्यम से ₹16.70 करोड़ (लोक निर्माण: ₹12.29 करोड़ तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य: ₹4.41 करोड़) जारी किए। अधिशासी अभियंताओं द्वारा ₹16.70 करोड़ की समस्त राशि मार्च 2009 में आहरित की गई और अंतिम व्यय के रूप में लेखों में दर्शाई गई। इसमें से 10 मण्डलों⁴ ने उनके नियंत्रणधीन उप-मण्डलों/अन्य मण्डलों को ₹15.70 करोड़ (लोक निर्माण: ₹11.29 करोड़ तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य: ₹4.41 करोड़) अंतरित किए तथा निक्षेपों के अंतर्गत रखे। अधिशासी अभियंता, भवन एवं मार्ग मण्डल, काजा द्वारा अतिरिक्त उपायुक्त, काजा को अंतरित (मार्च, 2009) ₹एक करोड़ की शेष राशि भी वापिस प्राप्त हुई (मई 2009) और उसके पश्चात् निक्षेप शीर्ष के अंतर्गत रखी गई। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2008-09 में ₹16.70 करोड़ के व्यय को कार्यों के अन्तिम लेखा शीर्ष को दर्शाना और अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में इसकी प्रयुक्ति नियमों के विपरीत थी।

सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं ने तथ्यों की पुष्टि की (मई 2009-मार्च 2010)।

(v) **बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिए किए गए अग्रिम भुगतान:** चार मण्डलों⁵ के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ (जून 2009-मार्च 2010) कि सामग्री के प्रापणार्थ हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, शिमला (निगम) को ₹10.66 करोड़ 31 मार्च 2008 (₹2.56 करोड़) तथा 31 मार्च 2009 (₹8.10 करोड़) का अग्रिम भुगतान किया गया। अग्रिम भुगतानों की राशि नाहन मण्डल को छोड़कर उच्चत शीर्ष "विविध निर्माण कार्य अग्रिम" सामग्री की लम्बित प्राप्ति के अन्तर्गत रखने के बजाए विभिन्न कार्य के अन्तिम लेखाशीर्ष को प्रभारित किया था। यह भी देखा गया कि मण्डलों के अभिलेख में ऐसा कुछ नहीं था जो यह दिखा सके कि सामग्री के प्रापणार्थ निगम को भारी अग्रिम भुगतान करने से पूर्व सामग्री की आवश्यकता का कभी निर्धारण किया गया था।

निगम ने ₹7.50 करोड़ के अग्रिम भुगतान के प्रति मार्च 2009 तक नाहन व शिमला-1 मण्डलों को क्रमशः ₹26.23 लाख तथा ₹80.23 लाख मूल्य का सीमेंट और डकटाइल लोहे की पाइपों की आपूर्ति की तथा ₹6.44 करोड़ की शेष राशि मई 2009 तथा मार्च 2010 के मध्य प्रत्यार्पित की। आनी व सुन्दरनगर मण्डलों के सम्बन्ध में सामग्री की कोई आपूर्ति प्राप्त नहीं हुई तथा निगम ने सारी अग्रिम राशि (₹3.16 करोड़) क्रमशः जून 2009 व

² बिलासपुर-II, चम्बा, चौपाल, जुब्बल, कड़छम, कसौली, काजा तथा शिमला-II

³ हमीरपुर, शाहपुर तथा ऊना-II

⁴ बिलासपुर-II, चम्बा, चौपाल, हमीरपुर, जुब्बल, कड़छम, कसौली, शाहपुर, शिमला-II तथा ऊना-II

⁵ आनी, नाहन, शिमला-I व सुन्दरनगर।

अगस्त 2009 में प्रत्यर्पित की। निगम द्वारा प्रत्यर्पित राशि को अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में प्रयुक्त हेतु 'लोक निर्माण निक्षेप' के अन्तर्गत रख दी और इस प्रकार सामान्य बजटीय प्रक्रिया से बाहर रखी गई।

अधिकांसी अभियन्ताओं ने तथ्यों की पुष्टि की (जून 2009-मार्च 2010) और बताया कि निधियां वित्तीय वर्षों (2007-08 व 2008-09) के अन्त में प्राप्त हुई थी तथा उन्हें व्ययगत/अभ्यर्पण होने से बचाने के लिए निगम के पास जमा करवाकर प्रयुक्त किया जाना था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह वित्तीय नियमों के विपरीत है।

विभाग की कार्रवाई के परिणामस्वरूप सरकार को ₹63.67 लाख के ब्याज की हानि हुई (2008-09 के दौरान इसके उधारों पर 9.19 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर निकाला गया) क्योंकि राशि निगम के पास सरकारी लेखे से 50 से 472 दिनों तक बाहर रही। इसके अतिरिक्त, इसकी वास्तविक प्रयुक्ति के बिना लेखों में व्यय की गलत स्थिति दर्शाई गई और पुनः निधियों का 'लोक निर्माण निक्षेप' के अन्तर्गत अवरोधन किया गया।

(vi) लोक निर्माण निक्षेपों के अन्तर्गत निधियों का अप्रयुक्त रहना: अधिकांसी अभियन्ताओं द्वारा उनकी ओर से कार्यों के निष्पादनार्थ विभिन्न विभागों/एजेन्सियों से प्राप्त निधियां "लोक निर्माण निक्षेप" अल्पकालिक शीर्ष के अन्तर्गत अस्थायी रूप से रखी गई थी। ऐसी निधियों को अनिश्चित अवधि हेतु अप्रयुक्त रहने नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि उनका दीर्घ अवरोधन न केवल राशि को सामान्य बजटीय प्रक्रिया से बाहर रखता है अपितु सरकारी निधियों का अवरोधन भी होता है।

पांच मण्डलों⁶ के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ (जुलाई 2009-मार्च 2010) कि 11 निक्षेप कार्यों⁷ के निष्पादनार्थ सितम्बर 2004 व जुलाई 2009 के मध्य विभिन्न विभागों से प्राप्त ₹3.77 करोड़ कार्य आरम्भ न होने के कारण अप्रयुक्त रहे जिसके कारण सम्बन्धित विभागों (नौ मामले) द्वारा कार्यस्थलों को न सौंपना/अन्तिम रूप न देना, आकलन (एक मामला) को अन्तिम रूप न देना और कार्य निष्पादनार्थ सम्बन्धित विभाग का लंबित निर्णय (एक मामला) थे। नाहन स्थित डिग्री महाविद्यालय के निर्माण के सम्बन्ध में कार्यस्थल न सौंपने के कारण ₹चार करोड़ (जुलाई 2007 तक जमा किए) की अप्रयुक्ति भी मार्च 2009 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के परिच्छेद 2.20 में इंगित की गई है। इसके बावजूद उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा कार्यस्थल की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना पुनः ₹0.65 करोड़ जमा (मार्च 2009) करवाए गए।

सम्बन्धित अधिकांसी अभियन्ताओं ने तथ्यों को स्वीकार कर लिया (जुलाई 2009-मार्च 2010)। स्पष्टतः, निक्षेप शीर्ष के अन्तर्गत सम्बन्धित मण्डलों द्वारा विभिन्न विभागों से पूर्व अपेक्षित औपचारिकताओं तथा संस्वीकृत अवसंरचना के कार्यों के निष्पादनार्थ भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना निधियों को प्राप्त किया गया।

₹3.77 करोड़ की जमा राशि आठ तथा 66 महीनों की मध्य अवधियों हेतु अप्रयुक्त रही जिसके द्वारा उद्देश्य को, जिसके लिए निधियां संस्वीकृत की गई थी, प्राप्त नहीं किया जा सका।

संक्षेप में मण्डलों की कार्रवाई से निर्धारित वित्तीय प्रणाली का उल्लंघन ही नहीं हुआ अपितु सामान्य बजटीय प्रक्रिया से बाहर भी राशि को रखा गया। इसके अतिरिक्त, कुछ अन्य जरूरतमन्द विभाग भी रहे होंगे जहां इन निधियों को लाभ कर के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता था।

⁶ कसौली, कुमारसैन, नाहन, नालागढ़ तथा रामपुर

⁷ डिग्री महाविद्यालय/चिकित्सालय भवनों का निर्माण: तीन, सामुदायिक भवन/सराय: दो, शवशाला जल टैंक: एक, स्टॉफ क्वार्टर: एक तथा विद्यालय भवन/विद्यालयों में प्रयोगशालाओं का निर्माण: चार

2.3.5 विगत वर्षों से सम्बद्ध प्रावधानों के अतिरिक्त आधिक्य जिसका नियमन करना अपेक्षित

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकार को राज्य विधानसभा से अनुदान/विनियोजन के अतिरिक्त आधिक्य को नियमित करवाना अनिवार्य है। यद्यपि अनुच्छेद के अंतर्गत व्यय नियमनार्थ कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, परन्तु व्यय के आधिक्य का नियमन लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखों पर चर्चा पूर्ण होने के पश्चात् किया जाता है। तथापि, 2007-2009 वर्षों हेतु ₹1,101.46 करोड़ की राशि के व्यय के आधिक्य का नियमन अभी किया जाना था जिसका ब्यौरा परिशिष्ट-2.3 में दिया गया है। अनुदानों/विनियोजनों हेतु नियमन के लिए लम्बित अधिक व्यय की वर्षवार राशि तालिका-2.5 में सारांशित की गई है।

तालिका-2.5: विगत वर्षों से सम्बद्ध प्रावधानों के अतिरिक्त आधिक्य जिसका नियमन करना अपेक्षित

(₹ करोड़)

वर्ष	निर्मांकित की संख्या		प्रावधान के अतिरिक्त आधिक्य राशि	नियमन स्थिति
	अनुदानों	विनियोजनों		
2007-08	18	3	544.94	लेखापरीक्षा टिप्पणियां वित्त विभाग/विधानसभा को भेजी गईं। लोक लेखा समिति द्वारा अभी तक चर्चा नहीं की गई।
2008-09	11	3	556.52	ये 13-07-2010 से चर्चा हेतु देय थे। वित्त विभाग से स्वयंमेव उत्तर अभी भी प्रतीक्षित हैं।
योग			1,101.46	

2.3.6 वर्ष 2009-10 के दौरान प्रावधान के अतिरिक्त आधिक्य जिसका नियमन करना अपेक्षित

तालिका 2.6 में वर्ष 2009-10 के दौरान राज्य की समेकित निधि से प्राधिकरण के अतिरिक्त ₹887.80 करोड़ की राशि 22 अनुदानों/विनियोजनों में कुल आधिक्य का सारांश सम्मिलित है तथा संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत विनियमन करना अपेक्षित है।

तालिका-2.6: वर्ष 2009-10 के दौरान प्रावधान के अतिरिक्त आधिक्य जिसका नियमन अपेक्षित

(₹ करोड़)

क्रमांक	अनुदान/विनियोजन की संख्या एवं शीर्षक (राजस्व तथा पूंजीगत)	कुल अनुदान	व्यय	आधिक्य
1.	01-विधान सभा	11,25,49,000	11,35,68,028	10,19,028
2.	04-सामान्य प्रशासन	83,75,73,000	84,70,74,862	95,01,862
3.	05-भू-राजस्व व जिला प्रशासन	292,91,22,761	327,44,39,442	34,53,16,681
4.	06- आबकारी एवं कराधान	26,47,28,000	27,35,78,632	88,50,632
5.	07-पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	387,79,11,045	400,22,60,814	12,43,49,769
6.	08-शिक्षा	1903,31,63,000	1906,37,72,580	3,06,09,580
7.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन	1360,78,94,000	1576,14,50,582	215,35,56,582
8.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	985,60,79,600	1222,15,70,031	236,54,90,431

9.	14-पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	131,31,67,103	137,02,11,131	5,70,44,028
10.	16-वन एवं वन्य प्राणी	300,17,50,000	553, 31,90,706	253,14,40,706
11.	19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	275,42,21,000	281,53,64,371	6,11,43,371
12.	23-विद्युत विकास	172,21,10,000	187,19,33,685	14,98,23,685
13.	26-पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन	9,25,73,000	9,36,84,990	11,11,990
14.	27-श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण	49,29,79,000	49,79,24,613	49,45,613
15.	28-शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास	101,57,75,000	115,67,26,647	14,09,51,647
16.	29-वित्त	1328,80,63,000	1377,68,32,099	48,87,69,099
17.	02-राज्यपाल एवं मंत्री परिषद्	2,67,27,000	2,85,18,187	17,91,187
18.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन	325,83,00,000	326,50,33,076	67,33,076
19.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	420,78,46,000	440,25,68,902	19,47,22,902
20.	25-सड़क एवं जल परिवहन	45,32,00,000	63,32,00,000	18,00,00,000
21.	32-अनुसूचित जाति उप योजना	382,12,09,000	384,04,31,066	1,92,22,066
22.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन	12,02,94,000	12,19,08,087	16,14,087
	योग	8608,72,34,509	9496,52,42,531	887,80,08,022 अथवा 887.80 करोड़

सरकार द्वारा आधिक्यों के लिए कारणों को सितम्बर 2010 तक प्रस्तुत नहीं किया गया था।

2.3.7 अनावश्यक/अधिक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान पांच मामलों में, प्रत्येक मामले में ₹25 लाख अथवा अधिक, प्राप्त समग्र ₹13.55 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान से नीचे रहा जिसका ब्यौरा परिशिष्ट-2.4 में दिया गया है। 11 मामलों में ₹486.66 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान ₹814.32 करोड़ (परिशिष्ट-2.5) के कुल अनावृत्त आधिक्य व्यय को परित्यक्त करते हुए प्रत्येक में ₹एक करोड़ से अधिक रहने से अपर्याप्त सिद्ध हुआ। ₹814.32 करोड़ के अनावृत्त आधिक्य में से ₹253.15 करोड़ (31 प्रतिशत) वन विभाग द्वारा खर्च किए गए।

2.3.8 निधियों का आधिक्य/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन निधियों का, विनियोजन की एक इकाई से जहां बचतें प्रत्याशित हैं, दूसरी इकाई को जहां अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है, अनुदान के भीतर हस्तांतरण किया जाता है। अविवेकी पुनर्विनियोजन अधिक अथवा अपर्याप्त सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप 140 उप-शीर्षों में ₹10 लाख से अधिक की बचतें/आधिक्य हुआ। 35 उप-शीर्षों में आधिक्य/बचतें ₹दो करोड़ से अधिक की थी जिसका ब्यौरा परिशिष्ट-2.6 में दिया गया है। इनमें से तीन⁸ उप शीर्षों में बचतें/व्यय ₹25 करोड़ तथा उससे अधिक हुआ जिसके लिए सरकार ने कोई भी कारण सितम्बर 2010 तक प्रस्तुत नहीं किए थे।

⁸ अनुदान संख्या 10, 23 व 29: प्रत्येक का एक उप-शीर्ष।

2.3.9 अस्पष्ट पुनर्विनियोजन

हिमाचल प्रदेश बजट मैनुअल के परिच्छेद 13.3 (ख) के अनुसार अतिरिक्त व्यय तथा बचतों हेतु कारणों को पुनर्विनियोजन विवरणी में स्पष्ट किया जाना चाहिए तथा “अतिप्राक्कलन के कारण”, “पुनर्विनियोजन अनावश्यक अथवा अपर्याप्त सिद्ध हुआ”, आदि अस्पष्ट शब्दों के वाक्यांशों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि “यात्रा भत्तों” के अंतर्गत आधिक्य होते हैं तो यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्यों अतिरिक्त यात्रा भत्ते का अनुमान नहीं लगाया जा सका तथा इसकी लागत को वहन करने हेतु प्रावधान नहीं किया गया और यह क्यों आवश्यक था। तथापि, वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन के आदेशों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 2,996 (19 प्रतिशत) में से 569 मदों के सम्बन्ध में पुनर्विनियोजन आदेशों में अतिरिक्त प्रावधान/प्रत्याहरण प्रावधान हेतु दिए गए कारण जैसे “स्टॉफ द्वारा अधिक/कम यात्रा”, “मशीनरी/उपकरणों की अधिक/कम खरीद”, “किराया, दरों व कर बिलों की अधिक/कम प्राप्ति” तथा “अन्य स्कीमों के अंतर्गत अधिक व्यय” सामान्य प्रकृति के थे।

2.3.10 पर्याप्त अभ्यर्पण

स्कीमों/कार्यक्रमों के या तो कार्यान्वयन न करने अथवा धीमे कार्यान्वयन से 23 उप-शीर्षों के सम्बन्ध में पर्याप्त अभ्यर्पण (मामले जहां कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक अभ्यर्पित था) किया गया। इन 23 स्कीमों में ₹535.78 करोड़ के कुल प्रावधान में से ₹478.21 करोड़ (89 प्रतिशत) का अभ्यर्पण किया गया जिसमें 6 स्कीमों में (₹52.70 करोड़) (परिशिष्ट 2.7) शत प्रतिशत अभ्यर्पण सम्मिलित था।

इसी भांति, पांच अन्य अनुदानों (प्रत्येक अनुदान में ₹एक करोड़ तथा अधिक की बचतें इंगित थीं) के अंतर्गत ₹29.76 करोड़ की कुल बचतों में से ₹9.98 करोड़ (कुल बचतों का 34 प्रतिशत) की समग्र राशि अभ्यर्पित नहीं की गई जिसका ब्यौरा परिशिष्ट-2.8 में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सात मामलों में (₹10 करोड़ से अधिक की निधियों का अभ्यर्पण) अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण को इंगित करते हुए मार्च 2010 के अंतिम कार्य दिवस पर ₹340.58 करोड़ अभ्यर्पित किए गए (परिशिष्ट-2.9)। तथ्य यह भी है कि इन निधियों की प्रयुक्ति अन्य विकास उद्देश्यों हेतु नहीं की जा सकी।

2.3.11 वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण

नौ मामलों में अभ्यर्पित की गई राशि (प्रत्येक मामले में ₹50 लाख अथवा अधिक) वास्तविक बचतों से अधिक थी जो इन विभागों में बजटीय नियंत्रण की कमी अथवा अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को इंगित करता है। ₹131.13 करोड़ की बचतों के प्रति अभ्यर्पित राशि ₹158.66 करोड़ थी जिसके परिणामस्वरूप ₹27.53 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण हुआ। ब्यौरा परिशिष्ट-2.10 में दिया गया है। बचतों से अधिक के अभ्यर्पण के कारण प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2010)।

2.3.12 व्यय का तीव्र प्रवाह

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली के अनुसार व्यय का नियमन चरणबद्ध ढंग से किया जाना चाहिए तथा वित्तीय वर्ष के समापन मास में व्यय के तीव्र प्रवाह से बचना चाहिए। इसके विपरीत परिशिष्ट-2.11 में सूचीबद्ध 28 उप-शीर्षों के सम्बन्ध में ₹ 10 करोड़ तथा वर्ष हेतु कुल व्यय का 50 प्रतिशत से भी अधिक मार्च 2010 में खर्च किया गया। तालिका 2.7 मुख्य शीर्षों को दर्शाती है जहां व्यय 50 प्रतिशत से अधिक या तो वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही अथवा अंतिम मास के दौरान किया गया।

तालिका-2.7: 2009-10 के वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय के तीव्र प्रवाह के मामले

(₹ करोड़)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष (प्रभारित/ दत्तमत)	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2010 के दौरान व्यय	
			राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
1.	2236(वी)	68.48	37.68	55	28.67	42
2.	2402(वी)	45.73	23.27	51	16.11	35
3.	2406(वी)	578.21	380.95	66	65.28	11
4.	2801(वी)	185.33	169.50	91	169.00	91
5.	2851(वी)	38.69	23.22	60	17.90	46
6.	4059(वी)	47.44	30.65	65	23.19	49
7.	4202(वी)	214.69	174.05	81	134.73	63
8.	4210(वी)	69.48	65.08	94	39.39	57
9.	4402(वी)	48.64	46.56	96	39.58	81
10.	4701(वी)	57.79	38.23	66	28.90	50
11.	4702(वी)	187.34	116.87	62	94.34	50
12.	4711(वी)	70.97	43.62	61	38.06	54
13.	4801(वी)	210.61	156.01	74	156.01	74
14.	5054(सी)	12.19	11.86	97	11.86	97
	योग	1,835.59	1,317.55	72	863.02	47

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय

2.3.13 आयुर्वेद विभाग में बजटीय प्रक्रिया

वर्ष के दौरान आयुर्वेद विभाग की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा की गई और बजटीय प्रक्रिया में निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

2005-10 की अवधि के दौरान आयुर्वेद विभाग ने आयुष के विकासार्थ ₹404.50 करोड़ का आवंटन किया था जिसके प्रति ₹449.04 करोड़ का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹44.54 करोड़ (11 प्रतिशत) का आधिक्य हुआ।

वित्तीय एवं परिचालनात्मक प्रबन्धन में कमी थी क्योंकि औषधियों एवं आकस्मिकताओं हेतु उपलब्ध संसाधनों में कमी आ रही थी जबकि स्टॉफ के वेतन एवं मजदूरी पर व्यय असाधारण रूप से बढ़ रहा था। ₹1.17 करोड़ की अप्रयुक्त केन्द्रीय अनुदानों को अनधिकृत रूप से राज्य प्राप्ति के रूप में खजाने में जमा करवाया गया।

आयुष संस्था ने 2005-10 के दौरान आयुष संस्थाओं के विकासार्थ भारत सरकार से ₹37.23 करोड़ प्राप्त किए जिनमें से मार्च 2010 तक ₹30.19 करोड़ अप्रयुक्त रहे जो इस तथ्य का सूचक है कि विभाग में बजटीय एवं वित्तीय प्रबन्धन की कमी थी।

2.4 विभागीय आंकड़ों का मिलान न करना

2.4.1 सार आकस्मिक बिलों के प्रति विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत करने में लम्बन

नियमानुसार प्रत्येक आहरण अधिकारी को प्रत्येक सार आकस्मिक बिल में प्रमाणित करना होता है कि प्रथम चालू मास से पूर्व उसके द्वारा आहरित किए गए सभी आकस्मिक प्रभारों हेतु विस्तृत बिलों को प्रतिहस्ताक्षरार्थ एवं महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को भेजने के लिए सम्बद्ध नियंत्रण अधिकारियों को अग्रेषित कर दिए गए हैं।

निदेशालय स्तर पर 42 विभागों के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 2005-10 की अवधि के दौरान नौ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों⁹ के सम्बन्ध में सार आकस्मिक बिलों पर ₹136.70 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया जिसके प्रति केवल ₹43 करोड़ के विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल प्रस्तुत किए गए जिससे 31 मार्च 2010 तक ₹93.70 करोड़ का बकाया शेष रह गया।

2005-10 वर्षों हेतु वर्षवार एवं विभागवार लंबित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों का ब्यौरा परिशिष्ट-2.12 में दिया गया है। यह भी देखा गया कि अधिकांश सार आकस्मिक बिलों का मध्याह्न भोजन स्कीम, औषधियों/अपरिष्कृत जड़ी-बूटियों की खरीद, विशेष पोषण कार्यक्रम मदों की खरीद, पेट्रोल, तेल व स्नेहक व्यय तथा प्रशिक्षण हेतु आहरण किया जा रहा था। सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों को न प्रस्तुत करने के लिए कोई तर्कपूर्ण कारणों को सूचित नहीं किया गया।

सार आकस्मिक बिलों के आहरण पश्चात् दीर्घावधियों हेतु विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत न करने से दुर्विनियोजन का जोखिम बना रहता है और इसलिए इनका अनुश्रवण ध्यानपूर्वक किए जाने की आवश्यकता है।

2.4.2 अस्थायी अग्रिमों का समायोजन न करना

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने आकस्मिक व्यय के उद्देश्यार्थ अस्थायी अग्रिमों का या तो स्थायी आदेशों के अधिकार अथवा राज्य सरकार की विशिष्ट संस्वीकृति पर आहरण किया। हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली के नियम 2.10 के अनुसार खजाना अधिकारी प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष को केवल ₹10,000 की सीमा तक अग्रिम आहरण के लिए अधिकृत कर सकता है तथा उसके बाद अग्रिम आहरण उसके द्वारा तब तक अनुमत नहीं किया जाएगा जब तक पहले अग्रिम को विधिपूर्वक लेखाबद्ध नहीं किया जाता।

⁹ पशुपालन, शिक्षा, वित्त (खजाना एवं लेखे), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भारतीय औषधि एवं होम्योपैथी पद्धति, श्रम एवं रोजगार, पंचायती राज, युवा सेवाएं एवं क्रीड़ा तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता।

राज्य में आठ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों¹⁰ के अभिलेखों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि मार्च 2010 तक ₹7.35 करोड़ समायोजनार्थ लम्बित थे। लम्बित अग्रिमों का अवधिवार विश्लेषण तालिका-2.8 में दिया गया है।

तालिका-2.8

क्रमांक	लम्बन	अग्रिमों की संख्या	राशि (₹ करोड़)
1.	पांच वर्षों से अधिक व 10 वर्षों तक	33	0.05 (0.68)
2.	एक वर्ष से अधिक किन्तु पांच वर्षों से कम	465	7.30 (99.32)
योग		498	7.35 (100)

कोष्ठक के आंकड़े कुल राशि की प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

स्रोत: विभागीय आंकड़े

सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा अस्थायी अग्रिमों के असमायोजन हेतु कोई कारण प्रस्तुत नहीं किए। दीर्घावधियों तक अस्थायी अग्रिमों का समायोजन न करने से दुर्विनियोजन एवं धोखेबाजी का जोखिम बना रहता है। सम्बन्धित विभागों के नियंत्रण अधिकारियों को प्राधिकरण पर निर्धारित वित्तीय नियंत्रण तथा अस्थायी अग्रिमों के समय पर नियमनिष्ठ समायोजन करने की आवश्यकता है।

2.5 व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं का परिचालन

व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं को समेकित निधि को डेबिट द्वारा सृजित किया जाता है और उसे समेकित निधि में सम्बद्ध सेवा शीर्षों को शेष के ऋणात्मक डेबिट द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त में बन्द किया जाना चाहिए।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय से एकत्रित सूचना से उद्घाटित हुआ कि 2009-10 वर्ष के आरम्भ में 14 जिला खजानों में 137 व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं का परिचालन किया जा रहा था जिसमें से ₹92,821 (₹73,612 व ₹19,210 के (-) शेषों वाले दो व्यक्तिगत निक्षेप लेखे तथा ₹एक का जमाशेष वाला एक व्यक्तिगत निक्षेप लेखा) से अंतरग्रस्त तीन व्यक्तिगत निक्षेप लेखे वर्ष के दौरान बन्द किए गए। वर्ष 2009-10 के दौरान कोई नए व्यक्तिगत निक्षेप लेखों का सृजन नहीं किया गया। 31 मार्च 2010 तक ₹138.68 करोड़ के शेष वाले शेष 134 व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं की स्थिति निम्नवत् थी:

- वर्ष के दौरान ₹132.69 करोड़ के शेष वाले 48 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे परिचालन में थे।
- चालू वर्ष के दौरान ₹5.99 करोड़ की राशि से अन्तर्ग्रस्त 86 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे परिचालन में रहे।
- सभी 86 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे निरन्तर 20 वर्षों की अवधियों तक परिचालन में रहे। इनमें से ₹13.50 लाख के शेष वाले 15 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे पांच वर्षों से अधिक किन्तु 20 वर्षों से कम परिचालन में रहे।

¹⁰ (i) नियंत्रक डॉ. वाई.एस. परमार विश्वविद्यालय, सोलन (₹323.15 लाख) (ii) डीएचएस-एवं-नोडल अधिकारी (एसएसआरसी), शिमला (₹271.05 लाख) (iii) निदेशक, शहरी विकास, शिमला (₹0.26 लाख) (iv) उप निदेशक, कृषि, कुल्लू (₹23.88 लाख) (v) अधिशासी अभियन्ता (अभिकल्प), डा0 वाई0एस0 परमार विश्वविद्यालय, सोलन (₹5.38 लाख) (vi) प्रबन्धक निदेशक, हिमाचल प्रदेश दुग्ध संघ, टूट्ट, शिमला (₹109.44 लाख) (vii) परियोजना निदेशक, मरुस्थल विकास परियोजना, पूह (₹1.13 लाख) तथा तथा (viii) वैज्ञानिक-ग, अनुसंधान विस्तार केन्द्र, पालमपुर, कांगड़ा (₹0.35 लाख)।

- व्यक्तिगत निक्षेप सामान्य रूप से क्रेडिट शेष के साथ बन्द होने चाहिए क्योंकि निक्षेप के प्रति भुगतान प्राप्त निक्षेपों से बढ़ना नहीं चाहिए। व्यक्तिगत निक्षेप लेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि छः मामलों (परिशिष्ट-2.13) में ₹2.34 लाख के प्रतिकूल शेष थे जो अवर्गीकरण, अधिक भुगतानों, लेखों का समाधान न करने अथवा कुछ अन्य कारणों जिनकी जांच तथा संशोधन किया जाना अपेक्षित था, के कारण हो सकते थे।

अतः विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु निधियों को कार्य करने के बिना, जिसके लिए संस्वीकृत व जारी की गई थी, व्यक्तिगत निक्षेप लेखों में रखा गया था। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् व्यक्तिगत निक्षेप लेखे में निधियों को रखने की प्रथा निधियों के दुरुपयोग का जोखिम बढ़ाती है जिसे रोकने की आवश्यकता है।

2.6 चयनित अनुदान की समीक्षा के परिणाम

एक अनुदान (अनुदान संख्या 10-लोक निर्माण, सड़कें, पुल एवं भवन) की समीक्षा से निम्नलिखित उद्घाटित हुआ:

(i) अवास्तविक आकलन के कारण बजट प्रावधान की तुलना में आधिक्य नियमन के लिए प्रतीक्षित

2009-10 के दौरान अनुदान के अन्तर्गत ₹216.19 करोड़ (राजस्व प्रवर्ग: ₹215.36 करोड़ तथा पूंजीगत प्रवर्ग: ₹0.83 करोड़) का कुल आधिक्य था। ऐसे आधिक्य को अंशदान देने वाले अनुदान के मुख्य शीर्ष का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

तालिका-2.9

(₹ करोड़)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	कुल बजट प्रावधान				व्यय	आधिक्य	प्रतिशतता
		राजस्व (दत्तमत्त)	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन			
1.	2059-लोक निर्माण	356.21	4.71	(-) 25.91	335.01	524.83	(+) 189.82	56.66

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय

उपरोक्त से देखा गया कि 5059 मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत यद्यपि भारी आधिक्य था, वर्ष के दौरान ₹25.91 करोड़ राशि का शीर्ष में से पुनर्विनियोजन किया गया। लेखापरीक्षा में देखा गया कि ऐसे भारी आधिक्य के मुख्य कारण 'स्टॉक उच्चत' के अन्तर्गत ₹87.24 करोड़ तक का अंशदान था। मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत बजट प्रावधान एवं वास्तविक व्यय के मध्य ऐसी भारी विभिन्नता के कारण सूचित नहीं किए जा सके जो मांगे गए थे। यह सूचित करता है कि बनाया गया बजट आकलन अवास्तविक था।

अनुदान के अन्तर्गत ₹216.19 करोड़ के समग्र आधिक्य व्यय का नियमन नहीं किया गया था (सितम्बर 2010)।

(ii) अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

तीन मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹328.32 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता के प्रति केवल ₹111.65 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया गया था जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

तालिका-2.10

(₹ करोड़)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष राजस्व (दत्तमत)	कुल बजट प्रावधान				व्यय	आधिक्य	मूल प्रावधान तथा व्यय में अंतर
		मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	योग			
1.	2059-लोक निर्माण	356.21	4.71	(-) 25.91	335.01	524.83	(+) 189.82	168.62
2.	3054-सड़क एवं पुल	981.19	17.24	25.86	1,024.29	1,049.79	(+) 25.50	68.60
	योग	1,337.40	21.95	(-) 0.05	1,359.30	1,574.62	215.32	237.22
पूँजीगत (दत्तमत)								
3.	5054-सड़कों एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय	222.61	77.67	(-) 0.22	300.06	301.52	(+) 1.46	78.91
	योग	222.61	77.67	(-) 0.22	300.06	301.52	(+) 1.46	78.91
पूँजीगत (प्रभारित)								
4.	5054-सड़कों एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	12.03	0.00	12.03	12.19	(+) 0.16	12.19
	योग	0.00	12.03	0.00	12.03	12.19	0.16	12.19
	सकल योग	1,560.01	111.65	(-) 0.27	1,671.39	1,888.33	216.94	328.32

स्रोत: विनियोजन लेखे

इस प्रकार उपरोक्त मामलों में अल्प अनुपूरक प्रावधान ₹216.94 करोड़ के अनावृत्त अधिक व्यय को परित्यक्त करते हुए अपर्याप्त सिद्ध हुआ, यह भी अवास्तविक आकलन को सूचित करता है।

(iii) निधियों का अभ्यर्पण

अनुदान संख्या 10 के अंतर्गत समग्र बजट प्रावधान तथा व्यय की समीक्षा से उद्घाटित हुआ कि वर्ष 2009-10 के दौरान ₹216.19 करोड़ का कुल आधिक्य था। तथापि, विभाग ने अधिक प्रावधान हेतु अनुरोध करने की अपेक्षा वर्ष के दौरान ₹0.22 करोड़ राशि का अभ्यर्पण किया।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वित्तीय प्रबन्धन से सम्बंधित विभाग में दूरदर्शिता और योजना का अभाव था जिसके कारण ₹0.22 करोड़ का अविवेकपूर्ण अभ्यर्पण हुआ।

(iv) अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन

₹578.82 करोड़ के मूल विनियोजन के प्रति अनुदान के दो मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹826.35 करोड़ का व्यय किया गया। अनुपूरक प्रावधान में ₹247.53 करोड़ प्राप्त किए जाने चाहिए थे, किन्तु इन मामलों में केवल ₹82.38 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया गया था जिसमें से ₹26.13 करोड़ का पुनर्विनियोजन किया गया जिसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त मुख्य शीर्षों के प्रति ₹191.28 करोड़ का समग्र आधिक्य हुआ जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

तालिका-2.11

(₹ करोड़)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	कुल बजट प्रावधान				व्यय	प्रावधान के प्रति आधिक्य	
		राजस्व (दत्तमत)	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन			योग
1.	2059-लोक निर्माण		356.21	4.71	(-) 25.91	335.01	524.83	189.82
	योग		356.21	4.71	(-) 25.91	335.01	524.83	189.82
	पूंजीगत (दत्तमत)							
2.	5054-सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय		222.61	77.67	(-) 0.22	300.06	301.52	1.46
	योग		222.61	77.67	(-) 0.22	300.06	301.52	1.46
	सकल योग		578.82	82.38	(-) 26.13	635.07	826.35	191.28

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय

अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त मामलों में पुनर्विनियोजन अनावश्यक एवं अविवेकपूर्ण था।

(v) अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

मुख्य शीर्ष-4059 के अंतर्गत ₹18.80 करोड़ के मूल प्रावधान एवं ₹0.15 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान के प्रति ₹18.40 करोड़ का व्यय किया गया। इस प्रकार, अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि व्यय मूल प्रावधान से कम था। अतः इस शीर्ष के अंतर्गत बचत अनुपूरक प्रावधान से अधिक थी।

(vi) व्यय का तीव्र प्रवाह

सरकार ने तिमाहीवार व्यय करने की प्रतिशतताएं निर्धारित (सितम्बर 1995) की हैं। वर्ष 2009-10 के दौरान अनुदान संख्या-10 के मामले में निर्धारित मानकों के अनुसार तिमाहीवार व्यय का प्रवाह का अनुरक्षण नहीं किया गया जैसाकि नीचे तालिकाबद्ध है:

तालिका-2.12

(₹ करोड़)

मास	व्यय	तिमाही	तिमाही व्यय	वास्तविक व्यय की प्रतिशतता	निर्धारित मानकों के अनुसार प्रतिशतता
4/2009	42.96	प्रथम तिमाही	277.73	14.50	20
5/2009	106.76				
6/2009	128.01				
7/2009	127.69	द्वितीय तिमाही	343.02	17.92	25
8/2009	107.44				
9/2009	107.89				
10/2009	175.25	तृतीय तिमाही	419.16	21.89	30
11/2009	109.07				
12/2009	134.84				
1/2010	225.06	चतुर्थ तिमाही	874.93	45.69	25
2/2010	145.69				
3/2010	504.18				
योग	1,914.84		1,914.84	100.00	100

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय

वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय का तीव्र प्रवाह कुल व्यय के 45 प्रतिशत से अधिक था। यह योजना तथा वित्तीय नियंत्रण के अभाव को इंगित करता है।

वर्ष की समाप्ति पर व्यय के तीव्र प्रवाह से निष्फल, नगण्य अथवा दोषपूर्ण योजनाबद्ध व्यय हो सकता है। विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि जहां तक व्यवहार्य हो पूरे वर्ष यथानिर्धारित निधियों का एकरूपता से व्यय किया जाए जिससे वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय के तीव्र प्रवाह को रोका जा सके।

(vii) वित्त विभाग को दायित्व विवरणियां प्रस्तुत न करना

व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखने एवं सही बजट प्राक्कलनों को तैयार करने हेतु दायित्व विवरणियों को प्रमुख अभियंता द्वारा वर्ष 2009-10 के दौरान वित्त विभाग को नहीं भेजा गया जैसाकि बजट मैनुअल के अंतर्गत अपेक्षित था।

बजट मैनुअल के अनुसार अपेक्षित अनुरक्षण की जाने वाली गुप्त/पालन न की गई देयताओं पर दृष्टि रखने की दायित्व पंजिका प्रमुख अभियंता द्वारा अनुरक्षित नहीं की गई थी।

2.7 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

₹446.48 करोड़ की बचत से ऑफ सेट ₹887.80 करोड़ के आधिक्य के परिणामस्वरूप राज्य का समग्र आधिक्य ₹441.32 करोड़ था। ₹887.80 करोड़ के अधिक व्यय का भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत नियमन करना अपेक्षित है।

‘लोक निर्माण’ एवं ‘पशु पालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य’ ने विगत पांच वर्षों से निरन्तर अधिक व्यय किया। वर्ष के दौरान पांच मामलों में (प्रत्येक मामले में ₹25 लाख अथवा अधिक) प्राप्त ₹13.55 करोड़ का सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक नहीं आया। नौ मामलों में अभ्यर्पित राशि (प्रत्येक मामले में ₹50 लाख अथवा अधिक) वास्तविक बचतों से अधिक थी। वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय के तीव्र प्रवाह के अतिरिक्त, जो विभागों में बजटीय नियंत्रण का अभाव अथवा अपर्याप्तता को इंगित करता है, निधियों के अपर्याप्त प्रावधान तथा अनावश्यक/अधिक पुनर्विनियोजन के दृष्टांत भी थे।

बजट अनुदान को व्यपगत होने से रोकने के लिए ₹31.13 करोड़ की निधियों का आहरण किया गया तथा या तो सिविल निक्षेप के अंतर्गत रखा गया अथवा निगमों को भुगतान किया गया जिससे विधायी नियंत्रण का परिहार हुआ। इसके अतिरिक्त, विकासात्मक कार्यों के लिए ₹138.68 करोड़ की निधियों का कार्यारम्भ किए बिना, जिसके लिए निधियां संस्वीकृत व जारी की गई थीं, व्यक्तिगत निक्षेप लेखों में अवरोधन किया गया। ये विभागों के समग्र वित्तीय प्रबन्धन में देखी गई चिरकालिक विशेषताएं हैं तथा ये प्रथाएं निधियों के दुरुपयोग का जोखिम बढ़ाती हैं। आगे बहुत से मामलों में बचतों को या तो अभ्यर्पित नहीं किया गया अथवा वर्ष के अंतिम दिवस में अभ्यर्पित किया जिससे अन्य विकास उद्देश्यों हेतु इन निधियों की प्रयुक्ति के लिए कोई समय नहीं बचा था।

वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय नियंत्रण: ₹887.80 करोड़ के अधिक व्यय का भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत नियमन करना अपेक्षित है। बजट के व्यपगत होने से रोकने हेतु निधियों का निक्षेप लेखों तथा व्यक्तिगत निक्षेप लेखों में अवरोधित निधियों के दुरुपयोग के जोखिम को बढ़ाता है तथा इसे रोकने की आवश्यकता है। व्यय को पहले ही योजनाबद्ध किया जाना चाहिए तथा वर्ष भर समान रूप से खर्च किया जाना चाहिए। वित्तीय प्रबन्धन में ऐसी कमियों को दूर करने हेतु बजटीय नियंत्रणों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

अनुश्रवण तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता: ₹93.70 करोड़ के सार आकस्मिक बिलों का दीर्घ समयाधियों हेतु समायोजित नहीं किया गया था जो दुर्विनियोजन के जोखिम को बढ़ाता है, इसलिए ध्यानपूर्वक अनुश्रवण किए जाने की आवश्यकता है।

तीसरा अध्याय
वित्तीय विवरण

तीसरा अध्याय वित्तीय विवरण

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना सहित ठोस आंतरिक वित्तीय विवरण राज्य सरकार के कुशल तथा प्रभावी शासन को महत्वपूर्ण सहयोग देता है। अतः ऐसी अनुपालनाओं की स्थिति पर विवरण की सामयिकता तथा गुणवत्ता के साथ-साथ वित्तीय नियमों, प्रक्रियाएं व दिशासूचकों की अनुपालना सफल शासन के गुणों में से एक है। अनुपालना एवं नियंत्रणों पर विवरण यदि प्रभावी व परिचालनात्मक है तो राज्य सरकार को अनुकूल योजना तथा निर्णय लेने सहित इसकी मूल प्रबन्धकता उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में सहयोग देता है। यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं व दिशासूचकों सहित राज्य सरकार की अनुपालना के विहंगावलोकन तथा स्थिति को उपलब्ध करवाता है।

3.1 उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि विशिष्ट उद्देश्य हेतु दिए गए अनुदानों के उपयोगिता प्रमाणपत्र विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहियों से प्राप्त किए जाने चाहिए तथा सत्यापन के बाद इन्हें इनकी संस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर, अन्यथा जब तक निर्दिष्ट न हो, महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को प्रेषित किए जाने चाहिए। तथापि, वर्ष 2009-10 तक ₹1257.75 करोड़ के अनुदानों व ऋणों के सम्बन्ध में देय 43,238 उपयोगिता प्रमाणपत्रों में से ₹829.48 करोड़ की कुल राशि के 26,057 उपयोगिता प्रमाणपत्र (60 प्रतिशत) मार्च 2010 तक लम्बित थे जिनमें से ₹23.95 करोड़ के 199 उपयोगिता प्रमाणपत्र पांच वर्षों से अधिक से लम्बित थे। बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों का विभागीय-वार ब्यौरा परिशिष्ट-3.1 में दिया गया है तथा उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने का अवधिवार विलम्ब तालिका-3.1 में सारांशित है।

तालिका-3.1: उपयोगिता प्रमाणपत्रों का अवधिवार बकाया

(₹ करोड़)

क्रमांक	विलम्बावधि (संख्या वर्षों में)	प्रदत्त कुल अनुदान		बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	
		मामलों की संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	0-1	21,543	582.25	18,823	462.71
2.	1-3	20,567	566.57	6,465	304.28
3.	3-5	822	77.63	570	38.54
4.	5-7	281	23.20	196	18.42
5.	7-9	22	6.44	2	4.16
6.	9 व ऊपर	3	1.66	1	1.37
	योग	43,238	1257.75	26,057	829.48

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय

लम्बित उपयोगिता प्रमाणपत्र मुख्यतया शिक्षा विभाग (18,891 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹161.86 करोड़), ग्रामीण विकास विभाग (4,108 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹470.16 करोड़), उद्योग विभाग (704 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹2.47 करोड़), कला एवं संस्कृति (859 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹2.13 करोड़), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (1,042 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹54.27 करोड़), शहरी विकास विभाग (51 उपयोगिता

प्रमाणपत्र: ₹62.52 करोड़), क्रीड़ा एवं युवा (49 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹6.35 करोड़), पर्यटन विभाग (3 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹1.86 करोड़), वन (9 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹3.61 करोड़) तथा सचिवालय एवं सामाजिक सेवा (10 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹3.70 करोड़) से सम्बंधित थे।

उपयोगिता प्रमाणपत्रों की अनुपस्थिति में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या प्राप्तकर्ताओं को अनुदानों को जिस उद्देश्य के लिए दिया गया था प्रयुक्त कर लिया गया।

3.2 स्वायत्त निकायों के लेखों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

राज्य सरकार द्वारा बहुत से स्वायत्त निकायों का गठन किया गया है। इन निकायों की बड़ी संख्या में लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा उनके लेन-देनों, परिचालनात्मक कार्यकलापों व लेखाओं, नियामक अनुपालना लेखापरीक्षा, आंतरिक प्रबंधन एवं वित्तीय नियंत्रण की समीक्षा तथा प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं आदि की समीक्षा के जांच के लिए की जाती है। राज्य में 13 निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। लेखापरीक्षा सौंपने, लेखापरीक्षा को लेखाओं को समर्पण करने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को जारी करने तथा इसको विधानसभा पटल पर रखने की स्थिति को परिशिष्ट-3.2 में बताया गया है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा सौंपने के पश्चात् लेखापरीक्षा को लेखाओं को प्रस्तुत करने तथा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधानसभा पटल पर रखने में विलम्ब होने पर स्वायत्त निकायों के आवृत्ति वितरण को तालिका-3.2 में सारांशित किया गया है।

तालिका-3.2: लेखाओं को प्रस्तुत करने तथा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को पटल पर रखने में विलम्ब

लेखाओं को प्रस्तुत करने में विलम्ब (महीनों में)	स्वायत्त निकायों की संख्या	विलम्बार्थ कारण	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधान सभा में प्रस्तुत करने में विलम्ब (वर्षों में)	स्वायत्त निकायों की संख्या	विलम्बार्थ कारण
0-1	--	--	0-1	12	भेजे नहीं गए
1-6	1	भेजे नहीं गए	1-2	--	--
6-12	--	--	तीन वर्षों से अधिक	--	--
योग	1	--	--	12	--

हिमाचल प्रदेश राज्य पशुचिकित्सा परिषद्, शिमला के लेखे अगस्त 2010 तक दो महीनों हेतु बकाया थे। लेखाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब न पकड़ी गई वित्तीय अनियमितताओं के जोखिम को बढ़ाता है अतः लेखाओं को अंतिम रूप देने तथा लेखापरीक्षा को शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

12 स्वायत्त निकायों के 12 पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अभी भी विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने हैं। इनको शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है क्योंकि इनको प्रस्तुत न करना निकायों की वित्तीय स्थिति के बारे में राज्य विधानसभा को सूचित करने के वैधानिक उत्तरदायित्व का उल्लंघन है।

3.3 दुर्विनियोजन, हानियां, गबन, आदि

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अनुसार जून 2010 की अवधि तक राज्य सरकार ने ₹76.92 लाख के सरकारी धन से अंतर्ग्रस्त दुर्विनियोजन, चूक आदि के 50 मामलों को सूचित किया जिन पर अंतिम

कार्रवाई लम्बित थी। लम्बित मामलों का विभागीयवार ब्यौरा तथा अवधिवार विश्लेषण परिशिष्ट-3.3 तथा इन मामलों का स्वरूप परिशिष्ट-3.4 में दिया गया है। लम्बित मामलों की अवधि-रूपरेखा तथा इन परिशिष्टों से प्रकट हुई प्रत्येक श्रेणी में चोरी एवं दुर्विनियोजन/हानि के लम्बित मामलों की संख्या को तालिका-3.3 में सारांशित किया गया है।

तालिका-3.3: दुर्विनियोजनों, हानियों, गबनों आदि की रूपरेखा

लम्बित मामलों की अवधि-रूपरेखा			लम्बित मामलों का स्वरूप		
वर्षावधि	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि (₹ लाख)	मामलों का स्वरूप/ विशिष्टता	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि (₹ लाख)
0-5	5	12.54	चोरी	8	6.65
5-10	11	11.97			
10-15	13	44.06	दुर्विनियोजन/सामग्री हानि	42	70.27
15-20	2	2.35			
20-25	8	1.93	योग	50	76.92
25 व ऊपर	11	4.07	वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए हानि के मामले	शून्य	शून्य
योग	50	76.92	कुल लम्बित मामले	50	76.92

विश्लेषण आगे इंगित करता है कि बकाया मामलों के कारणों का वर्गीकरण तालिका-3.4 में सूचीबद्ध श्रेणियों में किया जा सकता था।

तालिका-3.4: दुर्विनियोजन, हानियों, गबनों आदि के बकाया मामलों के कारण

लम्बित मामलों में विलम्ब/बकाया के कारण		मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख)
i)	विभागीय एवं अपराधिक जांच की प्रतीक्षा	23	49.20
ii)	विभागीय कार्रवाई शुरू की गई परन्तु अन्तिम रूप नहीं दिया गया	1	2.57
iii)	वसूली अथवा बट्टे खाते में डालने हेतु आदेशों की प्रतीक्षा	23	23.62
iv)	न्यायालय में लम्बित	2	1.51
v)	आदेश जारी किए गए किन्तु वसूली लम्बित	1	0.02
योग		50	76.92

दुर्विनियोजनों तथा हानियों से सम्बन्धित मामलों का शीघ्रता से समायोजन सुनिश्चित करने के साथ व्यवस्थित पद्धतियों को स्थापित करने के लिए एक प्रभावी प्रक्रिया को बनाए जाने की आवश्यकता है।

3.4 लेखापरीक्षा प्रभावपूर्णता-उत्तरदायित्व का अपरदन

लेखापरीक्षा परिणामों तथा टिप्पणियों के अपर्याप्त उत्तर के कारण उत्तरदायित्व का अपरदन


प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार लेन-देनों की नमूना-जांच तथा महत्वपूर्ण लेखांकन और अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण का सत्यापन करने के लिए सरकारी विभागों के आवधिक निरीक्षण करने की व्यवस्था करता है। निरीक्षणों के पश्चात् निरीक्षण प्रतिवेदनों को जारी किया जाता है। जब निरीक्षण

के दौरान कार्यस्थल पर पकड़ी गई महत्वपूर्ण अनियमितताएं आदि का समाधान नहीं हो पाता तो ये निरीक्षण प्रतिवेदन अगले उच्चतर प्राधिकारियों को एक प्रति सहित निरीक्षण किए गए कार्यालय प्रमुखों को जारी किए जाते हैं।

कार्यालय प्रमुखों तथा अगले उच्चतर प्राधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों में निहित टिप्पणियों सहित अनुपालना करना और चार सप्ताह के भीतर चूकें व त्रुटियों का परिशोधन करके उनकी अनुपालना प्रधान महालेखाकार को सूचित करना अपेक्षित होता है। गम्भीर अनियमितताएं राज्य प्रधान सचिव (वित्त) को भेजे गए लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों के अर्द्ध वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से प्रधान महालेखाकार के कार्यालय द्वारा विभागाध्यक्षों के ध्यान में भी लाई जाती हैं।

नमूना लेखापरीक्षा के परिणाम पर आधारित 31 मार्च 2010¹ को बकाया 7,881 निरीक्षण प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट ₹9,621.79 करोड़ की 21,708 लेखापरीक्षा टिप्पणियां निम्न चार्ट में इंगित की गई हैं:-

चार्ट 3.1



वर्ष 2009-10 के दौरान तदर्थ समिति (लेखापरीक्षा समिति) की 43 बैठकें आयोजित की गई जिसमें 219 निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा 1528 परिच्छेदों को समायोजित किया गया।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार को मामले को देखना और सुनिश्चित करना चाहिए कि (क) निर्धारित समयानुसूची अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों के उत्तर भेजने में विफल रहने वाले कर्मचारियों के प्रति कार्रवाई की जानी चाहिए (ख) समयबद्ध ढंग से हानियों/बकाया अग्रिमों/अधिक भुगतानों की वसूली करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए तथा (ग) लेखापरीक्षा टिप्पणियों के उपयुक्त उत्तर को सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली को सरल एवं कारगर बनाया जाना चाहिए।

¹ 30 सितम्बर 2009 तक जारी तथा 31 मार्च 2010 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और परिच्छेदों सहित।

3.5 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

26,057 मामलों में ₹829.48 करोड़ की कुल राशि के उपयोगिता प्रमाणपत्रों (60 प्रतिशत) को वित्तीय नियमावली के प्रावधान के अनुसार महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को नहीं भेजा गया जो वर्षानुवर्ष बढ़ते गए हैं और जिसके लिए सरकार को शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है। विगत 25 वर्षों से अधिक के दौरान ₹76.92 लाख से अंतर्ग्रस्त दुर्विनियोजन, हानि, गबन आदि के 50 बकाया मामलों में से ₹49.20 लाख (64 प्रतिशत) से अंतर्ग्रस्त 23 मामलों में विभागीय कार्यवाही तथा आपराधिक जांच शुरू नहीं की गई जो उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए सरकार की ओर से पहल न करने को दर्शाता है। 31 मार्च 2010 को 7,881 निरीक्षण प्रतिवेदनों में अन्तर्विष्ट ₹9621.79 करोड़ राशि की 21,708 लेखापरीक्षा टिप्पणियां बकाया थीं जिसके कारण उत्तरदायित्व का अपरदन हुआ।

धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन मामलों में दोषियों को दण्डित करने के लिए विभागीय जांच शीघ्र की जानी चाहिए। ऐसे मामलों को रोकने के लिए सभी संगठनों में आंतरिक नियंत्रणों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

शिमला

दिनांक: 19 1 JAN 2011

रीता मित्रा

(रीता मित्रा)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

हिमाचल प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक:

12 फरवरी FEB 2011

विनोद राय

(विनोद राय)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

राज्य रूपरेखा

क सामान्य आंकड़े

क्रमांक	विवरण	आंकड़े
1.	क्षेत्र	55673/वर्ग किमी
2.	जनसंख्या	
	क जनगणना अनुसार (2001)	0.61 करोड़
	ख 2009	0.67 [†] करोड़
3	जनसंख्या की सघनता (2001) (अखिल भारतीय सघनता= 325 व्यक्ति/वर्ग किमी)	109/वर्ग किमी
4	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत= 27.5%)	10%
5	साक्षरता (2001) (अखिल भारतीय औसत= 64.8%)	76.50%
6	गिनी गुणांक****	
	क ग्रामीण (अखिल भारतीय= 0.30)	0.3
	ख शहरी (अखिल भारतीय = 0.37)	0.32
7	सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2009-10	42278 करोड़
8	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर* (2000-01 से 2009-10)	11.66%

ख वित्तीय आंकड़े

1	संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर* (2000-01 से 2009-10)	
	क राजस्व प्राप्ति	14.55%
	ख स्वकीय कर राजस्व	15.05%
	ग कर भिन्न राजस्व	29.26%
	घ कुल व्यय	11.56%
	ड. पूंजीगत व्यय	15.08%
	च शिक्षा राजस्व व्यय	9.98%
	छ स्वास्थ्य राजस्व व्यय	9.79%
	ज वेतन एवं मजदूरी	10.81%
	झ पेंशन	14.74%

* भारत के महापंजीयक का कार्यालय

**** स्रोत: वित्त लेखे एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, गरीबी रेखा से नीचे (योजना आयोग व एनएसएसओ आंकड़े, 61वां राउण्ड), गिनी गुणांक (योजना आयोग व एनएसएसओ आंकड़े का गैर-सरकारी आकलन, 61वां राउण्ड 2004-05 एमआरपी), जनसंख्या सघनता (भारत के महापंजीयक व जनगणना आयुक्त का कार्यालय; गृह मामलों का मंत्रालय) तथा साक्षरता (भारत के महापंजीयक का कार्यालय; गृह मामलों का मंत्रालय) ।

* सीएजीआर: संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर।

परिशिष्ट-1.1

भाग क

सरकारी लेखों की संरचना एवं स्वरूप

सरकारी लेखों की संरचना: राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा जाता है (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिकता निधि तथा (iii) लोक लेखा।

भाग I: समेकित निधि: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, खजाना बिलों को जारी करके लिए गए समस्त ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों की चुकौती में प्राप्त समस्त धन के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत स्थापित "राज्य की समेकित निधि" नामक एक समेकित निधि होगी।

भाग II: आकस्मिकता निधि: संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के अधिकार में रखे गए अग्रदाय के रूप में है, जो उसे विधानमण्डल द्वारा लम्बित प्राधिकरण हेतु आवश्यक अनपेक्षित व्यय को वहन करने के लिए अग्रिमों को देने हेतु समर्थ बनाती है। समेकित निधि से ऐसे व्यय और समकक्ष राशि के आहरण हेतु विधानमण्डल का अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है, तत्पश्चात् अग्रिमों की आकस्मिकता निधि से निधि को पूर्ति की जाती है।

भाग III: लोक लेखा: लघु बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, निक्षेपों, उचन्त, प्रेषणों आदि जैसे कुछ लेन-देनों के सम्बन्ध में प्राप्तियों तथा संवितरणों जो कि समेकित निधि का भाग नहीं होते, को संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत गठित लोक लेखा में रखे जाते हैं तथा इन पर राज्य विधानमण्डल द्वारा मत नहीं दिया जाता है।

परिशिष्ट-1.1

भाग ख

वित्त लेखों की रूपरेखा

वर्ष 2009-10 से आरम्भ किए गए वित्त लेखों के नए फॉर्मेट को दो खण्डों में विभक्त किया गया है—खण्ड -I व II। खण्ड-I सरकार की वित्तीय विवरणियों को सारांशित रूप में दर्शाता है जबकि खण्ड-II विस्तृत वित्तीय विवरणी को दर्शाता है। वित्त लेखाओं को बनाने की निम्नांकित ढंग से रूपरेखा की गई है:

	रूपरेखा
खण्ड 1	
विवरणी 1	वित्तीय स्थिति की विवरणी
विवरणी 2	प्राप्तियों एवं संवितरणों की विवरणी
विवरणी 3	प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)
विवरणी 4	व्यय की विवरणी (समेकित निधि) कार्य व स्वरूप द्वारा लेखा टिप्पणियां परिशिष्ट I: रोकड़ प्रवाह विवरणी
खण्ड 2	
भाग I	
विवरणी 5	प्रगतिशील पूंजीगत व्यय की विवरणी
विवरणी 6	उधारों एवं अन्य दायित्वों की विवरणी
विवरणी 7	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों व अग्रिमों की विवरणी
विवरणी 8	सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों की विवरणी
विवरणी 9	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विवरणी
विवरणी 10	दत्तमत व प्रभारित व्यय की विवरणी
भाग II	
विवरणी 11	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 12	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी
विवरणी 13	लघु शीर्षों द्वारा पूंजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी
विवरणी 14	सरकार के निवेशों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 15	उधारों एवं अन्य दायित्वों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 16	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों व अग्रिमों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 17	स्रोतों तथा व्यय हेतु निधियों की प्रयुक्ति की विस्तृत विवरणी (2009-10 के अंत तक राजस्व लेखा के अतिरिक्त)
विवरणी 18	आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन-देनों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 19	चिन्हित निधियों के निवेशों पर विस्तृत विवरणी

भाग III: परिशिष्ट	
II	वेतन पर तुलनात्मक व्यय
III	उपदान पर तुलनात्मक व्यय
IV	सहायता अनुदान (स्कीम वार व संस्था वार)
V	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं
VI	योजनागत स्कीम व्यय (केन्द्रीय व राज्य योजनागत स्कीमों)
VII	कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण
VIII	शेषों का सारांश
IX	सिंचाई स्कीमों के वित्तीय परिणाम
X	अपूर्ण कार्य
XIII	वेतन व गैर-वेतन भाग के पृथक्करण के साथ अनुरक्षण व्यय

परिशिष्ट-1.2

(सन्दर्भ: परिच्छेद 1.3.1; पृष्ठ 9)

भाग-क: राजकोषीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई कार्यपद्धति

वित्त लेखों की विवरणियों से 2004-09 की अवधि में प्रकट हुई प्राप्तियों तथा व्यय के मुख्य राजकोषीय पूर्णयोगों में प्रवृत्तियों का, जहां कहीं भी आवश्यक था, विश्लेषण किया गया तथा उनकी व्यावहारिता पर टिप्पणियां की गई हैं। राज्य के वित्त की इसकी पुनर्संरचना योजना में बारहवें वित्तायोग ने कुछ राजकोषीय पूर्णयोगों के लिए मानकों/सीमा की सिफारिश की तथा अन्य के लिए मानकीय प्रक्षेपणों को भी बनाया। इसके अतिरिक्त, बारहवें वित्तायोग ने यह भी सिफारिश की कि सभी राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम बनाएं तथा पंच वर्षीय अवधि (2005-10) के लिए तदनुसार अपनी राजकोषीय शुद्धि पथ की रूपरेखा बनाएं ताकि राज्य की राजकोषीय स्थिति में सुधार किया जा सके जैसाकि मध्यम से दीर्घ अवधि को आवृत करते हुए उनके सम्बद्ध राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों/नियमावलिओं में निर्दिष्ट किया गया। राज्य सरकारों द्वारा अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों में की गई वचनबद्धताओं/प्रक्षेपणों सहित राजकोषीय पूर्णयोगों हेतु इसके प्रक्षेपणों के साथ बारहवें वित्तायोग द्वारा निर्धारित किये गये मानकों/सीमाओं तथा अधिनियम के अंतर्गत विधानसभा में प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित अन्य विवरणियों में चालू वर्ष के दौरान मुख्य राजकोषीय पूर्णयोगों की प्रवृत्तियों एवं प्रतिमान का गुणात्मक निर्धारण करने के लिए उपयोग किया गया है। यह पूर्वानुमान करते हुए कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का एक अच्छा सूचक है, मुख्य राजकोषीय पूर्णयोगों जैसे कर एवं कर-भिन्न राजस्व, राजस्व तथा पूंजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटों को चालू बाजार दरों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद¹ को प्रतिशतता के रूप में दर्शाया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा प्रतिनिधित्व आधार के संदर्भ में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, राजस्व व्यय इत्यादि के लिए उत्प्लावकता गुणांक का निर्धारण, कि क्या साधनों की गतिशीलता, व्यय का प्रतिमान इत्यादि का आधार में परिवर्तन के साथ गति रख रहे हैं अथवा इन राजकोषीय पूर्णयोगों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अतिरिक्त कारकों द्वारा भी प्रभावित किया गया है, करने के लिए भी निकाला गया है। 1999-2000 को आधार के रूप में मानते हुए नई सकल राज्य घरेलू उत्पाद श्रृंखला को राज्य सरकार के निदेशक आर्थिक तथा सांख्यिकी द्वारा 2008-09 के आर्थिक सर्वेक्षण में जैसाकि प्रकाशित किया है, इन प्रतिशतताओं और उत्प्लावकता दरों का आकलन करने में उपयोग किया गया है।

गत पांच वर्षों हेतु राज्य सकल घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति को नीचे दर्शाया गया है:

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹करोड़)	25685	28591	32221(पी)	36924(क्यू)	42278(एडी)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	11.35	11.33	12.75	14.6	14.5

स्रोत: आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार।

राजकोषीय पूर्णयोगों की प्रवृत्तियों एवं प्रतिमान के निर्धारणार्थ प्रयोग किए गए कुछ चयनित शब्दों की परिभाषाएं नीचे दी गई हैं:

¹ सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की कुल आय अथवा श्रम का उपयोग करके उत्पन्न हुई वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य तथा उत्पादन के समस्त अन्य कारकों के रूप में परिभाषित किया गया है।

शब्द	गणना आधार
पैरामीटर की उत्प्लावकता	पैरामीटर की वृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि
अन्य पैरामीटर (वाई) के संबंध में पैरामीटर (एक्स) की उत्प्लावकता	पैरामीटर (एक्स) की वृद्धि दर/पैरामीटर (वाई) की वृद्धि दर
वृद्धि दर	$[(\text{चालू वर्ष की राशि/पूर्व वर्ष की राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(विगत वर्ष की राजकोषीय दायित्वों+चालू वर्ष की राजकोषीय दायित्वों की राशि)2] * 100
ब्याज विस्तार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि-औसत ब्याज दर
मात्रा विस्तार	ऋण स्टॉक * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों के प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(अथ शेष+ऋणों तथा अग्रिमों के अंतशेष)2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति-राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण व अग्रिम - राजस्व प्राप्तियां-विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा-ब्याज अदायगियां
चालू राजस्व से शेष (बीसीआर)	राजस्व प्राप्तियां घटाएं मुख्य शीर्ष 2048-ऋण के बचाव को कम करने के लिए विनियोजन के अन्तर्गत अभिलिखित व्यय को छोड़कर समस्त योजनागत अनुदानों तथा गैर-योजनागत राजस्व व्यय

भाग-ख: राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजटीय प्रबन्धन अधिनियम, 2005

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2005 में राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया ताकि राजकोषीय प्रबन्धन तथा राजकोषीय स्थिरता में दूरदर्शिता, राजस्व घाटे में प्रगतिशील कमी, राजकोषीय धारणीयता के साथ विवेकी ऋण प्रबन्धन समरूपता, सरकार के राजकोषीय प्रचालनों में अधिकतर पारदर्शिता तथा मध्यावधि ढांचे में राजकोषीय नीति का संचालन सुनिश्चित किया जा सके। अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में यथानिर्धारित राजकोषीय प्रबन्धन सिद्धान्तों को प्रभावी करने के लिए अधिनियम में राज्य सरकार हेतु निम्नवत् राजकोषीय लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है:

- 31 मार्च 2009 को राजस्व घाटे को खत्म करने के लिए कुल राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटे को पिछले वर्ष की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम दो प्रतिशत तक कम करना;
- 31 मार्च 2009 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद को तीन प्रतिशत तक लाने के लिए राजकोषीय घाटे में तत्परता से कमी करना; तथा
- दीर्घावधि ऋण पर इसकी बकाया गारंटियों में तत्परता से कमी करना, जब तक यह विगत वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों की बकाया जोखिम भारित गारंटियों को 80 प्रतिशत तक समाप्त न कर दें।

भाग-ग: राज्य के स्वकीय राजकोषीय शुद्धि पथ के प्रतिफल सूचक

(₹ करोड़)

	2003-04 के आधार वर्ष आकलन	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
क. राज्य राजस्व लेखा :							
1. स्वकीय कर राजस्व	984.32	1251.89	1416.76	1505.62	1637.56	1782.78	1942.75
2. स्वकीय कर-भिन्न राजस्व	275.00	600.00	623.10	683.44	712.61	732.49	828.12
3. स्वकीय कर + कर - भिन्न राजस्व (1+2)	1259.32	1851.89	2039.86	2189.06	2350.17	2515.27	2770.87
4. केन्द्रीय करों एवं शुल्कों का भाग	449.55	537.32	496.00	496.00	496.00	496.00	496.00
5. योजनागत-अनुदान	1320.64	1215.16	1264.80	1393.20	1530.62	1681.78	1848.06
6. आयोजनेतर अनुदान	765.31	816.12	2270.69	2318.15	2334.26	2207.35	2036.74
6.क. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	186.10	214.02	261.94	124.82	124.82	124.82	124.82
7. कुल केन्द्रीय अंतरण (4 से 6क)	2721.60	2782.62	4293.43	4332.17	4485.70	4509.95	4505.62
8. कुल राजस्व प्राप्तियां (3+7)	3980.92	4634.51	6333.29	6521.23	6835.87	7025.22	7276.49
9. योजनागत व्यय	718.68	818.32	935.53	1011.26	1112.39	1223.62	1345.99
10. आयोजनेतर व्यय	4744.85	4807.05	5339.24	5615.52	5787.67	6088.38	6436.59
11. वेतन व्यय	2073.50	2177.18	2272.64	2294.45	2455.06	2626.92	2810.80
12. पेंशन	532.78	626.00	727.93	698.25	754.11	814.44	879.59
13. ब्याज भुगतान	1472.78	1641.00	1670.13	1754.56	1736.18	1837.76	1977.98
14. उपदान-सामान्य	91.06	91.06	53.53	79.20	82.37	85.66	89.09
15. उपदान-विद्युत	81.00	81.00	91.00	86.45	89.91	93.50	97.24
15.क. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	124.55	167.56	151.97	148.54	148.54	148.54	148.54
16. कुल राजस्व व्यय (9+10 +15क)	5588.08	5792.93	6426.74	6775.32	7048.60	7460.54	7931.12
17. वेतन+ब्याज+पेंशन (11+12+13)	4079.06	4444.18	4670.70	4747.26	4945.35	5279.11	5668.37
18. राजस्व प्राप्ति के % के रूप में (17/8)	1.02	0.96	0.74	0.73	0.72	0.75	0.78
19. राजस्व अधिशेष/घाटा (8-16)	-1607.16	-1158.42	-93.45	-254.09	-212.73	-435.32	-654.63
ख. समेकित राजस्व लेखा:							
1. निवल वास्तविक उपदान अंतरण की विद्युत क्षेत्र हानि/लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. विद्युत प्रयुक्तता लेखे में वर्ष के दौरान ऋणियों में वृद्धि (वृद्धि (-))	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बजट से बाहर किए गए बिना बजट उधारों तथा एसपीवी उधारों पर ब्याज अदायगी	----	----	----	----	-----	----	----
4. जोड़ (1 से 3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
समेकित राजस्व घाटा (क.19+ ख4)	-1607.16	-1158.42	-93.45	-254.09	-212.73	-435.32	-654.63

ग. समेकित ऋण:							
1. बकाया ऋण एवं दायित्व	14437.32	16532.89	17504.74	18493.00	19527.86	20867.48	22516.89
2. (क) बिना बजट उधार तथा (ख) एसपीवी उधारों वाली गारंटी में से कुल बकाया गारंटी	4682.43	4751.05	4751.05	4751.05	4751.05	4751.05	4751.05
घ. पूंजीगत लेखा:							
1. पूंजीगत परिव्यय	784.84	653.99	716.17	756.06	831.67	914.83	1006.32
2. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	60.98	46.46	119.37	3.95	3.95	3.95	3.95
3. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	19.91	23.78	37.79	11.52	11.52	11.52	11.52
4. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	28.29	25.79	28.53	23.67	25.00	26.00	27.00
5. अन्य पूंजीगत प्राप्तियां						-	
ड. सकल राजकोषीय घाटा:							
वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹करोड़)	18062.00	20234.06	22824.02	25745.49	29040.92	32758.15	36951.20
च. राजकोषीय घाटा:							
वास्तविक/कल्पित सामान्य वृद्धि दर (प्रतिशत)	----	12.8%	12.8%	12.8%	12.8%	12.8%	12.8%
दिशा-निर्देशों के परिच्छेद 19 के अनुसार राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	----	9.18%	4.11%	3.89%	3.56%	4.09%	4.46%

परिशिष्ट-1.3

(सन्दर्भ: परिच्छेद 1.3 तथा 1.7.2; पृष्ठ 7 व 22)

राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े

(₹ करोड़)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
भाग-क: प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	6,559	7,835	9,142	9,308	10346
(i) कर राजस्व	1,497 (23)	1,656 (21)	1,958 (21)	2,242 (24)	2,574 (25)
कृषि आय पर कर	--	--	--	--	--
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	727 (49)	914 (55)	1,092 (56)	1,246 (56)	1,487 (58)
राज्य आबकारी	329 (22)	342 (21)	389 (20)	432 (19)	500 (19)
वाहन कर	102 (7)	106 (6)	114 (6)	136 (6)	134 (5)
स्टॉम्प एवं पंजीकरण फीस	82 (5)	93 (6)	87 (4)	98 (4)	113 (4)
विद्युत कर एवं शुल्क	89 (6)	30 (2)	82 (4)	79 (4)	39 (2)
भू-राजस्व	1 (-)	2 (-)	2 (-)	20 (1)	15 (1)
माल व यात्री कर	43 (3)	50 (3)	55 (3)	62 (3)	89 (3)
अन्य कर	124 (8)	119 (7)	137 (7)	169 (7)	197 (8)
(ii) कर-भिन्न राजस्व	690 (11)	1,337 (17)	1,823 (20)	1,756 (19)	1,784 (17)
(iii) संघीय करों व शुल्कों में राज्यांश	493 (7)	629 (8)	794 (9)	838 (9)	862 (8)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	3,879 (59)	4,213 (54)	4,567(50)	4,472 (48)	5,126 (50)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	--	--	--	---	--
3. ऋण व अग्रिमों की वसूलियां	22	23	26	21	34
4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	6,581	7,858	9,168	9,329	10,380
5. लोक ऋण प्राप्तियां	1,781	2,080	1,849	2,249	2,553 ⁵
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों को छोड़कर)	1,753 (98)	2,042 (98)	1,798 (97)	2,237 (99)	2,484 ⁵ (97)
अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों के अंतर्गत निवल लेन-देन	--	--	--	--	--
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	28 (2)	38 (2)	51 (3)	12 (1)	69 (3)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	8,362	9,938	11,017	11,578	12,933 ⁵
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियां	--	--	--	--	--
8. लोक लेखा प्राप्तियां	4,933	5,265	6,223	6,760	6,821
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	13,295	15,203	17,240	18,338	19,754

⁵ गत वर्षों के वर्गीकरण के संशोधन हेतु बुक समायोजन (₹259.55 करोड़ + ₹21.07 करोड़) के रूप में ₹280.62 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

भाग ख. व्यय/संवितरण						
10. राजस्व व्यय		6,466	7,644	8,292	9,438	11,151⁵
योजनागत		1,182 (18)	1,325 (17)	1,202 (14)	877 (9)	1,238 (11)
आयोजनेतर		5,284 (82)	6,319 (83)	7,090 (86)	8,561 (91)	9,913 ⁵ (89)
सामान्य सेवाएं (ब्याज अदायगियों सहित)		2,818 (43)	3,300 (43)	3,429 (41)	3,918 (42)	4,377 (39)
सामाजिक सेवाएं		2,309 (36)	2,586 (34)	2,876 (35)	3,332 (35)	3,902 (35)
आर्थिक सेवाएं		1,333 (21)	1,755 (23)	1,984 (24)	2,184 (23)	2,868 ⁵ (26)
सहायता अनुदान व अंशदान		6 (-)	3 (-)	3 (-)	4 (-)	4 (-)
11. पूंजीगत व्यय		821	1,110	1,414	2,079	1,943
योजनागत		820 (100)	1,043 (94)	1,313 (93)	1,992 (96)	1,895 (98)
आयोजनेतर		1 (-)	67 (6)	101 (7)	87 (4)	48 (2)
सामान्य सेवाएं		52 (6)	61 (5)	59 (4)	64 (3)	63 (3)
सामाजिक सेवाएं		369 (45)	575 (52)	586 (42)	833 (40)	610 (31)
आर्थिक सेवाएं		400 (49)	474 (43)	769 (54)	1,182 (57)	1,270 (65)
12. ऋण व अग्रिमों का संवितरण		14	26	14	90	70
13. जोड़ (10+11+12)		7,301	8,780	9,720	11,607	13,164
14. लोक ऋण की चुकौतियां		1,308	1,311	937	885	867
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों को छोड़कर)		1,219 (93)	1,182 (90)	839	829	811
अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों के अंतर्गत निवल लेन-देन		23 (2)	--	42	--	--
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम		66 (5)	129 (10)	56	56	56
15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन		--	--	--	--	--
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)		8,609	10,091	10,657	12,492	14,031
17. आकस्मिकता निधि संवितरण		--	--	--	--	--
18. लोक लेखा संवितरण		4,387	5,370	5,737	5,690	6,421
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)		12,996	15,461	16,394	18,182	20,452
भाग ग. घाटा						
20. राजस्व घाटा (-)/ राजस्व अधिशेष (+) (1-10)		(+) 93	(+) 191	(+) 850	(-) 130	(-) 805⁵
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)		(-) 720	(-) 922	(-) 552	(-) 2,278	(-) 2784
22. प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+) (21+23)		(+) 843	(+) 747	(+) 1,151	(-) 384	(-) 828

⁵ गत वर्षों के वर्गीकरण के संशोधन हेतु बुक समायोजन (₹259.55 करोड़ + ₹21.07 करोड़) के रूप में ₹280.62 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-09	2009-10
भाग घ: अन्य आंकड़े					
23. ब्याज अदायगियां (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	1,563	1,669	1,703	1,894	1,956
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	380	399	467	582	718
25. प्राप्त किए गए अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष (दिवस)	13	01	--	--	--
प्राप्त किए गए अर्थोपाय अग्रिम (दिवस)	13	01	--	--	--
प्राप्त किए गए अधिविकर्ष (दिवस)	--	--	--	--	--
26. अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष पर ब्याज	0.32	0.89	--	--	--
27 सकल राज्य घरेलू उत्पाद [®]	25,685 (11.35)	28,591 (11.31)	32,221 (12.70)	36,924 (14.60)	42,278 (14.50)
28 बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्षान्त)	17,432	18,071	19,419	21,819	23,713
29. बकाया गारंटियां (वर्षान्त) (ब्याज सहित)	3,587	2,976	2,632	2,291	1,949
30. गारंटीकृत अधिकतम राशि (वर्षान्त)	5,526	6,347	6,450	6,076	4,361
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	15	30	20	17	29
32. अपूर्ण परियोजनाओं में पूंजी अवरोधन	25	160	121	96	108
भाग डू: राजकोषीय स्थिरता सूचक					
I संसाधन गतिशीलता					
स्वकीय कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
स्वकीय कर-भिन्न राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.03	0.05	0.06	0.05	0.04
केन्द्रीय अंतरण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02
II व्यय प्रबन्धन					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.28	0.31	0.30	0.31	0.31
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	1.11	1.12	1.06	1.25	1.27
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.89	0.87	0.85	0.81	0.85
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.37	0.36	0.36	0.36	0.34
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.24	0.25	0.28	0.29	0.31
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.11	0.13	0.15	0.18	0.15
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/ कुल व्यय	0.11	0.12	0.14	0.17	0.14

	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-09	2009-10
III राजकोषीय असंतुलों का प्रबन्धन (प्रतिशत में)					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.36	0.67	2.64	(-) 0.35	(-) 1.90
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 2.80	(-) 3.22	(-) 1.71	(-) 6.17	(-) 6.58
प्राथमिक घाटा (अधिशेष)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3.28	2.61	3.57	(-) 1.04	(-) 1.96
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(-) 5.71	(-) 28.92
प्राथमिक राजस्व शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	--	--	0.284	0.247	0.241
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबन्धन					
राजकोषीय दायित्वों/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.68	0.63	0.60	0.59	0.56
राजकोषीय दायित्वों/राजस्व प्राप्ति	2.66	2.31	2.12	2.34	2.29
प्रमात्रा विस्तार के प्रति प्राथमिक घाटा	4.153	2.223	1.741	(-) 0.364	(-) 0.591
ऋण विमोचन (मूलधन + ब्याज)/कुल ऋण प्राप्ति	1.18	1.27	1.02	0.92	0.94
V अन्य राजकोषीय स्थिरता सूचक					
निवेश पर प्रतिफल	28.61	1.80	0.52	89.58	73.49
चालू राजस्व से शेष (₹करोड़)	(-) 191	(-) 281	(+) 113	(-) 1,423	(-) 2,642
वित्तीय परिसम्पत्तियों/दायित्वों	0.54	0.57	0.60	0.68	0.67
राजस्व व्यय: मूल पैरामीटर					
राजस्व व्यय (₹करोड़)	6,466	7,644	8,292	9,438	11,151 ⁵
वृद्धि दर (प्रतिशत) राजस्व व्यय	11.62	18.22	8.48	13.82	18.15
आयोजनेतर राजस्व व्यय (₹करोड़)	5,284	6,319	7,090	8,561	9,913 ⁵
वृद्धि दर (प्रतिशत) आयोजनेतर राजस्व व्यय	9.74	19.59	12.20	20.75	15.79
योजनागत राजस्व व्यय (₹करोड़)	1,182	1,325	1,202	877	1,238
वृद्धि दर (प्रतिशत) योजनागत राजस्व व्यय	20.86	12.10	(-) 9.28	(-) 27.04	41.16
आयोजनेतर राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	20.57	22.10	22.00	23.18	23.45
राजस्व व्यय/कुल व्यय ² (प्रतिशत)	88.73	87.32	85.43	81.95	85.16
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में आयोजनेतर राजस्व व्यय	72.37	71.97	72.94	73.76	75.30
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में आयोजनेतर राजस्व व्यय	80.56	80.65	77.55	91.97	95.81
राजस्व व्यय की तुलना में आयोजनेतर राजस्व व्यय की प्रतिशतता	81.72	82.67	85.50	90.70	88.90
राजस्व व्यय की तुलना में योजनागत राजस्व व्यय	18.28	17.33	14.50	9.30	11.10
के साथ राजस्व व्यय की उत्प्लावकता					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	1.02	1.61	0.67	0.95	1.25
राजस्व प्राप्ति (अनुपात)	0.28	0.94	0.51	7.59	1.63
आयोजनेतर राजस्व व्यय (अनुपात)	1.19	0.93	0.70	0.67	1.15
योजनागत राजस्व व्यय (अनुपात)	0.56	1.51	(-) 0.91	(-) 0.51	0.44

⁵ गत वर्षों के वर्गीकरण के संशोधन हेतु बुक समायोजन (₹259.55 करोड़ + ₹21.07 करोड़) के रूप में ₹280.62 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

² कुल व्यय में ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित नहीं हैं।
कोष्ठकों के आंकड़ों प्रत्येक उप-शीर्ष के जोड़ की प्रतिशतताओं (पूर्णांक) को दर्शाते हैं।

@ सरकार द्वारा सूचित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को अपनाया गया है।

परिशिष्ट-1.4

(सन्दर्भ:परिच्छेद 1.1 तथा 1.7.1; पृष्ठ 1 व 22)

भाग क: वर्ष 2009-10 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

प्राप्तियां			(₹ करोड़)		संवितरण				(₹ करोड़)	
2008-09			2009-10		2008-09				2009-10	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	आयोजनेतर	योजनागत	जोड़	11.
प्रवर्ग-क राजस्व										
	9,307.99	I-राजस्व प्राप्तियां	10346.36	9,438.13	I-राजस्व व्यय					11151.00 ⁵
2242.49		(i) कर राजस्व	2574.52		सामान्य सेवाएं	4335.21	41.57	4376.78	4376.78	
1756.24		(ii) कर-भिन्न राजस्व	1783.66		सामाजिक सेवाएं	3306.99	594.72	3901.71	3901.71	
837.49		(iii) संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश	861.63		शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	1899.85	172.04	2071.89		
2310.43		(iv) आयोजनेतर अनुदान	2052.08		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	562.07	47.61	609.68		
1700.38		(v) राज्य योजना स्कीमों हेतु अनुदान	2730.95		जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	557.67	75.62	633.29		
460.96		(vi) केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों हेतु अनुदान	343.52		सूचना एवं प्रसारण	17.89	0.13	18.02		
					अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ी श्रेणियों का कल्याण	8.18	46.57	54.75		
					श्रम एवं श्रम कल्याण	28.83	5.81	34.64		
					सामाजिक कल्याण एवं पोषण	225.47	241.11	466.58		
					अन्य	7.03	5.83	12.86		
					आर्थिक सेवाएं	2266.96	601.26	2868.22	2868.22	
					कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	861.61	316.08	1177.69 ⁶		
					ग्रामीण विकास	160.59	117.36	277.95		
					विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	--	--	--		
					सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	213.54	5.61	219.15		
					ऊर्जा	187.38	1.40	188.78*		
					उद्योग एवं खनिज	25.37	21.59	46.96		
					परिवहन	783.37	133.49	916.86		
					विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	2.14	0.21	2.35		
					सामान्य आर्थिक सेवाएं	32.96	5.52	38.48		
					सहायता अनुदान एवं अंशदान	4.29	--	4.29	4.29	
		योग			योग	9913.45	1237.55	11151.00	11151.00 ⁵	
130.14		II-प्रवर्ग-ख को लाया गया राजस्व घाटा	804.64 ⁵		II-खण्ड-ख को लाया गया राजस्व अधिशेष					
9,438.13		योग	11151.00	9438.13	योग					11151.00 ⁵

⁵ गत वर्षों के वर्गीकरण के संशोधन हेतु बुक समायोजन (₹259.55 करोड़ + ₹21.07 करोड़) के रूप में ₹280.62 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

[#] इसमें ₹259.55 करोड़ सम्मिलित है जिसे अब राज्य सरकार के मुख्य शीर्ष 6003-आंतरिक ऋण में सही रूप में वर्गीकृत किया गया है ताकि हिमाचल प्रदेश वन निगम के माध्यम से जनवरी 1997 से फरवरी 2002 के दौरान जुटाए गए ऋण के गलत वर्गीकरण को ठीक किया जा सके।

^{*} इसमें ₹21.07 करोड़ सम्मिलित है जिसे अब राज्य सरकार के मुख्य शीर्ष 6003-आंतरिक ऋण में सही रूप में वर्गीकृत किया गया है ताकि गत वर्षों के ऋण के गलत वर्गीकरण को ठीक किया जा सके।

2008-09				2009-10		2008-09			2009-10	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
प्रवर्ग- ख पूंजीगत										
822.99		III- स्थायी अग्रिमों एवं रोकड़ शेष निवेश सहित अथ रोकड़ शेष		979.24		III- भारतीय रिजर्व बैंक से अथ अधिविकर्ष	--	--	--	--
		IV- विविध पूंजीगत प्राप्तियां		2079.07		IV- पूंजीगत परिव्यय				
						सामान्य सेवाएं	0.05	63.51	63.56	63.56
						सामाजिक सेवाएं	--	609.54	609.54	609.54
						शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	--	214.69	214.69	
						स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	---	69.48	69.48	
						जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास		308.90	308.90	
						सूचना एवं प्रसारण	--	0.10	0.10	
						अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ी श्रेणियों का कल्याण	--	9.08	9.08	
						सामाजिक कल्याण एवं पोषण	--	7.19	7.19	
						अन्य	--	0.10	0.10	
						आर्थिक सेवाएं	48.60	1221.74	1270.34	1270.34
						कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	4.76	74.97	79.73	
						ग्रामीण विकास	--	0.10	0.10	
						विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	--	--	--	
						सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	--	287.77	287.77	
						ऊर्जा	--	210.61	210.61	
						उद्योग एवं खनिज	--	15.68	15.68	
						परिवहन	43.84	545.14	588.98	
						सामान्य आर्थिक सेवाएं	--	87.47	87.47	
						योग	48.65	1894.79	1943.44	1943.44
	20.98	V- ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां		33.84	89.61	V- संवितरित ऋण एवं अग्रिम	2.56	67.11	69.67	69.67
0.76		विद्युत परियोजनाओं से	15.16			विद्युत परियोजनाएं	-	62.34	62.34	
14.97		सरकारी कर्मचारियों से	13.77			सरकारी कर्मचारियों को	1.59	4.37	5.96	
5.25		अन्य से	4.91			अन्य को	0.97	0.40	1.37	
	--	VI- कम किया गया राजस्व अधिशेष			130.14	VI- कम किया गया राजस्व घाटा			--	804.64 ⁵

⁵ गत वर्षों के वर्गीकरण के संशोधन हेतु बुक समायोजन (₹259.55 करोड़ + ₹21.07 करोड़) के रूप में ₹280.62 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

2008-09				2009-10		2008-09		2009-10		
						आयोजनेतर	योजनागत	जोड़		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	2,248.74	VII-लोक ऋण प्राप्तियां		2552.51 ⁵	1885.54	VII-सार्वजनिक ऋण की चुकौती				866.81
2236.75		अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	2483.49 ⁵			अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अतिरिक्त आंतरिक ऋण		810.77		
		अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेन-देन	--			अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अंतर्गत निवल लेन-देन		--		
11.99		केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	69.02			केन्द्रीय सरकार को ऋणों एवं अग्रिमों की चुकौती		56.04		
--		VIII-आकस्मिकता निधि को विनियोजन				-- VIII-आकस्मिकता निधि को विनियोजन				----
--		IX- आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि				-- IX-आकस्मिकता निधि से व्यय				----
	6,760.47	X-लोक लेखा प्राप्तियां		6821.13	5,689.58	X- लोक लेखा संवितरण				6421.00
1571.83		लघु बचतों एवं भविष्य निधियां	1659.48			लघु बचतों एवं भविष्य निधियां		1113.80		
464.13		आरक्षित निधियां	294.82			आरक्षित निधियां		897.17		
1111.32		निक्षेप एवं अग्रिम	1223.55			निक्षेप एवं अग्रिम		958.49		
257.28		उचन्त एवं विविध	346.68			उचन्त एवं विविध		230.01		
3355.91		प्रेषण	3296.60			प्रेषण		3221.53		
--		XI- भारतीय रिज़र्व बैंक से इतिशेष अधिविकर्ष			979.24	XI-अंत में रोकड़ शेष				281.16
						खजानों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण		3.46		
						स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष		0.19		
						रिज़र्व बैंक के पास निक्षेप		(-) 305.09		
						रोकड़ शेष निवेश		582.60		
9,853.18		योग		10386.72	9,853.18	योग				10386.72

⁵ गत वर्षों के वर्गीकरण के संशोधन हेतु बुक समायोजन (₹259.55 करोड़ + ₹21.07 करोड़) के रूप में ₹280.62 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

परिशिष्ट-1.4 (क्रमशः)

(सन्दर्भ: परिच्छेद 1.1 तथा 1.7.1; पृष्ठ 1 व 22)

(₹ करोड़)

भाग ख				
31 मार्च 2010 को हिमाचल प्रदेश सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति				
31.03.2009 को	परिसम्पत्तियां			31.03.2010 को
13,714.41	स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय			15657.85
2,369.24	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	2662.52		
11,345.17	अन्य पूंजीगत परिव्यय	12995.33		
293.49	ऋण एवं अग्रिम-			329.31
153.28	विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	200.47		
79.37	अन्य विकास ऋण	76.84		
60.84	सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	52.00		
--	आरक्षित निधि निवेश			-
979.23	रोकड़ -			281.16
3.74	खजानों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	3.46		
(-) 153.88	भारतीय रिज़र्व बैंक में निक्षेप	(-) 305.09		
0.16	विभागीय रोकड़ शेष	0.16		
0.03	स्थायी अग्रिम	0.03		
1,129.18	रोकड़ शेष निवेश	582.60		
7295.01*	प्राप्तियों की तुलना में व्यय का संचयी आधिक्य-			8099.67
22282.14				24367.99

* प्राप्तियों की तुलना में व्यय का संचयी आधिक्य भिन्न है न कि चालू वर्ष हेतु राजकोषीय/राजस्व घाटे से।

31.03.2009 को	दायित्व		31.03.2010 को
14,456.26	आंतरिक ऋण -		16129.00
7,657.85	ब्याज वाले बाजार ऋण	8834.90	
0.17	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.14	
428.50	भारतीय जीवन एवं सामान्य बीमा निगम से ऋण	379.86	
764.18	नाबार्ड से ऋण	964.32	
19.29	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	13.16	
3,889.21	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधियों को जारी विशेष प्रतिभूतियां	4285.64	
(-) 21.07	क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र	--	
1,718.13	अन्य संस्थाओं से ऋण	1650.98	
970.97	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम -		983.95
13.72	आयोजनेतर ऋण	14.18	
914.26	राज्य योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	930.89	
0.16	केन्द्रीय योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	0.14	
42.70	केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	38.61	
0.13	1984-85 से पूर्व के ऋण	0.13	
5.00	आकस्मिकता निधि	--	5.00
4,668.44	लघु बचतें, भविष्य निधि आदि		5214.11
982.12	निक्षेप एवं अग्रिम		1247.18
740.65	आरक्षित निधियां		138.30
54.05	उचन्त एवं विविध शेष*		170.73
404.65	प्रेषण शेष		479.72
22282.14			24367.99

* इसमें रोकड़ शेष निवेश लेखों से सम्बन्धित आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

परिशिष्ट-1.5

(सन्दर्भ: परिच्छेद 1.2.2; पृष्ठ 6)

वर्ष 2009-10 के दौरान राज्य बजट से बाहर कार्यक्रम/स्कीमों के अंतर्गत राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को अंतरित निधियों को दर्शाने वाली विवरणी।

भारत सरकार की स्कीम	कार्यान्वयन एजेंसी	भारत सरकार द्वारा जारी	
		(₹ लाख)	
		2009-10	2008-09
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	3,95,42.50	4,11,14.83
	स्कीम योग:	3,95,42.50	4,11,14.83
सर्व शिक्षा अभियान	हि0प्र0 प्राथमिक शिक्षा संस्था	86,08.00	85,53.00
	स्कीम योग:	86,08.00	85,53.00
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी डीएचई	एनआईआईटी हमीरपुर	57,93.00	25,55.00
	स्कीम योग:	57,93.00	25,55.00
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	आरआईडीएफ	53,95.50	33,57.50
	स्कीम योग:	53,95.50	33,57.50
एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी परियोजना निदेशक	35,60.62	38,51.50
	स्कीम योग:	35,60.62	38,51.50
विशेष श्रेणी राज्य हेतु पैकेज	हि0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम	19,00.00	25,00.00
	स्कीम योग:	19,00.00	25,00.00
पर्यटक स्थलों का विकास	हि0प्र0 पर्यटन	18,86.00	26,26.12
	स्कीम योग:	18,86.00	26,26.12
उत्पाद/अवसंरचना	हि0प्र0 सरकार	18,86.00	26,26.12
	स्कीम योग:	18,86.00	26,26.12
ग्रामीण आवास आईएवाई	परियोजना निदेशक जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	18,63.81	21,91.86
	स्कीम योग:	18,63.81	21,91.86
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास	उपायुक्त	12,00.00	14,00.00
	स्कीम योग:	12,00.00	14,00.00
अस्पताल एवं औषधालय (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत)	हि0प्र0 में आयुष संस्थानों के विकासार्थ संस्था	11,18.87	21,72.50
	स्कीम योग:	11,18.87	21,72.50
केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता स्कीम	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन	7,08.40	3,43.00

केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता स्कीम	डीडब्लूएसएम उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिमला	--	7,96.17
केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता स्कीम	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	4,08.40	--
	स्कीम योग:	11,16.80	11,39.17
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	9,92.78	13,67.22
	स्कीम योग:	9,92.78	13,67.22
जिला ग्रामीण विकास एजेंसी प्रशासन	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	8,17.74	5,71.51
	स्कीम योग:	8,17.74	5,71.51
ई-गवर्नेंस	एसआईटीईजी	7,84.00	14,00.00
	स्कीम योग:	7,84.00	14,00.00
एसटीडी नियन्त्रण सहित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	हि0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण संस्था	7,51.89	6,53.13
	स्कीम योग:	7,51.89	653.13
विस्तार सुधारों हेतु राज्य को सहायता	राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश	5,14.83	1,12.00
	स्कीम योग:	5,14.83	1,12.00
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना	प्रधानाचार्य पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, शिमला	4,89.26	6,79.40
	स्कीम योग:	4,89.26	6,79.40
राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम	वन विकास एजेंसी	3,59.04	7,83.00
	स्कीम योग:	3,59.04	7,83.00
पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान	हि0प्र0 क्रीड़ा परिषद्	3,27.60	1,63.80
	स्कीम योग:	3,27.60	1,63.80
कृषि आर्थिक नीति एवं विकास अध्ययन	हि0प्र0 विश्वविद्यालय शिमला	2,68.09	1,95.00
	स्कीम योग:	2,68.09	1,95.00
विपणन बोर्ड का विकास	एचपीएसए विपणन बोर्ड शिमला	2,19.98	2,16.77
	स्कीम योग:	2,19.98	2,16.77

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु स्वास्थ्य बीमा (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना)	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	--	1,75.31
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु स्वास्थ्य बीमा (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना)	राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्था	1,02.65	--
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु स्वास्थ्य बीमा (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना)	हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य योजना	61.59	--
	स्कीम योग:	1,64.24	1,75.31
त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति स्कीम	राज्य जल स्वच्छता मिशन	1,27,81.60	2,13.00
त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति स्कीम	डीडब्ल्यूएसएम उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	--	1,30.35
	स्कीम योग:	1,27,81.60	3,43.35
नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं अभिकल्प	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमऊर्जा	--	1,95.15
नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं अभिकल्प	चौधरी सरवण कुमार (सीएसके) हि०प्र० कृषि विश्वविद्यालय	5.87	4.00
	स्कीम योग:	5.87	1,99.15
	सकल योग:	92348.02	80947.24

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1; पृष्ठ 30)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहां बचतें प्रत्येक में ₹एक करोड़ अथवा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थीं

(₹ करोड़)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	बचतें	प्रतिशतता
1.	03	न्याय प्रशासन (राजस्व-दत्तमत)	59.92	2.84	---
2.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजस्व-दत्तमत)	563.67	14.22	---
3.	12	बागवानी (राजस्व-दत्तमत)	101.13	1.65	---
4.	15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना (राजस्व-दत्तमत)	46.47	9.99	21
5.	18	उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी (राजस्व-दत्तमत)	46.87	4.46	---
6.	20	ग्रामीण विकास (राजस्व-दत्तमत)	242.62	2.06	---
7.	25	सड़क एवं जल परिवहन (राजस्व-दत्तमत)	79.92	19.29	24
8.	30	विविध सामान्य सेवाएं (राजस्व-दत्तमत)	39.81	1.21	---
9.	31	जनजाति विकास (राजस्व-दत्तमत)	441.87	2.19	---
10.	32	अनुसूचित जाति उप-योजना (राजस्व-दत्तमत)	299.23	11.60	---
11.	29	वित्त (राजस्व-प्रभारित)	2,048.59	92.74	--
12.	08	शिक्षा (पूंजीगत-दत्तमत)	140.00	37.56	27
13.	9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (पूंजीगत-दत्तमत)	55.85	1.25	---
14.	12	बागवानी (पूंजीगत-दत्तमत)	20.29	2.00	---
15.	15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना (पूंजीगत-दत्तमत)	167.48	13.85	---
16.	23	विद्युत विकास (पूंजीगत-दत्तमत)	242.00	77.54	32
17.	28	शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना व आवास (पूंजीगत-दत्तमत)	53.13	28.50	54
18.	29	वित्त (पूंजीगत-दत्तमत)	8.96	4.19	47
19.	29	वित्त (पूंजीगत-प्रभारित)	980.73	113.92	---

परिशिष्ट- 2.2
(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.2; पृष्ठ 30)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहां व्यय प्रत्येक में ₹ एक करोड़ अथवा कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक रहा

(₹ करोड़)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	व्यय	व्यय आधिक्य की प्रतिशतता
राजस्व-दत्तमत					
1.	05	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	292.91	327.44	---
2.	07	पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	387.79	400.23	---
3.	08	शिक्षा	1,903.32	1,906.37	---
4.	10	लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन	1,360.79	1,576.15	---
5.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	985.61	1,222.16	24
6.	14	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	131.32	137.02	---
7.	16	वन एवं वन्य प्राणी	300.18	553.32	84
8.	19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	275.42	281.54	---
9.	23	विद्युत विकास	172.21	187.19	---
10.	28	शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना व आवास	101.58	115.67	---
11.	29	वित्त	1,328.81	1,377.68	---
पूंजीगत-दत्तमत					
12.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	420.78	440.26	---
13.	25	सड़क एवं जल परिवहन	45.32	63.32	40
14.	32	अनुसूचित जाति उप-योजना	382.12	384.04	---
योग			8,088.16	8,972.39	

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.5; पृष्ठ 34)

विगत वर्षों के प्रावधान की तुलना में आधिक्य के नियमितिकरण की आवश्यकता

(₹ करोड़)

वर्ष	अनुदानों/ विनियोजनों की संख्या	अनुदान/विनियोजन संख्या	आधिक्य राशि	लोक लेखा समिति द्वारा विचाराधीन अवस्था
2007-08	18 अनुदान 3 विनियोजन	1,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16, 18, 22,25,27 तथा 31 2,3 तथा 31	544.94	लेखापरीक्षा टिप्पणियां वित्त विभाग/हिमाचल प्रदेश विधानसभा को भेज दी गई। लोक लेखा समिति द्वारा अभी तक चर्चा नहीं की गई।
2008-09	11 अनुदान 3 विनियोजन	7,10,12,13,14,16,20,28,30,31 तथा 32 2,3 तथा 29	556.52	यह 13.07.2010 से चर्चा हेतु देय थी। स्वयंमेव उत्तर वित्त विभाग से अभी तक प्रतीक्षित हैं।
	योग		1,101.46	

परिशिष्ट-2.4
(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.7; पृष्ठ 35)

मामले जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹10 लाख अथवा अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए
(₹ हजार)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचतें	अनुपूरक प्रावधान
राजस्व (दत्तमत)					
1.	03-न्याय प्रशासन	58,71,01	57,08,37	1,62,64	1,21,48
2.	20-ग्रामीण विकास	2,41,56,51	2,40,55,64	1,00,87	1,05,41
3.	25-सड़क व जल परिवहन	70,22,21	60,62,97	9,59,24	9,69,93
पूंजीगत (दत्तमत)					
4.	15-योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	1,66,52,00	1,53,62,84	12,89,16	95,62
5.	28-शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना व आवास	52,50,00	24,62,77	27,87,23	63,00
योग		5,89,51,73	5,36,52,59	52,99,14	13,55,44 अथवा 13.55 करोड़

परिशिष्ट-2.5

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.7; पृष्ठ 35)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजन की विवरणी जहां अनुपूरक प्रावधान प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक तक अपर्याप्त सिद्ध हुए

(₹ करोड़)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान तथा विनियोजन का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	जोड़	व्यय	आधिक्य
1.	05	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	264.60	28.31	292.91	327.44	34.53
2.	07	पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	349.29	38.50	387.79	400.23	12.44
3.	10	लोक निर्माण-सड़कें, पुल एवं भवन	1,338.83	21.96	1,360.79	1,576.15	215.36
4.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	890.75	94.86	985.61	1,222.16	236.55
5.	14	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	111.52	19.80	131.32	137.02	5.70
6.	16	वन एवं वन्य प्राणी	259.19	40.98	300.17	553.32	253.15
7.	19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	228.97	46.45	275.42	281.54	6.12
8.	23	विद्युत विकास	143.03	29.18	172.21	187.19	14.98
9.	28	शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना व आवास	67.54	34.04	101.58	115.67	14.09
10.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	293.55	127.23	420.78	440.26	19.48
11.	32	अनुसूचित जाति उप-योजना	376.77	5.35	382.12	384.04	1.92
योग			4,324.04	486.66	4,810.70	5,625.02	814.32

परिशिष्ट-2.6
(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.8; पृष्ठ 35)

निधियों का आधिक्य/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

(₹ लाख)

क्रमांक	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य (+)/ बचत (-)
1.	07	पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	2055-109-01	344.43	1,082.54
2.	08	शिक्षा	2202-01-111-01	3,299.99	738.67
3.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-110-03	(-) 151.07	(-) 260.38
4.			2210-03-110-01	311.59	(-) 511.69
5.			2210-05-105-06	(-) 1,065.63	886.47
6.	10	लोक निर्माण-सड़कें, पुल एवं भवन	3054-03-103-13	396.09	1,154.43
7.			3054-03-103-14	818.45	1,292.85
8.			3054-04-105-02	(-) 8.40	5,655.17
9.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2702-80-001-06	174.08	758.82
10.			2702-80-001-07	(-) 170.00	267.58
11.			2702-80-001-01	15.93	(-) 1,677.50
12.			4215-01-102-16	(-) 900.00	(-) 621.43
13.			4702-101-03	(-) 50.00	(-) 308.29
14.	14	पुशपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	2403-101-01	(-) 48.23	570.67
15.	15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	4202-01-201-03	162.14	215.33
16.	19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	2235-60-200-11	419.00	305.89
17.			2236-02-101-05	469.43	243.15
18.	23	विद्युत विकास	4801-01-190-06	(-) 3,988.93	(-) 10,000.00
19.			6801-190-01	3,988.93	2,245.51
20.	28	शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना व आवास	2217-80-191-41	0.03	1,373.15
21.	29	वित्त	2049-01-101-27	(-) 580.39	(-) 576.89

22.			2049-200-21	(-) 1,282.76	(-) 37,717.24
23.			2049-01-101-91	2,127.00	(-) 963.53
24.			2049-01-101-92	724.00	1,256.62
25.			2049-01-101-93	740.00	1,367.50
26.			2049-01-101-94	1,680.00	(-) 1,576.67
27.			2049-01-101-95	4,215.00	(-) 2,107.50
28.	31	जनजातीय विकास	2251-796-03	(-) 40.03	(-) 323.17
29.			4702-796-02	303.18	(-) 623.76
30.			4702-796-01	(-) 6.00	363.57
31.			4702-796-02	12.00	266.70
32.	32	अनुसूचित जाति उप-योजना	2210-03-789-01	99.43	(-) 317.78
33.			2225-01-789-01	16.59	(-) 235.00
34.			4215-01-789-02	159.93	613.30
35.			4215-01-789-04	(-) 2,400.00	327.00

परिशिष्ट-2.7

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.10; पृष्ठ 36)

वर्ष के दौरान किए गए पर्याप्त अभ्यर्पण

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	स्कीम का नाम (लेखा शीर्ष)	अभ्यर्पण राशि (₹ लाख)	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
1.	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	ग्रामीण स्वास्थ्य (2210-03-110-03)	180.00	100
विधि औपचारिकताओं की अपूर्णता के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।				
2.	13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	हैंड पम्प (4215-01-102-08)	15,00.00	100
कार्यों के निष्पादन न करने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।				
3.	15-योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	जिला योजना अधिकारियों/स्टॉफ को सरकारी आवास का निर्माण (5475-800-03)	200.00	100
योजना अन्तिम सीमा में कटौती के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।				
4.	22-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	अन्नपूर्णा स्कीम (2236-02-101-06)	40.00	100
स्कीम के अंतर्गत आहार न खरीदने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।				
5.	28-शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना व आवास	हुडको ऋण की चुकौती (4216-01-106-03)	28,50.00	100
मुख्य शीर्ष 6003 को हुडको ऋण की चुकौती अंतरण के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।				
6.	29-वित्त	रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षों पर ब्याज (2049-200-08)	500.00	100

अर्थोपाय अग्रिमों को प्रयुक्त न करने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।

परिशिष्ट-2.8

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.10; पृष्ठ 36)

अभ्यर्पित न की गई रू एक करोड़ तथा उससे अधिक की बचत का ब्यौरा

(रू करोड़)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	बचत	अभ्यर्पण	अभ्यर्पित की जाने वाली बचत
1.	12-बागवानी	1.65	1.46	0.19
2.	15-योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	9.99	8.90	1.09
3.	18-उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	4.46	4.35	0.11
4.	20-ग्रामीण विकास	2.06	1.99	0.07
5.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	11.60	3.08	8.52
	योग	29.76	19.78	9.98

परिशिष्ट-2.9
(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.10; पृष्ठ 36)

31 मार्च 2010 को ₹10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण मामले

(₹ करोड़)

क्रमांक	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	अभ्यर्पण राशि	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
1.	08	4202-शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	37.56	27
2.	09	2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	16.13	3
3.	13	4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	24.00	7
4.	25	3055-सड़क परिवहन	19.27	24
5.	28	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	28.50	54
6.	29	2049-ब्याज अदायगियां	102.22	5
7.	29	6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	112.90	12
		योग	340.58	

परिशिष्ट-2.10
(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.11; पृष्ठ 36)

वास्तविक बचतों से अधिक का अभ्यर्पण (₹50 लाख अथवा अधिक)

(₹ करोड़)

क्रमांक	अनुदान/विनियोजन की संख्या व नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	बचत	अभ्यर्पित राशि	अधिक अभ्यर्पित राशि
राजस्व-दत्तमत					
1.	03-न्याय प्रशासन	59.92	2.84	2.90	0.06
2.	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	563.67	14.22	17.93	3.71
3.	22-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	127.51	0.83	1.15	0.32
4.	30-विविध सामान्य सेवाएं	39.81	1.21	1.46	0.25
5.	31-जनजातीय विकास	441.87	2.20	11.81	9.61
राजस्व-प्रभारित					
6.	29-वित्त	2,048.59	92.74	102.22	9.48
पूंजीगत-दत्तमत					
7.	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	55.85	1.24	1.99	0.75
8.	12-बागवानी	20.29	2.00	3.01	1.01
9.	15-योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	167.48	13.85	16.19	2.34
योग		3,524.99	131.13	158.66	27.53

परिशिष्ट-2.11

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.12; पृष्ठ 36)

व्यय का तीव्र प्रवाह

(₹ करोड़)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	स्कीम/सेवा का लेखा शीर्ष	जनवरी-मार्च 2010 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2010 में किया गया व्यय	कुल व्यय	अवधि के दौरान किए गए कुल व्यय की प्रतिशतता	
						जनवरी-मार्च 2010	मार्च 2010
1.	08-शिक्षा	2202-01-111-01	25.93	25.93	40.39	64	64
2.	08-शिक्षा	2202-01-800-01 (सीओओएन)	31.95	28.74	34.84	92	82
3.	08-शिक्षा	4202-01-201-01	60.34	60.34	61.85	98	98
4.	08-शिक्षा	4202-01-202-01	21.02	19.48	24.29	87	80
5.	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-02-110-01	18.51	10.06	18.64	99	54
6.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन	3054-03-103-06	14.26	13.13	15.23	94	86
7.	10- लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन	3054-03-103-11	37.29	33.30	58.09	64	57
8.	10- लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन	3054-04-105-02	45.43	36.40	61.61	74	59
9.	10- लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन	5054-04-337-02	11.86	11.86	12.19	97	97
10.	11-कृषि	2401-800-13 (एसओएनए)	17.59	13.69	17.64	100	78
11.	11-कृषि	4402-102-02 (एसओएनए)	40.42	34.05	42.00	96	81
12.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	4215-01-102-19 (सीओओएन)	13.39	12.75	14.29	94	89
13.	13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	4215-01-102-19	17.13	14.56	17.20	100	85
14.	13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	4702-101-06	29.29	26.80	34.61	85	77

(₹ करोड़)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	स्कीम/सेवा का लेखा शीर्ष	जनवरी-मार्च 2010 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2010 में किया गया व्यय	कुल व्यय	अवधि के दौरान किए गए कुल व्यय की प्रतिशतता	
						जनवरी-मार्च 2010	मार्च 2010
15.	15-योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	5054-04-800-06 (एसओओबी)	13.21	11.43	21.61	61	53
16.	19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	2236-02-101-05 (सीओओएन)	21.14	21.14	38.46	55	55
17.	23-विद्युत विकास	2801-80-101-02	28.10	28.10	28.10	100	100
18.	23-विद्युत विकास	2801-80-101-07	140.00	140.00	140.00	100	100
19.	23-विद्युत विकास	4801-01-190-06	68.11	68.11	68.11	100	100
20.	23-विद्युत विकास	4801-01-190-07	24.00	24.00	34.00	71	71
21.	29-वित्त	2049-01-101-16	12.24	12.24	12.24	100	100
22.	29-वित्त	2049-01-101-95	21.08	21.08	21.08	100	100
23.	31-जन-जातीय विकास	3054-04-796-05	15.87	14.88	19.08	83	78
24.	31-जन-जातीय विकास	5054-03-796-01	30.07	27.01	36.16	83	75
25.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	4202-01-789-05	15.00	15.00	15.00	100	100
26.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	4701-01-789-01	26.29	25.87	27.23	97	95
27.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	4801-01-789-01	49.60	49.60	82.00	60	60
28.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	4801-01-789-02	14.30	14.30	26.00	55	55

परिशिष्ट-2.12

(संदर्भ: परिच्छेद 2.4.1; पृष्ठ 38)

(i) सार आकस्मिक बिलों/विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों का वर्ष-वार ब्यौरा

(₹ करोड़)

वर्ष	सार आकस्मिक बिलों की संख्या	सार आकस्मिक बिलों की राशि	विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों की संख्या	विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों की राशि	बकाया सार आकस्मिक बिल	बकाया सार आकस्मिक बिलों की राशि
2005-06	12	6.36	10	6.16	2	0.20
2006-07	54	8.83	48	3.83	6	5.00
2007-08	21	5.36	12	1.56	9	3.80
2008-09	107	32.89	83	3.52	24	29.37
2009-10	88	83.26	56	27.93	32	55.33
योग	282	136.70	209	43.00	73	93.70

(ii) 2005-10 वर्षों के लम्बित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल

क्रमांक	विभाग	सार आकस्मिक बिलों की संख्या	राशि (₹ करोड़)
1.	पशुपालन	1	0.0006
2.	शिक्षा	26	48.64
3.	वित्त (खजाना एवं लेखे)	2	0.08
4.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	5	2.92
5.	भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी पद्धति	28	8.25
6.	श्रम एवं रोजगार	3	0.0011
7.	पंचायती राज	1	0.0008
8.	युवा सेवाएं एवं क्रीड़ा	1	0.0031
9.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता	6	33.81
	योग	73	93.70

परिशिष्ट-2.13

(संदर्भ: परिच्छेद 2.5; पृष्ठ 40)

31 मार्च 2010 को प्रतिकूल/नकारात्मक शेषों को दर्शाने वाली विवरणी

(₹)

मुख्य/लघु शीर्ष	खजाना/आहरण एवं संवितरण अधिकारी	अथशेष	जमा	ऋण	अन्तशेष
8448-स्थानीय निधि निक्षेप					
102-नगर निधि	अधिसूचित क्षेत्र समिति चौपाल	(-) 49,99,894	49,83,456	0	(-) 16,438
	नगर पालिका ऊना	(-) 77,387	0	0	(-) 77,387
	नगर पालिका हमीरपुर	5,40,915	5,80,346	11,86,042	(-) 64,781
8448-स्थानीय निधि निक्षेप					
109-पंचायत निकाय निधि	पी एस नालागढ़	64,509	0	93,720	(-) 29,211
	पी एस बंजार	1,48,964	25,612	1,99,612	(-) 25,036
	पी एस करसोग	28,031	42,688	91,398	(-) 20,679
	योग	(-) 42,94,862	56,32,102	15,70,772	(-) 2,33,532

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: परिच्छेद 3.1; पृष्ठ 45)

31 मार्च 2010 को बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र

(₹ लाख)

क्रमांक	विभाग	अनुदान अदायगी का वर्ष	कुल प्रदत्त अनुदान		बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	ग्रामीण विभाग					
	2505	2001-02	29	219.45	-	-
		2002-03	11	231.22	-	-
		2003-04	59	519.13	10	67.01
		2004-05	29	413.39	5	83.97
		2005-06	31	486.13	-	-
		2006-07	48	959.55	11	328.81
		2007-08	49	1,759.93	39	1,270.54
		2008-09	76	3,561.89	73	3,503.35
			332	8,150.69	138	5,253.68
	2515	2000-01	19	227.34	-	-
		2001-02	171	631.43	151	627.40
		2002-03	50	1,220.43	45	1,214.18
		2003-04	184	1,182.58	162	1,039.48
		2004-05	348	2,025.82	325	1,789.40
		2005-06	570	3,131.62	415	1,742.24
		2006-07	580	4,904.54	566	4,774.20
		2007-08	685	8,182.26	685	8,182.26
		2008-09	890	13,399.98	890	13,399.98
			3,497	34,905.99	3,239	32,769.14
	2216	2003-04	6	110.13	6	110.13
		2004-05	23	103.43	23	103.43
		2005-06	20	275.93	20	275.93
		2006-07	31	420.54	31	420.54
		2007-08	83	1,158.62	83	1,158.62
		2008-09	120	1,883.38	111	1,731.62
			283	3,952.03	274	3,800.28

जारी.....

क्रमांक	विभाग	अनुदान अदायगी का वर्ष	कुल प्रदत्त अनुदान		बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	
	2501	2000-01	2	415.78	2	415.78
		2004-05	38	656.09	38	656.09
		2005-06	50	443.08	50	443.08
		2006-07	66	1,099.22	66	1,099.22
		2007-08	111	1,109.62	111	1,109.62
		2008-09	190	1,469.28	190	1,469.28
			457	5,193.07	457	5,193.07
2.	शिक्षा					
	2202	2004-05	34	2,605.16	-	-
		2005-06	50	3,748.82	-	-
		2006-07	3,063	3,949.57	23	1,242.01
		2007-08	12,349	9,016.64	2,887	1,857.13
		2008-09	16,072	13,096.97	15,981	13,086.81
			31,568	32,417.16	18,891	16,185.95
3.	शहरी विकास					
	2217	2007-08	16	2,317.54	15	2,277.89
		2008-09	40	7,249.65	34	3,373.65
			56	9,567.19	49	5,651.54
	3054	2006-07	1	500.00	-	-
		2007-08	1	500.00	-	-
		2008-09	2	600.00	2	600.00
			4	1,600.00	2	600.00
4.	पशुपालन विभाग					
	2403	1995-96	1	20.00	-	-
		2007-08	9	507.89	1	50.00
		2008-09	98	493.20	14	387.10
			108	1,021.09	15	437.10
	2404	2007-08	1	30.00	-	-
		2008-09	8	952.40	-	-
			9	982.40	-	-

जारी...

क्रमांक	विभाग	अनुदान अदायगी का वर्ष	कुल प्रदत्त अनुदान		बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	
5.	सहकारिता					
	2408	2004-05	8	2.36	-	-
		2005-06	37	11.38	-	-
		2006-07	23	25.11	-	-
		2007-08	11	21.32	-	-
		2008-09	27	41.84	1	5.00
			106	102.00	1	5.00
	2425	2006-07	7	0.71	-	-
		2007-08	85	14.04	3	0.62
		2008-09	244	101.11	80	12.57
			336	115.87	83	13.19
6.	क्रीड़ा एवं युवा					
	2204	2005-06	4	116.43	3	110.43
		2006-07	15	110.06	13	87.43
		2007-08	25	196.80	10	52.84
		2008-09	23	383.88	23	383.88
			67	807.17	49	634.58
7.	पर्यटन					
	3452	1998-99	1	137.00	1	137.00
		2004-05	1	5.15	1*	4.40
		2005-06	1	3.55	-	-
		2006-07	-	-	-	-
		2007-08	-	-	-	-
		2008-09	1	45.00	1	45.00
			4	190.70	3	186.40
8.	उद्योग					
	2851	1998-99	1	8.66	-	-
		2000-01	1	0.70	-	-
		2001-02	14	9.02	-	-
		2002-03	6	8.89	-	-
		2003-04	24	9.74	-	-
		2004-05	37	60.50	-	-
		2005-06	46	92.65	4	0.21
		2006-07	971	128.55	514	73.54

जारी...

क्रमांक	विभाग	अनुदान अदायगी का वर्ष	कुल प्रदत्त अनुदान		बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	
		2007-08	170	298.56	93	87.56
		2008-09	2,255	1,369.24	93	86.15
			3,525	1,986.52	704	247.47
9.	कृषि					
	2415	2007-08	79	5,088.53	9	191.00
		2008-09	38	6,868.00	22	3,798.00
			117	11,956.53	31	3,989.00
	2401	2007-08	-	-	-	-
		2008-09	11	156.50	1	50.00
			11	156.50	1	50.00
10.	वन					
	2406	2006-07	1	5.05	-	-
		2007-08	10	537.80	1	21.69
		2008-09	13	1,368.53	8	339.75
			24	1,911.39	9	361.44
11.	कला एवं संस्कृति					
	2205	2004-05	21	57.25	-	-
		2005-06	101	129.67	66	50.66
		2006-07	291	213.40	220	68.93
		2007-08	257	89.99	229	46.55
		2008-09	390	209.58	344	46.56
			1,060	699.90	859	212.70
12.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य					
	2210	2003-04	5	6.45	-	-
		2004-05	5	5.56	-	-
		2005-06	4	4.50	-	-
		2006-07	7	11.50	5	8.50
		2007-08	6	10.50	3	3.00
		2008-09	123	484.98	123	484.98
			150	523.49	131	496.48

जारी...

क्रमांक	विभाग	अनुदान अदायगी का वर्ष	कुल प्रदत्त अनुदान		बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	
13.	अन्य प्रशासकीय सेवाएं					
	2070	2007-08	14	200.00	-	-
		2008-09	14	230.00	-	-
			28	430.00	-	-
14.	विधान सभा					
	2011	2007-08	4	7.2	-	-
		2008-09	4	9.2	-	-
			8	16.4	-	-
15.	सामान्य प्रशासकीय सेवाएं					
	2075	2006-07	9	128.25	9	128.25
		2007-08	18	211.55	18	211.55
		2008-09	17	181.92	17	181.92
			44	521.71	44	521.71
16.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता					
	2225	2006-07	29	851.47	15	653.67
		2007-08	38	1,159.91	37	1,114.91
		2008-09	49	1,589.54	46	1,355.54
			116	3,600.92	98	3,124.12
	2235	2006-07	163	688.33	40	72.49
		2007-08	258	1,282.57	158	995.50
		2008-09	743	1,233.28	743	1,233.28
			1,164	3,204.18	941	2,301.27
	2250	2006-07	1	0.89	1	0.89
		2007-08	1	0.26	1	0.26
		2008-09	1	0.27	1	0.27
			3	1.42	3	1.42
17.	मत्स्य					
	2405	2007-08	-	-	-	-
		2008-09	15	42.30	-	-
			15	42.30	-	-
18.	योजना					
	3451	2006-07	3	36.22	-	-
		2007-08	3	40.00	-	-
		2008-09	3	90.00	-	-
			9	166.22	-	-

जारी...

क्रमांक	विभाग	अनुदान अदायगी का वर्ष	कुल प्रदत्त अनुदान		बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	
19.	आबकारी एवं कराधान विभाग					
	3604	2007-08	-	-	-	-
		2008-09	16	396.58	16	396.58
			16	396.58	16	396.58
20.	विद्युत					
	2801	2007-08	2	51.00	-	-
		2008-09	4	90.00	-	-
			6	141.00	-	-
	2810	2008-09	2	136.00	-	-
21.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी					
	3425	2005-06	1	80.00	-	-
		2006-07	4	90.66	2	60.83
		2007-08	6	60.52	6	60.52
		2008-09	4	69.57	-	-
			15	300.75	8	121.35
22.	नागरिक आपूर्ति					
	3456	2007-08	-	-	-	-
		2008-09	-	-	-	-
23.	पारिस्थितिकी पर्यावरण					
	3435	2006-07	8	6.00	-	-
		2007-08	8	50.61	-	-
		2008-09	4	47.70	-	-
			20	104.31	-	-
24.	श्रम एवं रोजगार					
	2230	2007-08	-	-	-	-
		2008-09	1	5.00	-	-
			1	5.00	-	-
25.	सचिवालय सामाजिक सेवाएं					
	2052	2007-08	-	-	-	-
		2008-09	8	58.50	-	-
			8	58.50	-	-

जारी...

क्रमांक	विभाग	अनुदान अदायगी का वर्ष	कुल प्रदत्त अनुदान		बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	
	2251	2007-08	2	94.26	2	94.26
		2008-09	8	275.43	8	275.43
			10	369.69	10	369.69
26.	जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी					
	3454	2007-08	30	5.46	-	-
		2008-09	28	9.68	-	-
			58	15.14	-	-
27.	पुलिस					
	2055	2008-09	1	25.00	1	25.00
			1	25.00	1	25.00
सकल योग			43,238	125,774.79	26,057	82,948.14

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ: परिच्छेद 3.2; पृष्ठ 46)

स्वायत निकायों का प्रदर्शन दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	निकाय का नाम	सौंपने की अवधि	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किए गए	लेखों को प्रस्तुत करने में विलम्ब (महिनों में)	अवधि जब तक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों जारी किए गए	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधानसभा में प्रस्तुत करना	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने में विलम्ब (वर्षों में)
1	हिमाचल प्रदेश राज्य पशु-चिकित्सा परिषद, शिमला	2005-06 से आगे	2008-09	2	2008-09	2007-08	1
2.	हिमाचल प्रदेश राज्य विधि सेवा प्राधिकारी, शिमला	लेखापरीक्षा को विधि सेवा प्राधिकारी अधिनियम, 1987 की धारा 18(2) के अनुसार किया जा रहा है।	2009-10	कोई विलम्ब नहीं	2008-09	2008-09	-
3.	जिला विधि सेवा प्राधिकारी, शिमला		2009-10	कोई विलम्ब नहीं	2008-09	अभी प्रस्तुत नहीं किया गया	1
4.	जिला विधि सेवा प्राधिकारी, सोलन		2009-10	कोई विलम्ब नहीं	2008-09	अभी प्रस्तुत नहीं किया गया	1
5.	जिला विधि सेवा प्राधिकारी, हमीरपुर		2009-10	कोई विलम्ब नहीं	2008-09	अभी प्रस्तुत नहीं किया गया	1
6.	जिला विधि सेवा प्राधिकारी, धर्मशाला		2009-10	कोई विलम्ब नहीं	2008-09	अभी प्रस्तुत नहीं किया गया	1
7.	जिला विधि सेवा प्राधिकारी, ऊना		2009-10	कोई विलम्ब नहीं	2008-09	अभी प्रस्तुत नहीं किया गया	1
8.	जिला विधि सेवा प्राधिकारी, मंडी		2009-10	कोई विलम्ब नहीं	2008-09	अभी प्रस्तुत नहीं किया गया	1
9.	जिला विधि सेवा प्राधिकारी, नाहन		2009-10	कोई विलम्ब नहीं	2008-09	अभी प्रस्तुत नहीं किया गया	1
10.	जिला विधि सेवा प्राधिकारी, बिलासपुर		2009-10	कोई विलम्ब नहीं	2008-09	अभी प्रस्तुत नहीं किया गया	1
11.	जिला विधि सेवा प्राधिकारी, चम्बा		2009-10	कोई विलम्ब नहीं	2008-09	अभी प्रस्तुत नहीं किया गया	1
12.	जिला विधि सेवा प्राधिकारी, रिकांगपिओ		2009-10	कोई विलम्ब नहीं	2008-09	अभी प्रस्तुत नहीं किया गया	1
13.	जिला विधि सेवा प्राधिकारी, कुल्लू एवं लाहौल स्पीति स्थित कुल्लू		2009-10	कोई विलम्ब नहीं	2008-09	अभी प्रस्तुत नहीं किया गया	1

परिशिष्ट-3.3

(संदर्भ:परिच्छेद 3.3; पृष्ठ 47)

दुर्विनियोजन, गबन आदि के मामलों का विभागवार/अवधिवार ब्यौरा

क्रमांक	विभाग का नाम	5 वर्षों तक		5 से 10 वर्ष		10 से 15 वर्ष		15 से 20 वर्ष		20 से 25 वर्ष		25 वर्षों से अधिक		मामलों की कुल संख्या	
		ग	क	ग	क	ग	क	ग	क	ग	क	ग	क	ग	क
1	शिक्षा	2	2.19	1	0.71	3	1.00	--	--	1	0.59	1	0.14	8	4.63
2	ग्रामीण विकास	--	--	1	शून्य	--	--	--	--	--	--	--	--	1	शून्य
3	कृषि	2	9.46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	9.46
4	भू-राजस्व	--	--	--	--	1	2.57	--	--	--	--	--	--	1	2.57
5	पुलिस	--	--	2	1.51	--	--	--	--	--	--	--	--	2	1.51
6	राजस्व	--	--	1	0.30	--	--	--	--	--	--	1	0.02	2	0.32
7	गृह रक्षा	--	--	--	--	2	25.37	--	--	--	--	1	0.05	3	25.42
8	पशुपालन	--	--	1	0.17	--	--	--	--	--	--	2	0.94	3	1.11
9	योजना निदेशक	--	--	1	2.97	--	--	--	--	--	--	--	--	1	2.97
10	हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग	--	--	1	2.96	--	--	--	--	--	--	--	--	1	2.96
11.	स्वास्थ्य	--	--	1	0.95	--	--	--	--	--	--	--	--	1	0.95
12	वन	--	--	1	2.38	--	--	--	--	1	0.20	1	0.20	3	2.78
13	लोक निर्माण	--	--	--	--	6	7.43	2	2.35	4	0.83	5	2.72	17	13.33
14	सिंचाई जन स्वास्थ्य	1	0.89	1	0.02	1	7.69	--	--	2	0.31	--	--	5	8.91
	योग:	5	12.54	11	11.97	13	44.06	2	2.35	8	1.93	11	4.07	50	76.92

ग: मामलों की संख्या

क: राशि (₹ लाख)

परिशिष्ट-3.4

(संदर्भ:परिच्छेद 3.3; पृष्ठ 47)

चोरी, सरकारी सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि के कारण सरकार को हानि मामलों का विभागवार/श्रेणीवार ब्यौरा
(₹ लाख)

विभाग का नाम	चोरी के मामले		सरकारी सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि		योग	
	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख)	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख)	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख)
शिक्षा	2	2.19	6	2.44	8	4.63
ग्रामीण विकास	--	--	1	शून्य	1	शून्य
कृषि	--	--	2	9.46	2	9.46
भू-राजस्व	--	--	1	2.57	1	2.57
पुलिस	--	--	2	1.51	2	1.51
राजस्व	1	0.30	1	0.02	2	0.32
गृह रक्षा	--	--	3	25.42	3	25.42
पशुपालन	1	0.17	2	0.94	3	1.11
योजना निदेशक	1	2.97	--	--	1	2.97
हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग	--	--	1	2.96	1	2.96
स्वास्थ्य	--	--	1	0.95	1	0.95
वन	--	--	3	2.78	3	2.78
लोक निर्माण	2	0.77	15	12.56	17	13.33
सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य	1	0.25	4	8.66	5	8.91
योग	8	6.65	42	70.27	50	76.92

